

ISSN – 2229–6336

SUMANGALI

(A PEER-REVIEWED ANNUAL RESEARCH JOURNAL of Gender and heritage)

Vol. IX

March 2023



Centre for Women's Studies

Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University

(Central University)

New Delhi

Publisher :
Centre for Women's Studies
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University
(Central University)
Katwaria Sarai, New Delhi- 110016
www.slbsrsv.ac.in

© SLBSNS University

Year 2023

ISSN - 2229-6336

Printed at :
Ganesh Printing Press, New Delhi - 16
E-mail :- ganeshpringtingpress0001@gmail.com
Ph. 09811663391

SUMANGALI

(A PEER-REVIEWED ANNUAL RESEARCH JOURNAL of Gender and heritage)

संरक्षक एवं प्रधान सम्पादक - प्रो. मुरली मनोहर पाठक (कुलपति)

* * *

सम्पादक - प्रो. मीनू कश्यप (निदेशिका, महिला अध्ययन केन्द्र)

* * *

सह सम्पादिका - डॉ. सविता राय (सहायक निदेशिका, महिला अध्ययन केन्द्र)

- श्रीमति तरुणा अवस्थी (शोध सहायिका)

* * *

तकनीकी सहायक - विश्वकर्मा शर्मा (शोध विभाग)

* * *

परामर्शदात्री समिति सदस्य

प्रो. मीरा द्विवेदी (दिल्ली विश्वविद्यालय)

प्रो. कमला भारद्वाज (पूर्व-आचार्य, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

प्रो. सविता रॉय (प्राचार्य, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय)

प्रो. अनुभूति दूबे (विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर)

प्रो. सुजाता त्रिपाठी (आचार्य, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली)

* * *

सम्पादक मण्डल सदस्य

प्रो. अमिता पाण्डेय भारद्वाज (आचार्या, शिक्षाशास्त्र विभाग)

प्रो. संगीता खन्ना (आचार्या, सर्वदर्शन विभाग)

प्रो. मिनाक्षी मिश्र (आचार्या, शिक्षाशास्त्र विभाग)

डॉ. अभिषेक तिवारी (सहायक आचार्य, मानविकी विभाग)

Sumangali

(A PEER-REVIEWED ANNUAL RESEARCH JOURNAL of Gender and heritage)

Sumangali is A PEER-REVIEWED ANNUAL RESEARCH JOURNAL of Gender and heritage, published annually. It will focus on this image of woman in Indian tradition, her achievements and struggles. The Journal will carry studies of theoretical, analytical character. priority will be given to articles based on Sanskrit texts and culture and heritage. it is an Interdisciplinary, multilingual (Hindi, English * Sanskrit) journal focusing on broad themes like Woman Culture, Woman and Education, Women's History and Women on Sanskrit texts. Besides original articles, the Journal also Includes book reviews on texts on woman and woman's issues.

Sumangali is brought out in March every year. Manuscripts are selected for publication after peer review.

Manuscripts not exceeding 6000 words, may be submitted in Ms word Format. The article should be typed in double space following the sixth edition of MLA Handbook with parenthetical documentation for references and foot note for explanatory note.

Email Id : sumangalilbs@gmail.com

Annual Subscription Rated : Individuals - Rs. 150/-
Institution - Rs. 300/-

प्ररोचना

भारतीयो ज्ञाननिधिर्जगत्यस्मिन् त्रिकालाबाध्यसत्यवत् भासते। सनातनज्ञानधारा द्रष्टृभी ऋषिभिः परिमार्ज्यं परिदृश्यं परिमृष्यं चाध्यात्मिकवैज्ञानिकसामाजिकपरिदृश्यानि संकल्य श्रुतझरिवत् जगदुपकुर्वती दरीदृश्यते। भारतीयाः पुराकालादेव सुव्यवस्थितजीवनशैलीम् आवहन्तो वर्धमानाः सन्ति। ऋक्कालादेव सम्मानिता शक्तिस्वरूपा जगति सुप्रतिष्ठिता पूजिता च नारी स्वीयकन्याबोधकबाल्यकालादेव वृद्धावस्थापर्यन्तं नानाविधनगरविस्तारविजयं सम्पादयति। सकलविद्यावरिष्ठबुधैरपि शास्त्रेषु पदे पदे नारीणां महिमा प्रतिपादितः। नारीणां पूजा उत ताः प्रति सम्मानस्य भावः भारतीयसंस्कृतेः विद्यते काचित् विशिष्टा परम्परा। नारीणां पूजां सम्मानं च दैवीयगुणं मन्यमाना भारतीयसंस्कृतिरियं सर्वदा भजते नार्यः महिमानम्।

मानवजातेः सभ्यतायाः सामाजिकविकासस्य च मूलस्रोतः नारी एव वर्तते। अनेन कारणेन खलु जगति समाजस्य विकासक्रमश्चाचलत्। नारीः बिना पुरुषः पङ्गुवद् भासते। विश्वशक्तिरूपेण नारी राजते तथा च पुरुषस्य समग्रव्यक्तित्वं तस्यैव गर्भं भवति प्रतिष्ठितम्। पवित्रभारतभूमौ पार्वतीशतरूपा-सावित्र्यात्रेय्यनुसूयादमयन्तीसीतामन्दोदरीसुभद्रासुलोचनाराजवालादयः देव्यः जन्मालभन्। वीराङ्गनासु अपि विद्युल्लताताजकुंवरीरूपसुन्दरीकर्मदेवीदुर्गावतीकलावतीकिरणदेवीहाड़ीरानीरूपालीजीजाबाई- प्रभृत्यः महिलाः शक्तिस्वरूपेण समर्च्यन्ते। अनेन प्रकारेण एषा नारी चिरकालादेव स्वीयाभूतपूर्वप्रतिभायाः परिचयं प्रतिपदं ददाति। कालः कश्चन् अपि वा भवतु प्रत्येकं क्षेत्रं नारीणां गरिम्णा मण्डितं दरिदृश्यते।

जगत् प्रसूता दोषदुर्गुणपरिमार्जिता चरितनिर्मात्री जननीस्वरूपा राजनैतिकैतिहासिकसमाजस्या-धारभूता शक्तिस्वरूपा नारी आधुनिके कालेऽपि मौलिस्थानमारुह्य सहजस्थिरा वर्तते। आवश्यकता अस्ति यत् अस्माभिः अस्माकं गौरवपूर्णसभ्यतायाः, संस्कृतेः, इतिहासस्य निर्माणे नारीणां का भूमिका इत्यस्य गभीरतापूर्वकमध्ययनं करणीयम्। तस्याः वर्तमानकाले समावेशश्च करणीयः। एतदेव उद्दिश्य नारीचरितभव्यदिव्याकर्षकस्वरूपतभूता कृतकार्यसुव्यवस्थिता सर्वविधभावि महिलोत्थानमार्गदर्शिका इयं 'सुमङ्गली' शोधपत्रिका विश्वविद्यालयस्य महिलाध्ययनकेन्द्रेण सम्पाद्यते।

(प्रो. मुरलीमनोहरपाठकः)

कुलपतिः

सम्पादकीय

निराकारब्रह्मणः “एकोहं बहुस्याम” इतीच्छैव मायाऽस्तित्वं प्रति अनीय साकारसृष्टिसंरचनायाः कारणमभवत्, इति भवति तत्त्वदर्शीनां विचारः। सृष्टिरूपनाटकस्य सुव्यवस्थितमञ्चनार्थं स एव निराकारब्रह्म प्रकृतिपुरुषरूपेण प्रादुर्भूतः। निराकारब्रह्म मानवं स्त्रीपुरुषयोः रूपेण विभाज्याद्धनारीश्वरिति संकल्पनया सृष्टिमरचयत्।

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत्प्रभुः॥ (मनुस्मृतिः-1.31)

अस्मिन् विकासक्रमे स एव मानवः मानवजीवनस्य समाजस्य च परमध्येयप्राप्त्यर्थमपि च संस्कृतेः विकासाय सुसंगठितसमर्थपरिवारस्य समाजस्य राष्ट्रस्य च स्थापनामकरोत्। इयमेव संस्कृतिः वैदिककाले चरमं प्राप्नोत्। अयं खलु वैदिककालः प्राचीनभारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाश्च समृद्धेः, ज्ञानविज्ञानस्य, उत्कृष्टसंस्कृतेः उन्नयनकालः अभूत्। यस्य प्रमाणभूतत्वेन राजन्ते वेदाः। आपुरुषग्रन्थेषु वेदेषु सृष्टेः गतिसहायकाः सर्वेऽपि विषयाः समाविष्टाः ऋषिभिः, एतेषु एव गतिसहायकविषयेषु अन्यतमा भवति आदिशक्तिस्वरूपा नारी, यां विना नैव पारयति सृष्टिः गतिम्।

नारी आदिकालात् पुरुषस्य वर्तते सहचरिणी अत एव सा अर्धाङ्गिनी इत्युच्यते। संस्कृतवाङ्मये प्रत्येकदेवस्य उत्कृष्टार्धेन सह अर्धाङ्गिन्याः परिकल्पना वर्तते। एतेव- राधाकृष्ण, सीताराम, शिवपार्वती, लक्ष्मीविष्णु इति वयं नित्यं प्रति श्रुणुमः। शाक्तागमेष्वपि ब्रह्मविष्णुशिवः एतेषां सर्जन-पालन-संहारात्मकशक्तीनां नियामिकारूपेण आदिशक्तेः प्रतिष्ठा नारीणां गरिमायाः प्रामाण्यमस्ति। अस्यै आदिशक्तिस्वरूपिण्यै समर्प्यते इयं शोधपत्रिका।

(प्रो. मीनूकश्यपः)

सम्पादिका

CONTENTS (अनुक्रम)

1. मनुस्मृतौ स्त्री-विमर्शः	डॉ सुदेशसिंह “शास्त्री”	01-05
2. मनुरीत्या स्त्रियाः स्त्रीधनस्य च प्रसङ्गविवेकः	चन्दनमहान्ती	06-11
3. ‘आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मदालसा’ चरित्र की प्रासंगिकता	डॉ. प्रवीण बाला	12-17
4. नारी का वैदिक स्वरूप	डॉ. रमेश कुमार	18-29
5. मध्यकालीन भारत में स्त्रियाँ: राजनीतिक एवं	डॉ. प्रवीण कुमार झा	30-37
6. मृच्छकटिकम् की स्त्रियाँ और उनका स्त्रीत्व	अमीषा	38-47
7. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में महिला आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन	Dr. Praveen Pathak	48-57
8. Inter-Generational Educational...	Dr. Amrit Kaur	58-68



विश्वविद्यालय में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा

मनुस्मृतौ स्त्री-विमर्शः

डॉ. सुदेशसिंहशास्त्री

धर्मशास्त्रविभागः

श्रीला.ब.शा.रा.सं.विश्वविद्यालयः, नवदेहली

श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रं तु वै स्मृतिः।¹

स्मृतिग्रन्थेषु मनुस्मृतिः प्राचीनतमा भवति । महर्षि- मनुद्वारा रचितः एषः ग्रन्थो मानवधर्मं विवृणोति । एतस्मात् एतस्याः अन्यतमानि नामानि ‘मनुसंहिता’ ‘मानवधर्मशास्त्रम्’ आदीनि अपि सन्ति । श्रुतिग्रन्थाः वेदाः, तान् आश्रित्य रचिताः ग्रन्थाः स्मृतयः । तेषां विषयवस्तु रूपेण वैयक्तिकी सामाजिकी च व्यवस्था, व्यवहारनियमाः, निषेद्धव्यानि च । एष एव धर्मोऽस्ति खलु ।

मनुस्मृतौ मानवजीवनं चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तमस्ति तद्यथा- “ब्रह्मचर्य-गृहस्थ-वानप्रस्थ-सन्यासाकः” इति । गृहस्थाश्रमः सर्वाश्रमाणां प्रधानभूतो वर्तते ।

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।

तथैव गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वाश्रमाः॥²

गृहस्थाश्रमं नाम पारिवारिकीव्यवस्थायाः निरूपणं यथा- न ह्यकेन चक्रेण रथस्य गतिर्भवति तथैव न एकेन विना अर्थात् “पुरुष वा स्त्री” इति विना गृहस्थस्य निष्कृतिर्न भवति । गृहस्थस्य भारं या अधिवहति सा भार्या इति शब्देन बोध्यते । मनुस्मृतौ स्त्रीमहत्ताविषये उक्तम-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥³

यस्मिन् गेहे नार्यस्तु पूज्यन्ते, अत्र पूज्यन्ते इति शब्देन समादरभावेन सेव्यन्ते, इति आचार्यन्ते सम्पूज्यन्ते इति । रमन्ते तत्र देवताः यत्र एताः तु न पूज्यन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः । यत्र एताः न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः निष्फलाः भवन्ति । एतस्मिन् विषये उक्तं मनुस्मृतौ-

शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥⁴
जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः।
तानि कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः।⁵
स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम् ।
तस्यां त्वरोचमनायां सर्वमेव न रोचते ।⁶

एताभिः दृष्टिभिः समालोक्यन्ते स्त्रीणां/नारीणां संरक्षणं अवश्यमेव भाव्यम् ।

स्त्रीणां सम्मानेनैव गृहस्थस्योत्कर्षः भवति । एवञ्च जननीरूपेण कुलं वर्धयति । तस्मिन् विषये अपि उक्तम्-

प्रजनार्थं महाभागाः पूजार्हा गृहदीप्तयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन॥⁷
प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्ट्याः सन्तानार्थं च मानवः।
तस्मात्साधारणो धर्मः श्रुतौ पत्न्या सहोदितः॥⁸

अतः गृहस्थधर्मः श्रेष्ठधर्मः “गृहिणी गृहं इत्याहुः” उभयोः मिलित्वा गृहस्थधर्मं आचरेताम् । परिवारनियोजनविषये सामञ्जस्यताविषये समरसतायाः भावेन सर्वैः आचरणीयम् । तस्मिन् सन्दर्भे मनुभिर्प्रोक्तम्-

मातापितृभ्यां जामीभिर्भ्रात्रा पुत्रेण भार्यया।
दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत् ।⁹

एतया दृष्ट्या गृहस्थे परिवारे वा सदाचरेत् । स्त्रीणां कृते तासां अधिकारविषयेऽपि मनुना प्रोक्तम्-

अर्थस्य सङ्ग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥¹⁰

सम्पत्तेः अधिकारविषये जन्मजास्वत्वं सिद्धयति यथा-

यथैवाऽऽत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा।
तस्याम् आत्मनि तिष्ठन्त्यां कथम् अन्यो धनं हरेत् ।¹¹

मातुः धनस्य (यौतकं) विषयेऽपि मनुना प्रतिपादितम् तद्यथा-

मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः।
दौहित्र एव च हरेदपुत्रस्याऽखिलं धनम् ॥¹²

असाहाय्यरूपेण यदि स्त्री तिष्ठति अथवा अप्रजस्त्री वैधव्य अवस्थायां स्त्रीणां कृते बान्धवीयाः सामाजिकी शासकीया च व्यवस्था अपि दृश्यते मनुस्मृतौ। तद्यथा-

वशाऽपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च ।
पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वातुरासु च ॥¹³
जीवन्तीनां तु तासां ये तद्धरेयुः स्वबान्धवाः।
तान् शिष्याञ्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः॥¹⁴

एतैः श्लोकैः स्त्रीणां संरक्षणाधिकार एवं तासां जीवनमूल्यं परिलक्षितं भवति ।
स्त्रीणां प्राथमिकताविषये वा “प्रधानता” विषये मनुना प्रतिपादितम्-

चक्रिणो दशमीस्थस्य रोगिणो भारिणः स्त्रियाः।
स्नातकस्य च राज्ञश्च पन्था देयो वरस्य च ॥¹⁵
सुवासिनीः कुमारीश्च रोगिणो गर्भिणीः स्त्रियः।
अतिथिभ्योऽग्र एवैतान्भोजयेदविचारयन् ॥¹⁶

अत्र स्त्रीणां प्रति आदरभावः सन्निहितः अस्ति । “स्त्री लोकं वर्धयति” इति भावेन तासां कृते विधिरियं समाचरणीयः ।

अग्रे च स्त्रीः प्रति “हरण-वध” विषयेऽपि बहु प्रतिपादितं मनुना । तद्यथा-

पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः।
मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वधमर्हति ।¹⁷
कूटशासनकर्तृश्च प्रकृतीनां च दूषकान्।
स्त्रीबालब्राह्मणघ्नांश्च हन्याद्द्विट्सेविनस्तथा ॥¹⁸

अनेन प्रकारेण स्त्रीणां जीवनरक्षायै निहितो धर्मो मनुना उक्तृष्टतया सेवितः ।

अग्रे मनुना स्त्रीणां कृते स्वात्मनिर्भरतायाः विषयेऽपि संकेतितं यत्-

न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम् ।
एतैरुपाययोगैस्तु शक्यास्ताः परिरक्षितुम् ॥¹⁹

तत्रिमित्तकं उपाययोगाश्च अनेन प्रकारेण उक्ताः-

अर्थस्य सङ्ग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।
शौचे धर्मेऽन्नपक्त्वां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे ॥²⁰

स्त्रीभिः जीवनप्रबन्धनं-एवं-परिवारनियोजनार्थं एते उपायाः तु सदैव पालनीयाः । अपरञ्च श्लोके मनुना साधुतया विवेचितम्-

अरक्षिता गृहे रूद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः ।
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः ॥²¹

अत्र आत्मनिर्भरतां प्रति शास्त्रकारैः निर्दिष्टम् । “यस्या नास्ति आत्मबलं परस्तस्य करोति किम्? अतः आधुनिकयुगानुरूपं स्त्री रक्षायै आत्मना यत्न-प्रयत्नैः रक्षेत् इति ।

अनेन माध्यमेन स्त्रीरक्षायै- आत्मरक्षायै वा मनुना बहुविधोपायैः स्त्रीधर्मो व्यवस्थितः ।

इदानीं नारीणां स्वयं सिद्धदोषैः यदि ताः स्वकीयं जीवनं रक्षितुम् असमर्थाः भवन्ति अथवा स्वैः दोषैः स्वदूषयन्ति तद्यथा-

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।
स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट् ॥²²

“पानम्- मद्यपानं, धूम्रपानं” दुर्जनानां सङ्गतिः (संसर्ग) पत्या च विरहोऽटनम्, स्वप्नदर्शी, व्यथा अन्यगेहे वासादि नारीणां षट् सन्दूषणानि सन्ति ।

एतैः दोषैः यदि नारी लिप्ता भविष्यति तर्हि तस्याः रक्षायै कः समर्थो भविष्यति ।

नरीदूषणपरिहारार्थं मनुना स्त्रीधर्मं व्यवस्थितं चेद् उक्तम्-

“धर्मो रक्षति रक्षितः”

अत्र धर्मो नाम मानवधर्मः । मानवानां हितं धर्मं वर्तमाने कलौ युगे इत्यस्मिन् प्रसङ्गे महर्षिपराशरेण मानवानां कृते धर्मो व्यवस्थितः । स्वयं ग्रन्थस्य कथनमस्ति यत् -

“कलौ पाराशराः स्मृताः” अस्मिन् विषये आदित्यपुराणेऽपि लिखितम् अस्ति-

यस्तु कार्तियुगो धर्मो न कर्तव्यं कलौ युगे ।
पापप्रसक्तास्तु यतः कलौ नार्यो नरास्तथा ॥

सन्दर्भग्रन्थाः

1. धर्मशास्त्र का इतिहास, पी.वी.कोणे, उत्तरप्रदेश हिन्दी संस्थानम्, लखनऊ, चतुर्थसंस्करणम् 1992
2. पराशरस्मृतिः, हिन्दी अनुवाद श्रीवासुदेवः, चौखम्बा संस्कृतसीरीज, वाराणसी, प्रथमसंस्करण- 1968
3. मनुस्मृतिः, कुल्लुकभट्टः, डॉ. राकेशशास्त्री विद्यानिधिप्रकाशन, खज्वरीखास, दिल्ली
4. मनुस्मृतिः- कुल्लुकभट्टः चौखम्बा संस्कृत संस्थान वाराणसी- 2039
5. मनुस्मृतिः- डॉ. उर्मिला रस्तोगी, जे.पी. पब्लिशिंग हाउस दिल्ली-
6. मनुस्मृतिः- गणेशदत्त की सुबोधिनी टीका सहित ठाकुरप्रसाद एण्ड सन्स, वाराणसी।

सन्दर्भग्रन्थ-सूची

- | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1. मनु. 2/10 | 7. मनु. 9/26 | 13. मनु. 8/28 | 19. मनु. 9/10 |
| 2. मनु. 3/77 | 8. मनु. 9/96 | 14. मनु. 8/29 | 20. मनु. 9/11 |
| 3. मनु. 3/56 | 9. मनु. 4/180 | 15. मनु. 2/138 | 21. मनु. 9/12 |
| 4. मनु. 3/57 | 10. मनु. 9/11 | 16. मनु. 3/114 | 22. मनु. 9/13 |
| 5. मनु. 3/58 | 11. मनु. 9/130 | 17. मनु. 8/323 | |
| 6. मनु. 3/62 | 12. मनु. 9/131 | 18. मनु. 9/232 | |

* * *

मनुरीत्या स्त्रियाः स्त्रीधनस्य च प्रसङ्गविवेकः

चन्दनमहान्ती

शोधच्छात्रः

केन्द्रीय-संस्कृत-विश्वविद्यालयः

भूमिका – स्मृतिशास्त्रेषु सर्वा प्राचीना स्मृतिः मनुना प्रोक्ता मनुसंहिता । प्राचीनकालादेव श्रुत्यनुसारेण स्मृत्यनुसारेण च मानवाः समाजजीवनं निर्वहन्ति स्म । पुराकाले वर्तमानसंविधानवदेव आसीदिमाः स्मृत्यादयः । जीवनयात्रायाः दिशा तु अस्याः एव । अद्यापि समाजे संस्कारमूलककार्यकरणाय वयं स्मृतेः उपरि निर्भराः स्मः । बहुषु नियमेषु तत्रैव विराजमाना नारीतत्त्वस्य आलोचना । सदैव समाजेषु सर्वेषां मध्ये नारीः प्रति सम्मानादयः परिदृश्यन्ते । मनुना प्रदत्ता संहितायामेव वर्तते – य नार्यः परिपूज्यन्ते तत्रैव देवाः सदा रमन्ते विपरीतक्रियाभिः धर्मार्थकामाश्चेति विफलाः सर्वदैव । यथैव मनुसंहितायाम् –

“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः” ॥

अर्थात् नारीः प्रति अवमानया पुरुषस्य धर्मविफलार्थं देवकार्ये अफलप्राप्तिः, अर्थविफलार्थं धनस्य अभावः, कामविफलार्थं सकुलस्य शीघ्रतया ध्वंसादयः चेति परिदृश्यन्ते । प्राचीनकाले नारीणां जीवनचरित्रं वर्तमानात् भिन्नं परिलक्ष्यते स्म । तस्मिन् समये नारीणां कृते सम्मानादि, वैवाहिकादर्शः, लक्ष्मीवती मान्या, आदीनि अभिलक्ष्यन्ते । प्रायशः सर्वासु स्मृतिषु एव नारीणां विषये बहुविधालोचनाः वर्तन्ते । समाजेषु नारीः प्रति सर्वदा एकविशेषः विधिः सदैव आसीत् । धनोपार्जने पुरुषाणामेव प्राधान्यता परिलक्ष्यते । विषयेऽस्मिन् वित्तोपार्जने चतुर्वर्णानामेव कर्माणि मनुस्मृतौ एव उल्लेखितानि । यथैव

“ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानं तपः क्षत्रस्य रक्षणम् ।

वैश्यस्य तु तपो वार्ता तपः शूद्रस्य सेवनम्”² ॥

पुरुषाः विवाहसंस्कारेण नारीभिः सह वैवाहिकसम्पर्कस्य स्थापनं प्रकुर्वन्ति । विवाहात् अनन्तरं नारीणां धनलाभो परिभवन्ति । धनागमः नारीणां अर्थात् स्त्रीणां प्राचीनकालादेव आसीत् । अतो हि सर्वासु स्मृतिषु

नारीणां धनविषये आलोचना परिदृश्यते । पितृगृहात् पतिगृहात् च उभाभ्यामेव धनप्राप्तिः ताभ्यः भूयते । एवञ्च अतिथिभ्योऽपि धनप्राप्तेः उल्लेखः प्राप्यते । सनातनधर्मवलम्बिनः जनाः श्रुतेः स्मृतेः च प्रमाणत्वं स्वीकृतवन्तः सर्वदैव । ततो हि स्त्रीप्रसङ्गे स्त्रीधनविषये च स्मृत्यनुसारमवश्यमेव आलोचना करणीया ।

स्मृतीनां परिचयः – ‘स्मृ’ धातुना सह ‘क्तिन्’ प्रत्ययं संयुज्य स्मृतिशब्दः निष्पन्नः इति वाचस्पत्यम् । मनुसंहितायाः द्वितीयोऽध्यायो धर्मशास्त्राणां स्मृतिनामत्वेन वर्तते । तद्यथा – “श्रुतिस्तु तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रन्तु वै स्मृतिः”³ ।

अर्थात् धर्मशास्त्रमेव स्मृतिः । प्रायशः सर्वज्ञजनैः विशेषतः स्मृतेः एव धर्मशास्त्रस्य मध्ये कोऽपि प्रभेदः न प्रमन्यते । यथा – तैत्तिरीयारण्यके⁴, अमरकोषे⁵ चेति । विविधासु स्मृतिषु शास्त्रकारैः स्मृतीनां सङ्ख्याविषये पृथक्-पृथक् प्रदर्शितम् । परन्तु स्मृतिशास्त्रस्य प्रमुख-गवेषकेण डॉ. काणेमहोदयेन एवञ्च अधिकाधिक-धर्मशास्त्रकारैः च अष्टादशस्मृतीनां नामानि प्रदत्तानि⁶ । स्मृतेः प्रतिपाद्यविषयस्तु विशेषतः आचारः, व्यवहारः, प्रायश्चित्तश्चेति । स्मृतीनां गुरुत्वविषये पाराशरस्मृतौ वर्तते – सत्ययुगे मनुस्मृतेः, त्रेतायुगे गौतमस्मृतेः, द्वापरयुगे शंखस्मृतेः, कलियुगे पराशरस्मृतेश्च प्रभावः दरीदृश्यते । प्रायशः सर्वाः स्मृतयः पद्यात्मिकाः, केवलमात्रन्तु विष्णुस्मृतिः, गौतमस्मृतिश्चेति गद्यात्मके । सर्वासां स्मृतीनामुपरि टीकाभाष्यादीनि प्राप्यन्ते ।

मनुस्मृतेः परिचयः – मनुना प्रोक्तेयं संहिता नाम इति ख्याता । द्वादशाऽध्यायैः विशिष्टकृतेयं धर्मशास्त्रस्वरूपा । विद्वद्धिः सर्वा प्राचीना स्मृतिरूपेण स्वीकृतेयम् । समाजे विद्यमानान् संस्कारान् शृङ्खलाबद्धान् कर्तुम् अस्याः भूमिका सर्वादौ प्रतीयते । मनुविषये वेदेषु बहूनि तथ्यानि समाहितानि यथा – ‘मनोर्देवा यज्ञियासः’ (ऋग्वेदः. ८.३०.२), ‘ये स्था मनोर्यज्ञियास्ते’ (ऋग्वेदः. १०.३६.१०), ‘मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः’ (ऋग्वेदः. १०.६५.१४) । वेदेषु मनुः एकः स्वतन्त्रप्रभावशाली-व्यक्तिरूपेण स्वीकृतः । मनुस्मृतेः प्रथमेऽध्याये एव षड्विंशप्रभवानाम् अन्यमनूनां वर्णनम् अस्ति । यथा – स्वरोचिषः, औत्तिमः, तापसः, रैवतः, महातेजा-चाक्षुषः, विवस्वत्पुत्रः वैवस्वतश्चेति⁷ । परन्तु मनुस्मृतेः प्रणेतारूपेण स्वायम्भुवमनुः स्वीकृतः, एवञ्च तत्प्रशिष्य-भृगुः स्मृतिं रचयामास । अध्यायान्ते तस्मात् हेतोः उक्तमस्ति – ‘भृगुप्रोक्तायां संहितायामिति’ । धर्मशास्त्ररूपेण स्मृतेः आलोचितविषयवस्तु – समाजव्यवस्था, अर्थनीतिः, राजनीतिः, शिक्षादर्शः, धर्मादि, दैनन्दिन-जीवनधारणं, परिवेशभावना, भौगोलिकतथ्यादीनि चेति । २६९६ श्लोकैः रचितेयं संहिता । स्मृतेः उपरि बह्व्यः टीकाः प्राप्ताः । तासु – मेधातिथिकृता मनुभाष्यटीका, गोविन्दराजकृता मनुटीका, कुल्लूकभट्टकृता मन्वर्थमुक्तावली चेति प्रसिद्धाः ।

मनुस्मृतौ स्त्रीप्रसङ्गः – धर्मकारमनुः स्वकीयग्रन्थे नारीणां विषये तृतीयेऽध्याये, पञ्चमेऽध्याये, अष्टमेऽध्याये, नवमेऽध्याये च आलोचनां चकार । नवमोऽध्याये श्री एव स्त्रियाः मध्ये न प्रभेदः उल्लेखितः मनुना । यथा –

“स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन”⁸ ।

श्री अर्थात् लक्ष्मीदेवी गृहे यथा सुखं विदधाटि तद्वदेव स्त्री अपि । इतोऽपि अनाचारपरायणतायाः रक्षार्थं प्रोक्तं शास्त्रकारेण मनुना पिता सत्पुत्राय सम्प्रदानं यावत्, वध्ववस्थायां सपतिः, वृद्धावस्थायां पुत्रः च रक्षाकारिरूपेण प्रतितिष्ठन्तीति । तद्यथा –

“पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने ।

रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति” १॥

नारीणां विशेषकर्मविषये अत्रैव परिलक्ष्यते⁴⁰ – अभिभावकस्य स्वामिनः वा अर्थादिसंरक्षणे विनियोगे च, गृहादि परिशुद्धौ, धर्म-कर्मादि आयोजने, अन्नपाकादौ, शय्यासनादेः तत्त्वावधाने च तासां कर्माणि उल्लेखितानि । एवञ्च मनुना परिलक्ष्यते स्म नारीणां षड्व्यभिचारदोषाः । यथा –

“पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट्” ११॥

मद्यपानम्, असत्पुरुषेण सह संसर्गः, स्वामिना सह विच्छेदः, यत्र तत्र अटनम्, असमये निद्रा, कुटुम्बगृहे दीर्घदिनयापनं (अन्यगेहवासः) चेति एते तासां षड्व्यभिचारदोषाः, एतैः तासां चित्तचाञ्चल्यता परिलक्ष्यते । सदैव एतेषां दोषाणां परित्यागः कर्तव्यः ताभिः । तद्हेतोः दुश्चरित्राः नारीः प्रति कठिनशास्तेः व्यवस्थाविषये आलोचना वर्तते । नारीणां प्रधानसंस्काररूपेण विवाहः स्वीक्रियते । गृहकर्मैव तासामग्निक्रिया ।

“वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया” १२॥

एवञ्च पिता कन्यां सदा सत्पात्राय सम्पादयति, निर्गुणपात्राय न च कदापि । कन्यायै शुभचिन्ता सर्वदैव पित्रा करणीया । परिणयस्य वयविषये मनुप्रदत्तं मतं किञ्चित् अस्पष्टं तस्मात् हेतोः कल्लूकभट्टः आह— त्रिभागवयस्का च कन्या सत्पात्रस्य कृते योग्या इति⁴³ । मेधातिथिना प्रोक्तं यत् कन्या योग्यपात्रात् सर्वदा अल्पवयस्का आवश्यकी इति एव तात्पर्यम्, अद्यत्वे प्रायशः दृश्यते सर्वत्रैव इति । संहिताकारः मनुः नारीणां नियोगधर्मविषयं समर्थितवान् । सादृश्यगोत्रपुरुषेण सह पतेः मृत्योः परं स्त्रियः सम्भोगीकृत्य पुत्रोत्पादनं कर्तुमर्हन्ति इति । तद्यथा—

“संस्थितस्याऽनपत्यस्य सगोत्रात् पुत्रमाहरेत् ।

तत्र यद् रिक्थजातं स्यात्तत्तस्मिन् प्रतिपादयेत्” १४॥

एतादृशः मनुप्रदत्तः स्त्रीप्रसङ्गः ।

मनुस्मृत्याम् स्त्रीधनम् – समाजे धनमेव संसाधनस्य मूलं पुराकालादेव । गार्हस्थ्यजीवनेऽपि धनेन सर्वाणि कर्माणि सिध्यन्ति इति । धनस्योपरि अधिकारप्रसङ्गे यदि वदाम्यहं तर्हि पुरुषाः एव धनस्य अग्राधिकारिणः गण्यन्ते, तथापि स्त्रीणां कृते अपि विशेषधनस्य विषये सर्वैः स्मृतिकारैः प्रोक्तमिति । परन्तु मनुस्मृतौ उल्लेखितस्य

स्त्रीधनस्य विषये वदाम्यहमत्र । वर्तमानसमाजेषु स्त्रीणां विशेषधनस्य स्वधनस्य च उल्लेखः प्राप्यते । स्त्रियः अविवाहितावस्थायां, वैवाहिकजीवने, वार्द्धक्यजीवने च अवस्थात्रयेण जीवनयापनं कुर्वन्ति । इत्यपेक्षायां विच्छेदजीवनमपि खलु कासाञ्जन स्त्रीणां भवन्ति । बहुविधधनानि सर्वाषां कृते आवश्यकानि । धनरूपेण च मुद्रा, अलङ्कारः, भूम्यादयः स्वीकृताः । मनुस्मृतौ नवमेऽध्याये एव व्यवहारप्रसङ्गार्थं स्त्रीधनमिति प्रोक्तम् । यथा—

“अध्यग्न्यध्यावाहनिकं दत्तञ्च प्रीतिकर्मणि।

भ्रातृमातृपितृप्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनं स्मृतम्”¹⁵ ॥

अध्यग्निकम्, अध्यावाहनिकं, प्रीतिदत्तं, भ्रातृदत्तकं, मातृदत्तकं, पितृदत्तकञ्च एतानि षड्स्त्रीधनानि ।

- क) **अध्यग्निकम्** – विवाहकाले पितृभ्यः प्राप्तं धनमेव कथ्यते अध्यग्निकम् । विवाहस्य यज्ञाग्नेः समीपे आशीस्वरूपेण सर्वे कन्यायै प्रयच्छन्ति तद्देतोः नामकरणमेव । स्वकीय-धनरूपेण चिरं स्थापयन्ति स्त्रियः । एवञ्च विवाहसमये उपहारस्वरूपाणि यत्नानि तानि एव अध्यग्निकम् इति ।
- ख) **अध्यावाहनिकम्** – पितृगृहात् पतिगृहे गमनात् परं यत्नं प्राप्नोति तत्तु अध्यावाहनिकम् । विवाहात् परं पतिगृहे गृहकर्ता, गृहकर्त्री, आत्मीयगणश्च यत्प्रयच्छति स्त्रियै । तस्यै अलंकारादि ददति सर्वे, धनं यथा आवाहनार्थं तस्मात् नामकरणमेव अध्यावाहनिकम् । एवञ्च चिरं स्त्रियाः पार्श्वे स्थास्यति ।
- ग) **प्रीतिदत्तम्** – पतेः, श्वश्रुः, गृहकर्त्रीणां च पार्श्वतः प्रीतिपूर्वकं यत् धनं लब्धं तत्तु प्रीतिदत्तम् । यथा— पतेः रतिकाले, सन्तानागमने, ज्ञापने, प्रीतिप्रदर्शने च । पतिगृहपरिजनेभ्यः सुकर्मणा प्रीतिदत्तधनमिदम् ।
- घ) **भ्रातृदत्तकम्** – शुभानुष्ठाने, सुदिने प्रीतिपूर्वकं स्वस्य भगन्यै अलंकारः, मुद्रादिकं प्रयच्छति तत्तु भ्रातृदत्तकरूपेण गृहवभूः स्थापयति स्वपार्श्वे ।
- ङ) **मातृदत्तकम्** – भर्तृकुलात् पितृगृहगमने प्रीतिपूर्वकं मातृप्रदत्तं धनमेव मातृदत्तकम् । इतोऽपि अन्यसमयेऽपि स्वकन्यायै अलंकारादिं प्रयच्छति, एतस्मादेव हेतोः मातृदत्तकम् ।
- च) **पितृदत्तकम्** – कन्यायै पिता स्नेहवशाद् यत्नं प्रयच्छति, तत्तु एव पितृदत्तकधनं कथ्यते ।

इतोऽपि अविवाहितावस्थायां मातुः स्त्रीधनं कन्याः एव प्राप्नुवन्ति । याज्ञवल्क्यादिभिः प्रोक्तं – द्वितीयवारं विवाहसमये पूर्वपक्षपत्नी यद्भनं प्राप्नोति तत्तु आधिवेदनिकम् । एवञ्च विवाहस्य परं भर्तृकुलात् पितृकुलात् च यानि धनानि प्राप्तानि तानि तु अन्वाधेयमिति उच्यते । तद्यथा –“अन्वाधेयञ्च यद्दत्तं पत्या प्रीतेन चैव यत्”¹⁶ ।

पुनश्च, विविधानि धनानि स्त्रियः प्राप्नुवन्ति । परन्तु अध्यग्निकादीनि षड्धनानि मुख्यानि इति मनुप्रदत्तानि स्त्रीधनानि ।

निष्कर्षः – परिशेषे उच्यते यत् भारतीयसंस्कृतेः मूलं तु आदौ श्रद्धा । स्मृत्यादिभिः शिक्षैव प्राप्ता । मनुस्मृतिः प्राचीनसंविधानवदेव, तस्मात् हेतोः विधिपालनं कर्तव्यम् । स्त्रिणां कृते ये परिलक्ष्यन्ते ते समाजेषु

योगक्षेमार्थं शृङ्खलायाः प्रतिष्ठायै चासन् । यदि वयं पश्यामः शास्त्रादीनि अस्मान् सुशिक्षामेव खलु प्रयच्छन्ति, मन्वादिशास्त्रमिति तत्प्रमाणस्वरूपमस्ति । अत्रैव परिलक्ष्यन्ते स्त्रीणां कृते बहुविधाः नियमाः यथा- विवाहादिविषयकाः, गृहकार्यादिविषयकाः, स्त्रीधनादिविषयकाः च । तासां शिक्षालाभविषये यथार्थोल्लेखम् अत्रैव न प्राप्यते । परन्तु परवर्तिधर्मशास्त्रकारैः प्रोक्तं स्त्रीशिक्षाविषये स्त्रीस्वतन्त्रताविषये च । मनुप्रदत्तेषु नियमेषु मध्ये स्त्रियै संरक्षणं, धनादि, विशेषश्रद्धाविषये च आलोचना सदैव परिलक्ष्यते । किन्तु वर्तमानसमाजेषु स्त्रियः यादृशं जीवनं निर्वहन्ति तादृशं नासीत् । शास्त्रेषु समाजस्य कल्याणमेव सदैव भूयते इति न संशयः । तथापि काचित् दृढता परिलक्ष्यते । यस्मात् कारणात् नानाजातिषु एवञ्च स्त्रीजातिषु सर्वाङ्गविकासं न परिदृश्यते तत्समये । यथा नियमेषु कञ्चित् कष्टमुलभ्यते परन्तु सुफलमधिकमिति न सन्देहः । कालचक्रेण समयस्य परिवर्तने अनुसन्धानेन शास्त्रस्य परिमार्जनं जायते स्म । परन्तु सर्वदा स्मृतिशास्त्रस्य विधेः उपरि दृष्टिं प्रदत्त्य जीवनधारणं सर्वेषां कृते सुखकरम् यशस्करञ्चेति ।

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

1. मनुसंहिता - ३/५६, पृष्ठाङ्कः - ३७०
2. मनुसंहिता - ११.२३५, पृष्ठाङ्कः - ११३१
3. मनुसंहिता - २.१०, पृष्ठाङ्कः - २५५
4. “स्मृतिरनुमेयश्रुतिमूलं मन्वादिशास्त्रम्” । (तैत्तिरीयारण्यकम्)
5. “स्मृतिस्तु धर्मसंहिता” । (अमरकोषस्य प्रथमकाण्डस्य शब्दवर्गः, पर्याय - २९६)
6. डॉ काणेमहोदयस्य मतानुसारं अष्टादश स्मृतयः - १. मनुस्मृतिः, २. बृहस्पतिस्मृतिः, ३. दक्षस्मृतिः, ४. गौतमस्मृतिः, ५. यमस्मृतिः, ६. अङ्गिरास्मृतिः, ७. योगीश्वरस्मृतिः, ८. प्रचेतास्मृतिः, ९. शातातपस्मृतिः, १०. पराशरस्मृतिः, ११. संवर्तस्मृतिः, १२. उशनास्मृतिः, १३. लिखितस्मृतिः, १४. शंखस्मृतिः, १५. अत्रिस्मृतिः, १६. बिष्णुस्मृतिः, १७. आपस्तम्बस्मृतिः, १८. हारीतस्मृतिः चेति । (धर्मशास्त्र के इतिहास, डॉ. काणे)
7. “स्वारोचिषश्चोत्तमिश्च तामसो रैवतस्तथा ।
चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वत्सुत एव च” ॥ (मनुसंहिता - १.६२, पृष्ठाङ्कः - २२५)
8. मनुसंहिता - ९.२६, पृष्ठाङ्कः - ९००
9. मनुसंहिता - ९.३, पृष्ठाङ्कः - ८९०
10. “अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत् ।
शौचे धर्मेऽन्नपत्त्याञ्च पारिणाह्यस्य वेक्षणे” ॥ (मनुसंहिता - ९.११, पृष्ठाङ्कः - ८९४)
11. मनुसंहिता - ९.१३, पृष्ठाङ्कः - ८९४
12. मनुसंहिता - २.६७, पृष्ठाङ्कः - २८२

13. “त्रिभागवयस्का च कन्या वोढूर्युनो योग्येति। गृहीतवेदश्चोपकुर्वाणको गृहस्थाश्रमं प्रति न विलम्बेतेति सत्वर इत्यस्यार्थः”। मन्वर्थमुक्ताबली ९.९४ इत्यस्य श्लोकस्य प्रसङ्गे, (मनुसंहिता, पृष्ठाङ्कः -९२७)
14. मनुसंहिता -९.१९०, पृष्ठाङ्कः -९६४
15. मनुसंहिता -९.१९४, पृष्ठाङ्कः -९६५
16. मनुसंहिता -९.१९५, पृष्ठाङ्कः -९६६

सन्दर्भग्रन्थाः -

1. अमरसिंहः (२०१०) अमरकोष वा अमरार्थ-चन्द्रिका (बांला)/ श्रीमद्गुरुनाथविद्यानिधि-भट्टाचार्यः/ संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार ३८, विधानसरणी, कलकाता -७००००६/ देवाशिषभट्टाचार्यः।
2. आचार्य-हंसराजः अग्रवालः (१९६३) संस्कृत-साहित्येतिहासः (संस्कृतम्) चौखम्बा-सुरभारती-प्रकाशन के० ३७/११७, गोपालमन्दिरलेन, वाराणसी - २२१००१
3. धीरेन्द्रनाथवन्द्योपाध्यायः (१९८८) संस्कृतसाहित्ये इतिहास (बांला)/ आर्य भ्यानसन (नवमतल) कलकाता -७०००५६/ पश्चिमबङ्ग-राज्य-पुस्तक-पर्षद्।
4. महर्षि-मनु-प्रणीता (२०१६) मनुसंहिता (बांला)/ डॉ मानवेन्दुवन्द्योपाध्यायशास्त्री/ संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार ३८, विधानसरणी, कलकाता -७००००६/ देवाशिषभट्टाचार्यः।
5. श्रीमद्याज्ञवल्क्यप्रणीता (२०१४) याज्ञवल्क्यसंहिता व्यवहार-अध्यायः (बांला)/ श्रीमतीसुमितावसुन्यायतीर्थ/ संस्कृत-पुस्तक-भाण्डार ३८, विधानसरणी, कलकाता -७००००६/ देवाशिषभट्टाचार्यः।

* * *

‘आधुनिक परिप्रेक्ष्य में मदालसा’ चरित्र की प्रासंगिकता

डॉ. प्रवीण बाला

सहायक प्राध्यापक, संस्कृत विभाग
भारती महाविद्यालय

विश्व की अनन्य संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का अपना विशिष्ट स्थान है। भारतीय संस्कृति की यह विशिष्टता स्त्री के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता के भाव से परिलक्षित होती है। स्त्री ही अव्यक्त परमात्मा की व्यक्त सत्ता है जिसमें सृजन की इच्छा, संस्कारित करने वाला ज्ञान, जीव को पोषण करने वाली क्रिया विद्यमान है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया परमात्मा की तीन शक्तियाँ हैं जो सामूहिक रूप से स्त्री में देखी जाती है। स्त्री जब किसी पुरुष की सहधर्मिणी बनती है, तब वह पुरुष के धर्म-अर्थ-कामादि पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली सिद्धिधार्त्री होती है, जब वह संतान को जन्म देती है तो वह वंशवृद्धि का कारण बनती है, साथ ही संतान को उत्तमोत्तम गुणों से संस्कारित कर, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के योग्य बनाती है तब वह मातृशक्ति कहलाती है। वराहमिहिर ने बृहदसंहिता के स्त्री प्रशंसा अध्याय में निम्न भावों की अभिव्यक्ति की है -

तदर्थ धर्मार्थो सुतविषय सौख्यानि च ततो ।

ग्रहे लक्ष्मयो मान्या सततमबला मानविभवै ॥¹

अर्थात् स्त्री के कारण ही पुरुष अपने पुरुषार्थों को सिद्ध करने में समर्थ होता है, अतः स्त्री गृहलक्ष्मी होती है इसका सदैव सम्मान करना चाहिए। अतः संसार को सार प्रदान करने वाली स्त्री है। स्त्री के बिना कोई भी तत्त्व निज आकार को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता। स्त्री में विद्यमान मातृत्व ही उसे सृजन की शक्ति देता है। ऐसा कहा जाता है मातृत्व स्त्री की सुखद अनुभूति एवं उसके सौन्दर्य की पराकाष्ठा है जो शिशु के प्रति प्रेम एवं सृजन से उसे प्राप्त होती है। भारतीय ज्ञान परम्परा में स्त्री में विद्यमान सृजनाशक्ति की अनेक रूपों में महिमा का गुणगान मिलता है। इसी परम्परा में मातृशक्ति की प्रतिमूर्ति के रूप में मार्कण्डेय पुराण में मदालसा का वर्णन मिलता है। मदालसा गन्धर्व राज विश्वासु की पुत्री थी। इनका विवाह राजकुमार ऋतुध्वज से हुआ था। ऋतुध्वज धर्मप्रिय एवं मुनियों की तपस्या को सफल करने वाले थे। एक समय इसी कारण से जब वे नगर से बाहर गए हुए थे तब एक षड्यन्त्र के तहत मदालसा को ज्ञात होता है कि ऋतुध्वज की मृत्यु

हो गयी है। पति की मृत्यु का समाचार पाकर मदालसा शीघ्र ही स्व प्राण त्याग देती है। जब राजकुमार वापस राजधानी आते हैं तो मदालसा को न पाकर शोकाकुल हो पुनर्विवाह करने से मना कर देते हैं। इस पर अश्वतर नागराज जो ऋतुध्वज के बाल्यावस्था के मित्र के पिता थे, जब राजकुमार द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पता चलता है तब वे शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर मदालसा के समान आयु की पुत्री की इच्छा प्रकट करते हैं। शिव की कृपा से अश्वतर नागराज के यहाँ मदालसा का पुनरवतरण होता है। ये रूप और सौन्दर्य में मदालसा के जैसी ही थी। अश्वतर नागराज शिवकृपा से प्राप्त मदालसा को ऋतुध्वज से मिलवाने का माध्यम बनते हैं। ये मदालसा ब्रह्मज्ञानी महिला थी। इनके चार पुत्र हुए थे विक्रान्त, सुबाहु, शत्रुमर्दन तथा अलर्क। इनके विषय में कहा जाता कि इन्होंने अपने तीन पुत्रों को पालने में लोरियों को सुनाते-सुनाते आत्मज्ञान प्रदान किया था। मदालसा जितनी वैराग्य मार्ग अर्थात् निवृत्ति मार्ग की ज्ञाता थी उतनी ही प्रवृत्ति मार्ग अर्थात् सांसारिक विषयों की ज्ञाता थी। मदालसा ने जिस प्रकार अपने पुत्रों को शिक्षा प्रदान की उससे यही ज्ञात होता है कि जैसे कुम्भार अपनी इच्छानुसार बर्तन को आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार माँ अपनी संतान को मन चाहा आकार प्रदान करती है। इन्होंने अपने तीन पुत्रों को जन्म से वैराग्य मार्ग की शिक्षा दी जिससे वे तीनों वैराग्य मार्ग का आश्रय लेकर सांसारिक क्रियाओं से विलग होकर एकान्तवास में चले गए। जब वे अपने चतुर्थ पुत्र को भी इसी प्रकार की शिक्षा दे रहीं थी तब उनके पति ऋतुध्वज ने उन्हें रोकते हुए कहा कि तीन पुत्र वैराग्य मार्ग पर चले गए हैं यदि चतुर्थ पुत्र अलर्क भी वैराग्य का अनुसरण कर लेगा तो इस राज्य का क्या होगा, पितृदेव कैसे सन्तुष्ट होंगे तथा संसार का सृजन एवं निर्माण कैसे होगा? पति के द्वारा रोके जाने पर मदालसा अपने चौथे पुत्र अलर्क को सांसारिक क्रियाओं के मूल संसार का निर्माण करने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सर्वप्रथम मदालसा सांसारिक सुख के सारभूत कर्तव्य को संकेतित करते हुए बताती है कि प्रत्येक मनुष्य को विभिन्न प्रकार के पर्वों के आने पर ब्राह्मणों का दान देना चाहिए, सहोदरों तथा सगे-सम्बन्धियों की समय-समय पर इच्छा को पूर्ण करते रहना चाहिए, दूसरों के हित का चिंतन करना चाहिए, दूसरों की स्त्रियों के प्रति मन नहीं लगाना चाहिए। यज्ञादि क्रियाओं के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, दानादि से ब्राह्मणों को, स्त्रियों को काम से प्रसन्न करना चाहिए तथा शत्रुओं के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

यज्ञैरनेकैर्विषुधानजस्रमर्थैर्द्विजान प्रीणयसंश्रितांश्च।

स्त्रियश्च कामैरतुलैश्चिराय युद्धैश्चारीस्तोषयितासिवीरा।²

राजधर्म के विषय में शिक्षा देते हुए मदालसा अलर्क को समझाती हैं कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि सबसे पहले वह स्वयं को वश में करे क्योंकि जब तक राजा अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करता है तब तक वह अन्य किसी को भी जीतने में समर्थ नहीं होता है। स्वयं को वश में करने के पश्चात् राजा को मन्त्रियों, सेवकों तथा प्रजा को वश में करना चाहिए है तत्पश्चात् सबसे अन्त में राजा को अपने शत्रुओं को वश में करना चाहिए।

प्रागात्मा मन्त्रिणश्चैव ततो भृत्या महीभृता।

जैयाश्चानन्तरं पौरा विरुध्येत् ततोऽरिभिः॥³

राजा को अपने काम, क्रोध, मोह, मद एवं मात्सर्य के साथ-साथ अपने हर्ष पर भी विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्योंकि छः शत्रुओं सहित हर्ष भी संतुलन में न हो तो वह भी राजा के विनाश का कारण बनता है। छः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना तो बड़ी बात है इनमें से किसी एक के होने पर भी राजाओं का विनाश देखा गया है। इतिहास साक्षी है काम के वशीभूत राजा पाण्डु का पतन हुआ, क्रोध पर विजय न प्राप्त करने के कारण अनुहद का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ, लोभ के कारण राजा पुरुरवा मारा गया, मद से राजा वेणु और मान करने के कारण बलि, हर्ष के कारण पुरञ्जय की मृत्यु हुई थी। इन सभी पर विजय प्राप्त करने वाले राजा मरुत हुए थे जिन्हें अन्ततः 'महात्मा' की उपाधि प्राप्त हुई।

कामः क्रोधश्चलोभश्चमदोमानस्तथैव च हर्षश्च रात्रवोहयेते

विनाशाय महीभृताम् कामप्रसक्तमात्मानं --- स्वीयानमहीपति॥⁴

अतः राजा को अपने आन्तरिक शत्रु जीतने का सर्वदा प्रयास करते रहना चाहिए। इन पर विजय किये बिना बाह्य विजय चिरस्थायी नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त राजा को सदैव प्रकृति के समीप रहते हुए वन्य पशु-पक्षियों के चरित से भी शिक्षा लेनी चाहिए। अतः राजा को प्रमुखतः काक, कोकिल, भौंरों, हिरन, सर्प, मोर, हंस, कुकुर तथा लोह के चरित्र से शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। राजा को विपक्षियों से कीट के समान अपना कार्य निकालना चाहिए। राजा को अग्नि के कण और शाल्मलि के वृक्ष के बीज के समान सदैव चेष्टा करनी चाहिए। राजा को सदैव सूर्य एवं चन्द्रमा की भाँति पृथिवी को देखते रहना चाहिए अर्थात् सम्पूर्ण प्रजा को दूर होते हुए भी देखते रहना चाहिए। प्रजा का संरक्षण एवं पोषण में रत राजा को इन्द्र, सूर्य, यम, चन्द्रमा एवं वायु के समान आचरण करना चाहिए। राजधर्म के सार समझाने के बाद पुत्र अलर्क के द्वारा सामाजिक जीवन को सार प्रदान करने वाली शिक्षा की जिज्ञासा प्रकट की, इस पर मदालसा अलर्क को सामाजिक जीवन का सार बताती है। यहाँ पर समाज रूपी यज्ञीय वेदी के चार यूप अर्थात् चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र हैं। अतः ये चार वर्ण ही समाज को चलाने वाले होते हैं। राजा को इन चारों वर्णों के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण वर्ण का कर्तव्य अध्ययन, यज्ञ, अध्यापन है। क्षत्रिय का वर्ण धर्म अध्ययन, दान, यज्ञ है इसकी आजीविका का साधन शस्त्र है। वैश्य का धर्म अध्ययन, दान और यज्ञ है। वैश्य की आजीविका का साधन वाणिज्य तथा पशुपालन है। चतुर्थ वर्ण शूद्र का धर्म दान, यज्ञ है। द्विजातियों की सेवा एवं शिल्पकर्म इनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। अतः समाज के चार वर्ण जब तक स्व धर्म से आबद्ध होकर कार्य करते हैं तब तक समाज की उन्नति होती है किन्तु स्व धर्म से भ्रष्ट होकर मनुष्य निषिद्ध आचरण करता हुआ समाज की अवनति का कारण बनता है। इससे प्रजा का ही पतन नहीं होता अपितु राजा का भी पतन होता है। प्रजा एवं राजा की धर्मसंगत क्रिया ही सिद्धि प्राप्त कराती हैं इसके विपरीत आचरण समाज के पतन का कारण बनता है।

दानमध्ययनं यज्ञो ब्राह्मणस्य त्रिधामतम ।⁵

दानमध्ययनं यज्ञो क्षत्रियस्याप्यं त्रिधा ।⁶

दानमध्ययनं यज्ञो वैश्य स्यापि त्रिधैवसः।⁷

दानमध्ययनं यज्ञोऽयश्रुषा द्विजातीनां त्रिधामया।⁸

वर्ण धर्म से तात्पर्य यहाँ पर व्यक्ति के द्वारा चयन किये गए धर्म से है। क्योंकि वर्ण शब्द वृञ् वरणे धातु से निष्पन्न हुआ है जिसका अर्थ ‘चयन’ है। वर्ण धर्म की शिक्षा देने के पश्चात् वे अलर्क को आश्रम धर्म की शिक्षा देती है। वे कहती हैं किसी भी बालक को स्वेच्छानुसार क्रिया तभी तक करनी चाहिए जब तक कि उसका उपनयन संस्कार न हो। जब बालक का उपनयन संस्कार हो जाए तब उसे गुरु के घर में रहकर ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। गुरु के आदेश से अग्नि में आहुति, स्वाध्याय, भिक्षा के लिए भ्रमण करना चाहिए। भिक्षा में प्राप्त सम्पूर्ण अन्न गुरु को समर्पित कर देना चाहिए।

स्वाध्यायाऽथाग्निशुश्रुषा स्नानंभिक्षाटनं तथा।

गुरोर्निवेद्य तच्चान्नमनुज्ञातेन सर्व्वदा ॥⁹

समावर्तन संस्कार के पश्चात् गृहस्थ धर्म के निर्वहन की इच्छा रखने वाले युवक को भिन्न गोत्र में जन्मी कन्या, जो रोगरहित, स्त्रियोचित चिन्हों से युक्त सदृश वर्ण वाली स्त्री से विवाह करना चाहिए। अपने द्वारा कमाए गए धन से पितरों, देवता तथा अतिथियों की भक्तिपूर्वक सेवा करना चाहिए तथा अपने आश्रितों का पोषण करना चाहिए।

स्वकर्मणा धनं लब्ध्वा पितृ देवातिथींस्तथा।

सम्यक् सम्प्रीणयन् भक्त्या पोषयेच्चाश्रितांस्तथा॥¹⁰

सदृशवर्ण की स्त्री से विवाह के पश्चात् दाम्पत्य धर्म की सार्थकता हेतु प्रत्येक गृहस्थ को तीन प्रकार के कर्म को करना चाहिए (1) नित्य (2) नैमित्तिक (3) नित्य नैमित्तिक। नित्य कर्म उन्हें कहते हैं जो पञ्चमहायज्ञ के सफलीभूत किए जाते हैं। पुत्रजन्म आदि के अवसर पर किये जाने वाले कर्म नैमित्तिक कर्म होते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्वों और श्राद्ध आदि के उलक्ष्य में किये गये कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म कहे जाते हैं।

नित्यंनैमित्तिकश्चैव नित्यंनैमित्तिकंतथा।

गृहस्थस्य त्रिधा कर्मतन्निशामय पुत्रका॥¹¹

पितरों को प्रसन्न करने के लिए जो कर्म गृहस्थ को करने चाहिए अब मैं उनको बताती हूँ। हविष्यान्न से पितृ एक माह तक प्रसन्न रहते हैं। हिरन पशु-पक्षियों के मांस से पितृ केवल दो से चार माह तक ही प्रसन्न रहते हैं जबकि गाय के दूध से बनी खीर से पितृ एक वर्ष तक तृप्त रहते हैं। पितरों को जौ, गेहूँ, तिल, मूँग,

सरसों, गूलर आदि अर्पण करने से प्रसन्न होते हैं। लहसुन, प्याज, मूली, करम्भ, अलाबू तथा गान्धारिका आदि सब वर्जित है। मदालसा कहती हैं कि प्रत्येक गृहस्थ को देवताओं को हव्य, पितरों को कव्य देना चाहिए अतिथि सहित बन्धु बान्धवों को अन्न के द्वारा सन्तुष्ट करना चाहिए। भूत, प्रेत, सेवक, पशु-पक्षी, चींटी, भिखारी, याचक तथा जो घर में रहते हों उनको सदाचरण करने वाला गृहस्थ अन्न से पूजे। इसके अलावा जो गृहस्थ नित्यनैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप का भागी होता है।

सदाचारवता तात साधुना ग्रहमेधिना।

पापं भुङ्क्ते समुल्लङ्घय नित्यनैमित्तिकीः क्रिया ।¹²

गृहस्थ धर्म की शिक्षा के उपरान्त वे वानप्रस्थ आश्रम की क्रिया को बताते हुए कहती हैं कि बुद्धिमान पुरुष जब आयु के दो भाग पूर्ण कर चुका हो तब अपनी शुद्धि के लिए वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करना चाहिए। वानप्रस्थी को होम, दिन में तीन बार स्नान, जरा और वल्कल वस्त्र धारण करने चाहिए। योगाभ्यास से अपनी इन्द्रियों को वश में करना चाहिए, जंगली जीवों पर स्नेह करते रहना चाहिए। शुद्धि को प्राप्त हुआ मानव ही संन्यास आश्रम का अधिकारी होता है। संन्यास आश्रम में रहते हुए मनुष्य को सत्य, अहिंसा, दूसरे से ईर्ष्या न करना, शांति के लिए सदैव प्रयास करना, अक्रूरता, कृपणता का अभाव, सन्तोष के लिए सदा अभ्यासरत रहना चाहिए।

सत्यंशोचमहिंसा च अनसूया तथा क्षमा।

आनुशंस्यमकार्पण्यं सन्तोषश्चाष्टमोगुणः।¹³

यदि कोई भी सामाजिक प्राणी उक्त वर्ण आश्रम धर्म का उल्लंघन करता है तो उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाते हैं और ऐसी अनुलघित आज्ञा वाली प्रजा अपने और अपने राजा के पुण्यों को क्षीण करती हुई राजा के विनाश का कारण बनती है।

गृहस्थ धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अलर्क माँ मदालसा से गृहस्थ धर्म के अङ्गीभूत सदाचरण एवं धन का विस्तार किस प्रकार किया जाए, ऐसी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। इस पर कुलनन्दिनी मदालसा कहती हैं कि सदाचरण ही मनुष्य का वह तप है जिस पर आधृत व्यक्ति अवगुणों को गुणों में परिवर्तित कर देता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को त्रिवर्ग की सिद्धि हेतु तथा लोक एवं परलोक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सदा ही सदाचरण के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

त्रिवर्ग साधने यत्नः कर्तव्यो गृहमेधिना।

तत्संसिद्धौ गृहस्थस्य सिद्धिरत्नपरस्त्र च ॥¹⁴

प्रत्येक गृहस्थ को अपने धन का चतुर्थ भाग परलोक के लिए व्यय करना चाहिए अर्थात् परोपकार हेतु। आधे धन को अपना भरण-पोषण तथा एक भाग को अपने पास रखकर उस धन का उपयोग व्यापार आदि क्रियाओं में कर धन की वृद्धि करना चाहिए।

पादञ्चात्मर्थमास्य मूलभूतं विदद्ध्येत।

एवमाचरतः पुत्र अर्थः साफल्यमर्हति ॥¹⁵

कुछ कार्य व्यक्ति भय से करता है, कुछ कार्य विरोध को दूर करने के लिए करता है ये दोनों ही कार्य त्रिवर्ग को सिद्ध करने में सहायक होते हैं। धर्म से धर्मानुबन्ध होता है और धर्म आत्मार्थ में बाधक नहीं होता अपितु इन दोनों के आधार पर काम दो प्रकार का होता है। ब्राह्ममूर्हत में उठकर धर्म और अर्थ का चिन्तन करें तथा कार्य में कठिनाइयाँ हों तो उनको वेदतत्त्व से विवेचन तथा चिन्तन कर दूर करना चाहिए। झूठा वाद-विवाद और दुष्टों की सेवा सब छोड़ देनी चाहिए।

नैतिकता का सार बताते हुए मदालसा कहती है कि नैतिक मूल्यों के बिना किसी भी मनुष्य का उत्थान संभव नहीं होता। अतः व्यक्ति को अपने उत्थान के लिए मूल्य परक जीवनयापन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने से विद्वान है अथवा कोई गर्भवती स्त्री है या फिर बोझ लदा हुआ अपने से श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ को सदा मार्ग देना चाहिए। मूक, अन्धे, बहरे, मतवाले और विक्षिप्त, पुश्वली स्त्री, वैरी बालक और पतित के लिए भी रास्ता छोड़ देना चाहिए। मित्र, दीक्षा प्राप्त मनुष्य, राजा, स्नातक तथा श्वसुर, ऋत्विक् आदि में से कोई यदि घर पर आए तो इसका अर्घ्य देकर पूजन करना चाहिए। जहाँ पर खेत बहुतायत से हों भोगने वाले कम हों और जहाँ पर बहुत प्रकार की औषधियाँ हों वहाँ ही चतुर मनुष्य को रहना चाहिए।

यस्मिन् कृषीवला राष्ट्रे प्रायशोनाति भोगिनः।

यत्रौषधान्यशेषाणिवसेत तत्र विचक्षणः॥¹⁶

जिनसे पूर्व में शत्रुता रही हो या फिर जहाँ सभी मनुष्य उत्सव प्रिय हो, जहाँ अपनी जीत की इच्छा रखने वाले लोग हों वहाँ विद्वान मनुष्य को नहीं रहना चाहिए।

जिगीषुः पूर्ववरैश्चजनश्च सततोत्सवः॥¹⁷

अतः उक्त वर्णन से स्पष्ट होता है स्त्री ही वह सत्ता है जो जैसा चाहे वैसा अपने संसार कर निर्माण कर सकती है। मदालसा जैसी शिक्षित स्त्रियाँ सदैव समाज में सम्मानित रहीं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से समाज निर्माण में योगदान दिया। क्योंकि कहा जाता है व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। अतः स्त्री सृजन, पोषण तथा संस्कारित करने वाली परम सत्ता है, यह सदा सम्माननीय एवं पूजनीय है।

सन्दर्भ—

- | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. वृहदसंहिता 72/4 | 6. वही, 28/5½ | 12. मार्कण्डेयपुराण 31/3 |
| 2. मार्कण्डेय पुराण 26/37 | 7. वही, 28/6 | 13. मार्कण्डेय पुराण 28/32 |
| 3. मार्कण्डेय पुराण 7/30 | 8. वही, 28/7½ | 14. मार्कण्डेय पुराण अध्याय 31/10 |
| 4. मार्कण्डेय पुराण 27/13, 14, 15, 16 | 9. मार्कण्डेय पुराण 28/12 | 15. मार्कण्डेय पुराण अध्याय 31/12 |
| 5. मार्कण्डेय पुराण 28/3½ | 10. मार्कण्डेय पुराण 28/19 | 16. मार्कण्डेय पुराण 34/116 |
| | 11. मार्कण्डेय पुराण 30/1 | 17. मार्कण्डेय पुराण 34/117 |

वेदों में नारी का स्वरूप

डॉ. रमेश कुमार

सहायक आचार्य, योग विज्ञान विभाग
श्री ला.ब. शा. रा. सं. विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

वेद ज्ञान की अनंत, चरम और परम सत्ता है इनसे परे कुछ नहीं है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष, स्वर्ग और नरक आदि के ज्ञान से निहित है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का मार्ग यहीं से प्रशस्त होता है। इसीलिए तो कहा गया है “स्वर्गकामो यजेत” स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को वेदों के मंत्रों से यज्ञ करना चाहिए। वेदों की चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना, सुनना - सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। जिसप्रकार वेदों में कर्म, ज्ञान और उपासना है उसीप्रकार नारी के विषय में भी विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। विश्व की किसी भी धार्मिक पुस्तक में नारी को उतना सम्मान नहीं मिला जितना वेदों से मिला है।

विधर्मियों का वेद विरुद्ध षडयंत्र

समाज के कुछ विधर्मी जो विदेशी मानसिकता और सोच से ग्रसित थे। वह विदेशी आक्रांताओं और उनकी ताकतों से प्रभावित होकर या यह कहें कि सत्ता की लोलुपता के कारण भारतीय परंपराओं को नष्ट करने के लिए कार्य कर रहे थे। उनके द्वारा वेदों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वेदों के कारण नारी जाति को सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अशिक्षा, समाज में नीचा स्थान, विधवा का अभिशाप, नवजात कन्या की हत्या आदि अत्याचार हुए हैं। और कुछ विधर्मियों ने यह प्रचलित कर दिया था कि जो नारी वेद मंत्र को सुन ले तो उसके कानों में गर्म सीसा डाल देना चाहिए और जो वेदमंत्र को बोल दे तो उसकी जिह्वा को अलग कर देना चाहिए। कोई नारी को पैर की जूती कहने में अपना बड़प्पन समझता था तो कोई उसे ताड़न की अधिकारी बताने में समझता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारी की अपमानजनक स्थिति पश्चिम से लेकर पूर्व तक के सभी देशों के इतिहास में देखने को मिलती है। इस विषय में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वेद इन अत्याचारों में से एक का भी समर्थन नहीं करते। अपितु वेदों में नारी को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि विश्व की किसी भी तथाकथित धार्मिक पुस्तक में उसका अंश भर सम्मान भी देखने को नहीं मिलता।

विधर्मियों का विरोध

महान समाज सुधारक वेदों के महान मनीषी महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि भारत देश में नारी जाति की अत्यंत दयनीय अवस्था १००० वर्षों से मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा हुई है। नारी जाति का अपमान, अपहरण, हरम, हत्या, पर्दा, सौतन, सतीप्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अशिक्षा, समाज में नारी का नीचा स्थान, विधवा का अभिशाप, नवजात कन्या की हत्या आदि कुप्रथाओं का प्रचलन जबरन धर्मांतरण और बलात्कारों के कारण हुआ है।

सही ज्ञान के अभाव में कुछ लेखकों द्वारा वेदों में नारी की स्थिति को निकृष्ट रूप में दर्शाया गया है। जो नितांत गलत है। हमारे वैदिक साहित्य में तो नारी का सम्मान करने से देवताओं के प्रसन्न होने की बात कही गई है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥¹

जहां स्त्रीजाति का आदर-सम्मान होता है, उनकी आवश्यकताओं-अपेक्षाओं की पूर्ति होती है उस स्थान, समाज, तथा परिवार पर देवतागण प्रसन्न रहते हैं और उस स्थान पर देवताओं का वास होता है। जहां ऐसा नहीं होता और उनके प्रति तिरस्कारमय व्यवहार किया जाता है, वहां भय, रोग, शोकादि का वातावरण बना रहता है। वहाँ सुख, शान्ति व देवकृपा का अभाव हो जाता है और वे मनुष्य दुःखत्रय, और अनंत कष्टों को भोगते रहते हैं। धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन करते हुए महर्षि दयानंद ने पाया कि धर्म के नाम पर नारी जाति को समाज में जिस प्रकार से तिरस्कृत किया जा रहा था सत्य उसके बिल्कुल विपरीत था।

वेदों में नारी के कर्तव्य एवं अधिकार

वेदों में नारी की स्थिति का अत्यंत गौरवमय वर्णन प्राप्त होता है। वेद की नारी - देवी हैं, विदुषी हैं, प्रकाश से परिपूर्ण हैं, वीरांगना हैं, वीरों की जननी हैं, आदर्श माता हैं, कर्तव्यनिष्ठ धर्मपत्नी हैं, सदृहणी हैं, साम्राज्ञी हैं, संतान की प्रथम शिक्षिका हैं, अध्यापिका बनकर कन्याओं को सदाचार और ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देनेवाली हैं। वैदिक काल से ही ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि प्राचीनकाल की स्त्रियाँ मात्र शिक्षित ही नहीं थीं, अपितु उच्च कोटि की विदुषी भी थीं। उनका भी उपनयन संस्कार होता था। और बालक व बालिका को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों की ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें से घोषा, विश्ववारा, रोमशा आदि प्रमुख हैं। इन ऋषिकाओं की सूची 'बृहदेवता' के २४वें अध्याय में प्राप्त होती है। उपनिषदों में पता चलता है कि स्त्रियाँ भी वाद-विवाद करती थीं। ब्राह्मणों से वाद-विवाद के अवसर पर गार्गी ने अपने पति याज्ञवल्क्य को विजय दिलायी थी²। इनकी दोनों पत्नियाँ गार्गी तथा मैत्रेयी उच्च कोटि की विदुषी थीं। अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा भी विदुषी थी। अपाला ने अपने पिता के गुरुकुल में ही शिक्षा पायी थी। उस समय विद्वान् पुत्र के समान ही विदुषी पुत्री की भी कामना की

जाती थी। स्त्रियों को केवल शिक्षा का ही नहीं, बल्कि यज्ञादि धार्मिक कार्यों को करने का भी अधिकार प्राप्त था। समाज में उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त था। कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के बिना अधूरा माना जाता था। 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' में कहा गया है- **अयज्ञो वा ह्येष योऽपत्नीक**³। इसी में पत्नी को 'पुरुष का आधा स्वरूप' कहा गया है तथा 'शतपथ ब्राह्मण' के अनुसार, पत्नी के बिना पुरुष अधूरा होने के कारण सब यज्ञों का अधिकारी नहीं बनता था।⁴ तत्कालीन स्त्रियाँ युद्ध-कला में भी निपुण थीं। वेदों की नारी पूज्य, स्तुति योग्य, रमणीय, आह्वान-योग्य, सुशील, यशोमयी हैं।

वेदों में नारी शिक्षा

वैदिक काल में कन्या, पुत्र की ही भाँति पर्याप्त रूप से समाहृत थी, जिसका प्रमाण हमें एक ऋग्वेद के मन्त्र से प्राप्त होता है, जिसमें दंपति अपने पुत्र-पुत्रियों के दीर्घायु होने की कामना करता है।⁵ अन्यत्र भी माता-पिता के वक्षः स्थल पर लेटी हुई बाल कन्याओं का वर्णन प्राप्त होता है, जो कन्याओं की प्रियता का साक्षी है।⁶ बृहदारण्यकोपनिषद् में विदुषी पुत्री की प्राप्ति हेतु कामना की गई है⁷ तथा उसके निमित्त पूजा-पद्धति का भी संकेत है। वैदिक काल में कन्या पुत्र की भाँति समान शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार रखती थी। शिक्षा के प्रारम्भ से पूर्व, पुत्री को भी उपनयन संस्कार से संस्कारित कर अध्ययन करने का अधिकारी बनाया जाता था। गुरुकुल में रहकर, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए यज्ञोपवीत, मेखला तथा वल्कल वस्त्र धारण करती हुई शिक्षा प्राप्त करती थीं। यमस्मृति में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है-

पुराकल्पे कुमारीणां मौञ्जीबन्धमिष्यते।

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥⁸

इस निमित्त यजुर्वेद में कन्याओं को सुशिक्षित करने हेतु उपदेश भी प्राप्त होता है।⁹ अथर्ववेद में एक स्थान पर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने वाली कन्याओं द्वारा शिक्षा की परिसमाप्ति पर योग्य वर को प्राप्त करने का उल्लेख प्राप्त होता है।¹⁰

वैदिक शिक्षा के अतिरिक्त कन्या युद्धविद्या, परा एवम् अपरा विद्याओं, गणित, शिल्प, नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि विद्याओं में शिक्षा प्राप्त करने की अधिकारिणी थीं। वैदिक सूक्तों में '**विष्पला, वधिमती, मुद्गलानी**¹¹ आदि महिला योद्धाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद में नृत्य-गीत में कुशल नारियों का वर्णन भी मिलता है।¹²

महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश में नारी जाति की शिक्षा के विषय में वेद मंत्रों को उदग्रहित करते हुए कहते हैं कि जन्म से पांचवें वर्ष तक के बालकों को माता तथा छः से आठवें वर्ष तक पिता शिक्षा करे और ९ वें के प्रारंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करके जहाँ पूर्ण विद्वान तथा पूर्ण विदुषी स्त्री, शिक्षा और विद्या-दान करने वालों वहाँ लड़के तथा लड़कियों को भेज दें अर्थात् गुरुकुल में भेज दें।¹³ कन्या की शिक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण उनका उपनयन संस्कार से संस्कारित होना आवश्यक ही नहीं

अनिवार्य भी था। यज्ञोपवीता नारी का उल्लेख ऋग्वेद संहिता में प्राप्त होता है।

देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता दुर्धा दधाति परमं व्योमन्॥¹⁴

कन्याएँ यज्ञोपवीत धारण कर ज्ञानार्जन हेतु गुरुकुलों में निवास करती थीं। अथर्ववेद संहिता भी नारी के उपनयन एवं वेदाध्ययन के अधिकार का समर्थन करती है। महर्षि दयानंद लड़कियों को लड़कों के बराबर की शिक्षा के लिए सन्देश दे रहे हैं। लड़कों को लड़कों की तथा लड़कियों को लकड़ियों की पाठशाला में भेज दें, लड़के तथा लड़कियों की पाठशालाएँ एक दूसरे से कम से कम दो कोस की दूरी पर हो।¹⁵

शिक्षा व्यवस्था राजा का कर्तव्य

ऋग्वेद का भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं कि राजा ऐसा यत्न करे जिससे सब बालक और कन्यायें ब्रह्मचर्य से विद्यायुक्त होकर समृद्धि को प्राप्त हों सत्य, न्याय और धर्म का निरंतर सेवन करें। राजा को प्रयत्नपूर्वक अपने राज्य में सब स्त्रियों को विदुषी बनाना चाहिए - **यजुर्वेद**। विद्वानों की यही योग्यता है कि सब कुमार और कुमारियों को पुन्दिता बनावें, जिससे सब विद्या के फल को प्राप्त होकर सुमति हों- **ऋग्वेद**। जितनी कुमारी हैं वे विदुषियों से विद्या अध्ययन करें और वे कुमारी ब्रह्मचारिणी उन विदुषियों से ऐसी प्रार्थना करें कि आप हम सबको विद्या और सुशिक्षा से युक्त करें - **ऋग्वेद**। इस प्रकार यजुर्वेद एवं ऋग्वेद में भी नारी को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इतने स्पष्ट प्रमाण होने के बाद भी मध्य काल में नारी जाति को शिक्षा से वंचित रखना न केवल उनपर अत्याचार था अपितु वेदों के प्रचलन से सामान्य समाज की अनभिज्ञता का प्रदर्शन भी था।

सहशिक्षा

सहशिक्षा के कारण चरित्र का हनन होता है। इसका परिणाम हमें आधुनिक समय में देखने को मिल रहा है। महर्षि दयानंद की दूरगामी सोच का अगर पालन होता तो न जाने कितनों के चरित्र की रक्षा हो जाती, इसलिए इस बात का ध्यान रहे जो वहां अध्यापिका और अध्यापक अथवा भृत्य, अनुचर हों, वे कन्याओं की पाठशाला में सब स्त्री तथा पुरुषों की पाठशाला में सब पुरुष रहें। स्त्रियों की पाठशाला में पांच वर्ष का लड़का और पुरुषों की पाठशाला में पांच वर्ष की लड़की भी न जाने पाए।¹⁶ जब तक वे ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी रहें तब तक पुरुष का दर्शन या पुरुष स्त्री का दर्शन, स्पर्शन, एकांत सेवन, भाषण, विषय-कथा, परस्पर क्रीडा, विषय का ध्यान और संग इन आठ प्रकार के मैथुनों से अलग रहें।¹⁷ भाव स्पष्ट है माता और पिता का चरित्र अगर उज्वल होगा तो संतान की उत्पत्ति भी सुयोग्य एवं चरित्रवान होगी।

शिक्षा नहीं देने पर दंड का विधान

महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि इसमें राजनियम होना चाहिए कि पांचवे अथवा आठवें वर्ष से

आगे अपने लड़के और लड़कियों को घर में न रख सकें, पाठशाला में अवश्य भेज दें। जो न भेजें वह दंडनीय हों।¹⁸ महर्षि दयानंद नारी शिक्षा के महत्व को यथार्थ में समझते थे क्योंकि माता ही शिशु की प्रथम गुरु होती है इसलिए उसका शिक्षित होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

मन्त्रद्रष्टा नारी

वैदिक काल में बौद्धिक क्षेत्र में नारी की उत्कृष्ट स्थिति अनेक साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित होती है। तत्कालीन अनेक मन्त्रद्रष्टा ऋषिकाओं का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में प्राप्त होता है। ऋषियों की भाँति ऋषि कन्याएँ भी ऋचाओं का निर्माण करती हुई दृष्टिगत होती हैं जो इस तथ्य का पोषक है कि नारियों को वेदमन्त्रों के अध्ययन एवं सृजन से विरत नहीं रखा जाता था। वैदिक काल में स्त्री जीवनपर्यन्त नैष्ठिक जीवन व्यतीत करते हुए ब्रह्मवादिनी रहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थी। उस काल में स्त्रियों के जीवन व्यतीत करने के दो प्रकार थे - ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवाह।

"द्विविधाः स्त्रियो ब्रह्मवादिन्यः सद्योवध्यश्च ।"

तत्र ब्रह्मवादिनी नामग्नीन्धनं वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचर्येति ॥

सद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे कथंचिदुपनयनमात्रं कृत्वा विवाहः कार्यः ।¹⁹

सद्योवाह वे नारियाँ थीं जो अपने ब्रह्मचर्याश्रम पर्यन्त विद्या ग्रहण करने तथा वेदाध्ययन करने के लिए अधिकृत थीं ताकि विवाहोपरान्त वे विभिन्न प्रकार के धार्मिक संस्कार एवं पूजा-पाठ सम्पन्न करके अपना दायित्व पूर्ण कर सकें। और ब्रह्मवादिनी स्त्रियाँ ब्रह्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करती थीं, सम्पूर्ण जीवन ब्रह्मचारिणी रहकर ध्यान योग करते हुए आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान - विज्ञान की शिक्षा देती थी।

स्वयंवर विवाह

जिस प्रकार वर को अधिकार है कि वह योग्य कन्या से विवाह करे उसी प्रकार वेदों में कन्या को भी अधिकार दिया गया है कि वह योग्यतम और अपनी रुचि के अनुकूल वर का चुनाव करे।

वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेदभाष्य में स्वयंवर विवाह का वर्णन किया है-

क्रियति योषा मर्यतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण ।

भद्रा वधूर्भवति यत् सुपेशाः, स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित् ॥²⁰

अर्थात् - "स्त्री अपने समान पुरुष तथा पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ आपस में प्रसन्न होकर, स्वयंवर विधान से विवाह करके सब कार्यों को सिद्ध करें। पाणिग्रहण संस्कार के समय पति के मुख से ऋग्वेद के ऋषि ने जो वाक्य कहलवाए हैं इनके द्वारा वैदिक समाज में गृहजीवन, सौमंगल्य एवं दाम्पत्यजीवन सम्बन्धी आदर्श उत्कृष्ट रीति से व्यक्त होते हैं।²¹

गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः ।

भगो अर्यमा सविता पुरन्धिः मह्यं त्वादुः गार्हपत्याय देवाः ॥²²

मैं तुम्हारे और अपने सौभाग्य के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, जिससे तुम मुझ पति के साथ रहती हुई दीर्घ जीवन को प्राप्त करो। भाग्यमति, अर्यमा, पुरन्धी आदि समस्त दिव्य विभूतियों ने तुम्हें मेरे हाथों में इसलिए सौंपा है कि मैं गृहस्थ धर्म का पालन कर सकूँ।

भगस्ते हस्तमग्रहीत्, सविता हस्तमग्रहीत् ।

पत्नी त्वमसि धर्मणा, अहं गृहपतिस्तव ॥²³

हे देवी ! ऐश्वर्यवान् बनकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, धर्ममार्ग में प्रेरक बनकर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम धर्म से मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा गृहपति हूँ।

वैदिक समाज में विवाह नामक पवित्र कार्य अत्यन्त सुव्यवस्थित था। यह सम्बन्ध शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक और आध्यात्मिक भी था। वैदिक विवाह पद्धति से स्पष्ट है कि उस समय बाल-विवाह समाज में स्वीकृत नहीं था। वेद के अनुसार जब लड़का और लड़की ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त कर युवक और युवती हो जाते हैं तभी उनका विवाह होना चाहिए

“ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्” ।²⁴

इसी प्रकार अन्य मन्त्र में विवाह योग्य स्त्री के लिए 'अशिश्नी- जो बालिका नहीं है' एवं 'नव्याः नव्याः युवतयः भवन्ति'²⁵ का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में उषा द्वारा देदीप्यमान सूर्य को प्राप्त किए जाने की उपमा युवा पति को प्राप्त करने वाली युवती से दी गई है

कन्येव तन्वा शाशदानाँ एषि देवि देवमियक्षमाणम् ।

संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥²⁶

इसी प्रकार अन्य उदाहरण युवति कन्या ने आनन्दित होकर मेरे सम्मुख स्पष्टतः अपने विवाह का प्रस्ताव किया है। “उप यमेति युवतिः सुदक्षम्”²⁷ युवती श्रेष्ठ बली युवक को प्राप्त करती है।

नववधू का ससुराल में स्वागत और उसके कर्तव्य

वैदिक काल में ससुराल में नववधू का अत्यधिक स्वागत होता था। वेद में स्त्री को 'घर की रानी' कहा गया है। इसी से उस समय परिवार में स्त्री की उच्च स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि-

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा ।

एवं त्वं सम्प्राज्ञेऽधिः पत्युरस्तं परेत्यं च ॥²⁸

अर्थात् जैसे बलशाली समुद्र नदियों का साम्राज्य चलाता है, वैसे तुम पति के घर में पहुँच कर वहाँ साम्राज्ञी बनकर रहो । शिक्षित, सुरक्षित और शीलवती पुत्री ही कुलवधू का रूप धारण करती है । उस समय का परिवार ऐसी कुलवधू की कामना करता था, जो सास-ससुर के लिए सुखकारिणी हो— 'श्वशुराय शम्भूः स्योना श्वश्रवे ।'²⁹ या हम यह कह हैं कि पति और पत्नी का संबंध अटूट पवित्र बंधन से बंधा होता था ।

वैदिक मन्त्रों में नारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हुए महान् बनने के लिए प्रेरित किया है । विवाह के अवसर पर कुलवधू को संबोधित करके कहा जाता था कि –

सम्राज्ञी श्वशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव ।

ननान्दरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अधि देवृषु ।³⁰

अर्थात् हे वधू ! तुम सास-ससुर, ननद और देवर की साम्राज्ञी के सदृश होकर सब पर राज करो । अथर्ववेद में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है –

'सम्राज्ञ्येधि श्वशुरेषु सम्राज्ञ्युत देवृषु, ननान्दुः।³¹

अर्थात् हे नववधू ! तू जिस नये घर में जा रही है, वहाँ की तू साम्राज्ञी बन । तेरे सास-ससुर, देवर, ननद आदि तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे राज में आनन्दित रहें । कुलवधू को पतिगृह में साम्राज्ञी का पद मिले तो वह भी प्रसन्न रहेगी और ससुराल में सबकी सेवा निष्ठापूर्वक करेगी अथवा पूज्यजनों का यह आशीर्वाद उसके लिए यह आदेश भी है कि वह अपने गुण और कार्यों से सभी का मन जीत ले । महाकवि कालिदास की दृष्टि में पत्नी को गृहिणी, सलाहकार, सखी और सङ्गीतकलाप्रिय होना चाहिए । भवभूति पत्नी को गृहलक्ष्मी मानते हैं । पत्नी का पति के जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है । घर में गृहिणी होने से ही 'घर' कहा जाता है । महाभारत के शान्तिपर्व में कहा गया है-

न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते ।³²

अतएव पति को पत्नी के प्रति तथा पत्नी को पति के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए । वेदों की यही भावना है कि पति-पत्नी एक दूसरे का साथ कभी न छोड़े, वह आजीवन साथ-साथ रहें । **मया पत्या जरदष्टिर्यथासः।**³³ इस प्रकार हमें वैदिक साहित्य में दाम्पत्य जीवन की झलक मिलती है । आज जो पारिवारिक सम्बन्ध टूट रहे हैं, यदि इनका समाधान चाहते हैं तो वेद के उपरिलिखित वचनों का पालन करना होगा ।

विधवा विवाह

वैदिक साहित्य के अनुशीलन से विधवा विवाह की प्रथा के उल्लेख प्राप्त होते हैं । ऋग्वेद के दशम मण्डल में पति के मृत्यु के पश्चात् विलाप करती स्त्री से कहा गया है कि "हे नारी ! मृत पति को छोड़कर जीवित संसार में आओ और उसकी पत्नी बनना स्वीकार करो जो तुमसे विवाह करने का इच्छुक है ।

क्रियति योषा मर्यतो वधूयो परिप्रीता पन्यसा वार्येण ।

भद्रा वधूर्भवति यत् सुपेशाः, स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित् ॥³⁴

वैदिक समाज पुरुष प्रधान या स्त्री प्रधान

कतिपय बुद्धिजीवियों का मानना है कि वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था। अतः पुत्री, पत्नी अथवा माता के रूप में स्त्री का समाज में महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं था। इसके लिए उनका तर्क होता है कि वैदिक प्रार्थनाओं में सर्वत्र पुत्र की ही कामना की गई है। वस्तुतः यह स्थापना उचित नहीं है -

वैदिक कोश निघण्टु के अनुसार अपत्य-वाची १५ शब्दों का प्रयोग किया जिसका अर्थ सन्तान के लिए किया गया है, जिसमें पुत्र और पुत्री दोनों सम्मिलित हैं। जो इस प्रकार हैं- तुक्, तोकम्, तनयः, तोक्म, तकम्, शेषः, अप्रस्, गयः, जाः, अपत्यम्, युहुः, सुनुः, नपात्, प्रजा, बीजम्, इति पञ्चदश अपत्यनामानि³⁵। इन सभी शब्दों के प्रयोग से पता चलता है कि वैदिक कालीन समाज पुरुष प्रधान नहीं था। वेदों में सन्तान की सर्वाधिक प्रार्थनाएँ 'प्रजा' शब्द से हैं। प्रजा से पुत्र और पुत्री दोनों का ग्रहण होता है।

'सं माग्ने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा | ऋग्वेद १/२३/२४

'आ नः प्रजां जनयतु प्रजापतिः' । ऋ० १०/८५/४३

'इमां नारीं प्रजया वर्धयन्तु । ऋ० १४/१/५४

पुत्री प्राप्ति की कामना

वेदों में कई स्थलों पर स्पष्ट रूप से कन्या (पुत्री) की भी कामना की गई है-

मम पुत्राः शत्रुहणोऽथो मे दुहिता विराट ॥³⁶

पुत्रीणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्रुतः ॥³⁷

यजुर्वेद की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रार्थना में कहा गया है कि -

आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् ।³⁸ हे ईश्वर हमारे राष्ट्र में विजयशील, सभ्य, वीर युवक पैदा हों, और साथ ही बुद्धिमती नारियों (पुरंधिः योषा) भी उत्पन्न हो। इस प्रकार की अनेक प्रार्थनाओं का वर्णन प्राप्त होता है।

वेदों में सती प्रथा

सन 1875 में महर्षि दयानन्द सरस्वती ने पूना में दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट घोषणा की थी कि "सती होने के लिए वेद की आज्ञा नहीं है"। वैदिक काल के इतिहास में कहीं भी सती होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मध्य काल में जब अवनति का दौर चला तब नारी जाति की दुर्गति आरम्भ हुई। सती प्रथा उसी काल के देन है।

जहाँ तक वेदों का प्रश्न है सायण ने अथर्ववेद के मंत्र में सती प्रथा दर्शाने का प्रयास किया है। सायण के अनुसार यहाँ पर वेद नारी को आदेश दे रहे हैं कि "यह नारी अनादीशिष्टाचारसिद्ध, स्मृति पुराण आदि में प्रसिद्ध सहमरणरूप धर्म का परिपालन करती हुई पतिलोक को अर्थात् जिस लोक में पति गया है उस स्वर्गलोक को वरण करना चाहती हुई, तुझ मृत के पास सहमरण के लिए पहुँच रही है। अगले जन्म में तू इसे पुत्र- पौत्रादि प्रजा और धन प्रदान करना। अगले मंत्र में सायण कहते हैं अगले जन्म में भी उसे वही पति मिलेगा। इसलिए ऐसा कहा गया है। यहाँ पर सायण के अर्थों को देखकर अनेक शंका उत्पन्न होती हैं। इस मंत्र का सही अर्थ इस प्रकार है – यह नारी पुरातन धर्म का पालन करती हुई पतिगृह को पसंद करती हुई। हे मरण धर्मा मनुष्य, तुझ मृत के समीप नीचे भूमि पर बैठी हुई है। उसे संतान और सम्पत्ति यहाँ सौंप। अर्थात् पति की मृत्यु होने के पश्चात् पत्नी का उसकी सम्पत्ति और संतान पर अधिकार है। हमारे कथन की पुष्टि अगले ही मंत्र में स्वयं सायण करते हुए कहते हैं कि “हे मृत पति की धर्मपत्नी ! तू मृत के पास से उठकर जीवलोक में आ, तू इस निष्प्राण पति के पास क्यों पड़ी हुई है? पाणिग्रहणकर्ता पति से तू संतान पा चुकी है, उसका पालन पोषण कर। सायण के इस अर्थ से हमें कोई शंका नहीं है। दोनों मन्त्रों में विरोधाभास होना वैदिक काल में सती प्रथा नहीं थी को सिद्ध करता है। मध्यकाल के बंगाल के कुछ पंडितों ने ऋग्वेद में अग्ने के स्थान पर अग्ने पढ़कर सती प्रथा को वैदिक सिद्ध करना चाहा था, परन्तु यह केवल असत्य कथन है। इस मंत्र में वधु को अग्नि नहीं अपितु अग्ने अर्थात् गृह में प्रवेश के समय आगे चलने को कहा गया है।

इस प्रकार से वेद के मन्त्रों के असत्य अर्थ निकाल कर सती प्रथा को वैदिक सिद्ध किया गया था। धन्य हैं आधुनिक भारत के विचारक राजा राममोहन राय, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद जिनके प्रयासों से सती प्रथा का प्रचलन बंद हुआ।

यज्ञ करने का अधिकार

वैदिक काल में नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार था जिसे मध्य काल में वर्जित कर दिया गया था। कुछ ग्रंथों में इस बात को प्रचलित कर दिया गया कि नारी का स्थान यज्ञवेदी से बाहर है। अथवा कन्या और युवती अग्निहोत्र की होता नहीं बन सकती। वेद का परम प्रमाण है। वेद नारी जाति को यज्ञ में भाग लेने का पूर्ण अधिकार देता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि - **यो वां यज्ञेभिरावृतो , अधिवस्त्रा वधूरिव सपर्यन्ता शुभे चक्राते अश्विना।**³⁹

नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर नववधू के तुल्य होकर अपने पति के साथ मिलकर प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से परिवार में शुद्धि, शान्ति, सहयोग और सद्भावना बनी रहती है। इसका अर्थ है कि स्त्रियों को यज्ञ करने का पूर्ण अधिकार है। जो पति-पत्नी समान मनवाले होकर यज्ञ करते हैं उन्हें अन्न, पुष्प, हिरण्य आदि की कमी नहीं रहती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि विवाह यज्ञ में वर वधू उच्चारण करते हुए एक दूसरे का हृदय-स्पर्श करते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि विद्वान लोग पत्नी सहित यज्ञ में बैठते हैं और नमस्करणीय (नमन करने योग्य जैसे ईश्वर, विद्वान आदि) को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद और

अथर्ववेद में भी यज्ञ में नारी के भाग लेने के स्पष्ट प्रमाण हैं।

वेद पढ़ने का अधिकार

कुछ अज्ञानी लोगों ने यह प्रचलित कर दिया है कि नारी और शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। परन्तु आज तक ऐसा मानने वाले वेद में एक भी मंत्र इस कथन के समर्थन में नहीं दिखा सके। इसके विपरीत वेदों में नारी को वेदाध्ययन करने का स्पष्ट सन्देश है।

ऋग्वेद में ईश्वर सन्देश देते हुए कह रहे हैं कि हे समस्त नर नारियों, तुम्हारे लिए ये मंत्र समान रूप से दिए गए हैं तथा तुम्हारा परस्पर विचार भी समान रूप से हो। मैं तुम्हें समान रूप से ग्रंथों का उपदेश करता हूँ।

ऋग्वेद में महर्षि दयानन्द लिखते हैं जो कन्या २४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचर्य पूर्वक अंग-उपांग सहित वेद विद्याओं को पढ़ती है, वह मनुष्य जाति को सुशोभित करने वाली होती है। यजुर्वेद के भाष्य में स्वामी दयानन्द लिखते हैं "यदि मनुष्य इस सृष्टि में ब्रह्मचर्य आदि से कुमार और कुमारियों को द्विज बनाएं तो वे शीघ्र विद्वान हो जाएं।"

ऋग्वेद के भाष्य में महर्षि दयानन्द लिखते हैं कि जिसप्रकार वैश्य लोग धर्म धारण करके धनोपार्जन करते हैं, उसी प्रकार कन्याओं को चाहिए कि विवाह से पहले शुभ ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके विदुषी अध्यापिकाओं को प्राप्त करके सुशिक्षा और (वेद) विद्या संचय करके विवाह करें।

यज्ञ में ब्रह्मा बनने का अधिकार

यज्ञ में ब्रह्मा का पद सबसे ऊँचा होता है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ज्ञान, कर्म और उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदों के पूर्ण ज्ञान से ही मनुष्य ब्रह्मा बन सकता है। शतपथ ब्राह्मण में इसी तथ्य का समर्थन किया गया है। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार जो सबसे अधिक परमेश्वर और वेदों का ज्ञाता हो उसे ब्रह्मा बनाना चाहिए।

ऋग्वेद में नारी को कहा गया है कि "स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ"⁴⁰ अर्थात् इस प्रकार से उचित सभ्यता के नियमों का पालन करती हुई नारी निश्चित रूप से ब्रह्मा के पद को पाने योग्य बन सकती है।

जब वेदों में स्पष्ट रूप से नारी जाति को यज्ञ में ब्रह्मा बनने का आदेश है तो अन्य ग्रंथों से इसके विरोध में अगर कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो वह अमान्य है क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण हैं।

वेदों में बहु-विवाह

वेदों के विषय में एक भ्रम यह भी फैलाया गया है कि वेदों में बहुविवाह की अनुमति दी गयी है। वेदों में स्पष्ट रूप से एक ही पत्नी होने का विधान बताया गया है। ऋग्वेद 10/85 को विवाह सूक्त के नाम

से जाना चाहता है।⁴¹ इस सूक्त के मंत्र ४२ में कहा गया है कि तुम दोनों इस संसार व गृहस्थ आश्रम में सुख पूर्वक निवास करो। तुम्हारा कभी परस्पर वियोग न हो और सदा प्रसन्नतापूर्वक अपने घर में रहो। यहाँ पर हर मंत्र में "तुम दोनों" अर्थात् पति और पत्नी आया है। अगर बहुपत्नी का सन्देश वेदों में होता तो "तुम सब" आता। ऋग्वेद में हम दोनों (वर-वधू) सब विद्वानों के सम्मुख घोषणा करते हैं कि हम दोनों के हृदय जल के समान शांत और परस्पर मिले हुए रहेंगे। अथर्ववेद में पति पत्नी के मुख से कहलाया गया है कि तुम मुझे अपने हृदय में बैठा लो, हम दोनों का मन एक ही हो जाये। ऋग्वेद में बहु विवाह की निंदा करते हुए वेद कहते हैं जिस प्रकार रथ का घोड़ा दोनों धुराओं के मध्य में दबा हुआ चलता है वैसे ही एक समय में दो स्त्रियाँ करनेवाला पति दबा हुआ होता है। अर्थात् परतंत्र हो जाता है। इसलिए एक समय में दो या अधिक पत्नियाँ करना उचित नहीं है।

इस प्रकार वेदों में बहुविवाह के विरुद्ध स्पष्ट उपदेश हैं। वेदों की अलंकारिक भाषा को समझने में गलती करने से इस प्रकार की भ्रान्तियाँ होती हैं।

सन्दर्भ-

1. मनुस्मृति अध्याय ३, श्लोक ५६
2. बृ. उ.३.८.१-११
3. तैत्तिरीय ब्राह्मण २.२.२.६
4. शतपथ ब्राह्मण
5. ऋग्वेद 8.31.8
6. ऋग्वेद 3.31.1-2
7. अथ यः इच्छेद दुहिता मे पंडिता जायेत, तिलौदनो पाचयित्वा अश्रीयातामिति । बृहदारण्यकोपनिषद् 4.4.18
8. यम - वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, भाग 1-2, पृ0 402 -
9. चिदसि तथा देवतयाङ्गिरस्वद् ध्रुवा सीद । परिचिदसि तथा देवतयाङ्गिस्वद् ध्रुवा सीद ।। यजुर्वेद 12.53
10. ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ।। अथर्ववेद 11.5.18
11. ऋक् संहिता 10.10.2
12. ऋग्वेद 1.92.4
13. सत्यार्थ प्रकाश- द्वितीय समुल्लास
14. ऋग्वेद 10.109.4
15. सत्यार्थ प्रकाश- तृतीय समुल्लास
16. सत्यार्थ प्रकाश- तृतीय समुल्लास
17. सत्यार्थ प्रकाश- तृतीय समुल्लास
18. सत्यार्थ प्रकाश- तृतीय समुल्लास

19. हारीत - वीरमित्रोदय, संस्कारप्रकाश, भाग 1-2, पृ० 402
20. ऋ० १०/२७/१२
21. ऋ० भा० १/२२/११, १/३०/१३, १/१६७/३, ६/६४/६, यजु० भा० ८/९, ३४/१०
22. अथर्व० १४/१/५०
23. अथर्व० १४/१/५१
24. अथर्व० ११/५/१८
25. ऋ० ३/५५/१६
26. ऋ० १ / १२३/१०
27. ऋ० ७/१/६
28. अथर्व१४.१.४३
29. अथर्व १४.१.२६
30. ऋग्वेद १०. ८५.४६
31. अथर्व. १४.१.४४
32. महाभारत शांति पर्व
33. ऋ. १०.८५.४६
34. ऋ० १०/२७/१२
35. निघण्टु- २/२
36. ऋ० १०/१५९/३
37. ऋ० ८/३१/८
38. यजुर्वेद २२/२२
39. ऋग्वेद 8/26/13
40. ऋग्वेद 8/33/19
41. ऋग्वेद 10/85/42

मध्यकालीन भारत में स्त्रियाँ: राजनीतिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में इनका योगदान

डॉ० प्रवीण कुमार झा
सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग,
राजेन्द्र कॉलेज, छपरा

स्त्रियों की स्थिति:-

किसी भी युग की स्त्रियों की सामाजिक अवस्था उस युग की सभ्यता, संस्कृति एवं शिष्टता को प्रतिबिम्बित करती है। प्राचीन काल से ही भारतीय स्त्रियों ने पराधीनता किन्तु समाज में एक सम्मानित अवस्था का उपभोग किया है। निःसंदेह स्त्री एवं पुरुष सृष्टि की दो रचनाएँ हैं, परंतु स्त्री ईश्वर की सर्वाधिक सुन्दरतम रचना है। समाज में स्त्री एवं पुरुष दोनों का महत्व बराबर है, परंतु साथ ही प्रकृति ने स्त्री के लिए कुछ मर्यादाएँ निर्धारित कर दी हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्त्री को हमेशा पुरुषों से पीछे ही समझा जाता रहा। उसे सदैव किसी न किसी अवलम्बन की आवश्यकता रहती है। मनु ने यह विचार व्यक्त किया है कि “स्त्री बाल्यावस्था में पिता के अधिन, यौवनावस्था में अपने पति एवं जब उसके गृहस्वामी (पति) का निधन हो जाए तब वह अपने पुत्र के संरक्षण में रहती है।”

हिन्दू समाज में स्त्री का एक मात्र दायित्व शिशु को जन्म देना होता था परंतु कन्या के जन्म को भारी दुर्भाग्यपूर्ण एवं अपशगुन समझा जाता था। इस्लाम धर्म में भी मानवीय समानता को स्वीकार किया गया है। मोहम्मद साहब ने भी स्त्री एवं पुरुष को समान माना है। पवित्र धार्मिक ग्रंथ कुरान में स्त्रियों की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी है तथा पारिवारिक दायित्व को संभालते हुए बालक के चरित्र निर्माण के लिए उन्हें उत्तरदायी स्वीकार किया गया है।² अरब में इस्लाम धर्म के उदय के समय स्त्रियों की दशा बड़ी सोचनीय थी। पैगम्बर साहब ने स्त्रियों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार की कटु आलोचना की। पैगम्बर साहब के पश्चात् स्त्रियों के अधिकारों में कुछ गिरावट आयी।

यद्यपि प्रचीन काल से ही स्त्रियों के महत्व तथा उनके अधिकार पर बल दिया जाता रहा, परंतु शनैः शनैः उनकी दशा में परिवर्तन होता रहा। प्राचीन काल में हम स्त्रियों को जिस उन्नत अवस्था में देखते हैं मध्यकाल में उनकी दशा में गिरावट आ गयी। हिन्दुस्तान में इस्लाम का आगमन तथा तुर्की सत्ता की स्थापना से भारतीय क्षितिज पर नई परम्पराओं का सृजन हुआ।³ दोनों सम्प्रदायों (हिन्दू तथा

मुसलमान) ने दीर्घ काल तक एक साथ रहते हुए निश्चित रूप से एक दूसरे के आचार-विचार को अपनाया तथा प्रभावित भी किया। तात्कालीन हिन्दू तथा मुस्लिम समाज में कई प्रथाएँ मौजूद थीं, यथा-पर्दा प्रथा⁴, सती प्रथा⁵, जौहर प्रथा⁶, कन्या वध, बाल-विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, दास प्रथा, देवदासी प्रथा,⁷ वेश्यावृत्ति। यह सभी प्रथाएँ समाज में अपनी जड़ें गहरी कर चुकी थीं। अतः इन प्रथाओं को समाप्त करने तथा इसमें फेर-बदल की गुंजाईश नहीं के बराबर थी।

निःसंदेह उपरोक्त वर्णित प्रथाओं से समाज में विकृति आ गई थी। शासकीय स्तर पर भी यह प्रथा मान्यता प्राप्त कर चुका था। तात्कालीन समाज तीन वर्गों-उच्च, मध्यम, तथा निम्न वर्ग में विभाजित था और सभी वर्गों की स्त्रियों की दशा में भिन्नता थी। उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से व्यतीत होता था। मध्यम तथा निम्न वर्ग की स्त्रियों का जीवन उच्च वर्ग के स्त्रियों की तुलना में क्रमशः गिरती हुई अवस्था में था। इन कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। केवल सम्पन्न हिन्दू तथा मुस्लिम समाज की स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध किया गया था। इनमें से अनेकों ने शासन सत्ता संभाली और दरबारी राजनीति को प्रभावित किया। परंतु जनसाधारण वर्ग की स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। मुसलमान की तुलना में हिन्दू स्त्रियों की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा नगण्य थी।

फिर भी तात्कालीन समय में अधिकांश ऐसी स्त्रियों के दृष्टांत मिलते हैं, जो शिक्षित तथा प्रशिक्षित थी। अपने कार्य-कलापों द्वारा सुसंगठित शासन व्यवस्था कायम की और कला संस्कृति के क्षेत्र में सृजनता तथा रचनात्मकता द्वारा नवीनता प्रदान की।

हिन्दू समाज:-

सामाजिक - सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान

इस्लामी शासन की स्थापना से पूर्व भारतीय हिन्दू समाज में उच्च घराने की स्त्रियों को काफी सम्मान प्राप्त था। वे यज्ञों, दरबारी रस्मों, मेलों तथा युद्धों में हिस्सा लेती थीं। उन्हें साहित्य एवं कलाओं के अध्ययन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। मुसलमानों द्वारा भारत विजित किये जाने से 200 वर्ष पूर्व भारतीय समाज में इन्दुलेखा, मंसूला, शीला, सुभद्रा, पद्मश्री तथा लक्ष्मी नामक कवयित्रियाँ हुईं। इसके अलावा अनेक स्त्रियाँ निपुण चित्रकार, नृत्यांगनाएँ, गायिकाएँ आदि हुईं।⁸ भरतचन्द्र ने अपनी पुस्तक विन्ध्य सुन्दरी में लिखा है कि राजकुमारी विद्या बहुत ही विदुषी महिला थी।⁹ पुरनमल की पत्नी रत्नावली हिन्दी में सुन्दर गीत गाती थी। मानसिंह की पत्नी मृगनयनी संगीत में निपुण थी।¹⁰ मीरा बाई जिन्होंने अनेक काव्य लिखे इसी युग की थी। भक्ति आन्दोलन के निर्गुण ईश्वर में आस्था रखने वाली बहुत सी कवयित्रियों के उल्लेख मध्ययुग में मिलते हैं। प्राणनाथ कवि की पत्नी इन्दुमति ने सन् 1549 में कुछ दोहे लिखे।¹¹ 18वीं सदी में दया बाई ने 'दयाबोध' और 'विनय मालिका' तथा इन्हीं की समकालीन सहजो बाई थी जिसने 'सहज प्रकाश' नामक पुस्तिका लिखी।¹² इस तरह अकबर, शाहजहाँ तथा औरंगजेब के समय के अनेक स्त्रियों के नाम सम्मुख आते हैं, यथा-गंगा, नवला देवी, कामरेचीजी, नाथी, जिन्होंने भक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की।¹³

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान

राजपूत काल में रनिवास (अंतः पुर) में रहने वाली हिन्दू राजाओं की पुत्रियों को प्रशासनिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता था।¹⁴ अतः इससे यह ज्ञात होता है कि स्त्रियाँ पुरुषों के अधिन नहीं थी। कश्मीर और दक्षिण भारत में कई दृष्टांत मिलते हैं जहाँ स्त्रियों ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली। काकतीय राज्य की रदम्बा ने 40 वर्षों तक राज्य किया।

मुगलकाल में राणासांगा की पत्नी कर्णवती का नाम आदर के साथ लिया जाता है। उसने अपने दोनो पुत्रों विक्रम तथा ऊद के लिए बड़ी-बड़ी जागीरें सुरक्षित करवाई।¹⁵ उसने बाबर से सम्पर्क कर अपने प्रभाव को कायम रखने का असफल प्रयास भी की।¹⁶ कालान्तर में हुमायूँ को राखी भेजकर बहादुरशाह के खिलाफ सहायता की याचना की। अंत में रानी ने जौहर कर लिया।¹⁷ रानी दुर्गावती अपनी पति की मृत्यु के बाद (1548) अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बनी और राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया।¹⁸ जब तक वह प्रभावशाली रही, उसके राज्य में कोई विद्रोह नहीं हुआ। वह बादशाह अकबर के खिलाफ वीरता से लड़ी। पराजित होने के भय से उसने 1564 में आत्महत्या कर ली।¹⁹

इसी प्रकार का दृष्टांत 18वीं सदी में देखने को मिलता है जब होल्कर साम्राज्य में अहिल्या बाई एक अभूतपूर्व शासिका के रूप में उभरी। उसने न केवल राजनीतिक श्रेष्ठता स्थापित की बल्कि धार्मिक कार्यों में भी अभिरूची प्रदर्शित की। काशी विश्वनाथ मंदिर (बनारस) का पुननिर्माण तथा बिहार में विष्णुपद मंदिर का पुनरूद्धार कर 'मातृश्री' का सम्मान प्राप्त किया।²⁰ इसी तरह का एक अन्य उदाहरण देखते हैं जब राजा राम (एक मराठा राजा) की विधवा पत्नी महाराष्ट्र में ताराबाई (1700-1707) ने भी राज्य प्रशासन की बागडोर संभाली और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के लिए प्रेरणा का मुख्यस्रोत बनी रही। सुप्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने उचित ही कहा है, "उसकी प्रशासनिक क्षमता तथा महान चरित्र ने संक्रातिकाल में भी राष्ट्र को सुरक्षित रखा है।"²¹

मुस्लिम समाज:-

राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान

कमोबेश भारतीय स्त्रियों की स्थिति ने मुस्लिम समाज की स्त्रियों को भी प्रभावित किया। मध्यकालीन भारतीय मुस्लिम समाज में स्त्रियों के अधिकारों एवं स्तर में भी गिरावट आई तथा उन्हें पुरुषों पर आश्रित स्वीकार किया जाने लगा। मुस्लिम समाज में देखें तो यह पाते हैं कि शासक वर्ग की स्त्रियों की दशा अन्य वर्गों की स्त्रियों से अच्छी थी।

मुस्लिम समाज की रूढ़िवादिता उस समय छोटी प्रतीत होती है जब हम विभिन्न रानियों के ज्ञान, कौशल एवं राजकीय कार्यों में उनके योगदान का अध्ययन करते हैं। मुस्लिम शासकों ने राजमहल में हरम²² (अंतःपुर) की व्यवस्था की थी। यहाँ उनकी माँ को 'हरम' की प्रथम महिला का दर्जा प्राप्त होता था। इसके अलावा शासक की पहली पत्नी, उपपत्नियाँ, पुत्रियाँ, राजपरिवार की महिलाएँ, अनेक

दासियाँ, महिला सेविकाएँ होती थीं। हरम में स्त्रियों की शिक्षा-दीक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। उन्हें अनेकानेक उपाधियाँ, व्यक्तिगत जागीरें, नकद धनराशि तथा पारितोषिक भी प्रदान किया जाता था।²³

सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान एक महत्वाकांक्षी महिला थी, जिसने रजिया के उत्तराधिकार को टुकराते हुए उमरा के सहयोग से रूकनुद्दीन फिरोज को सिंहासनारूढ़ कराया था। सुल्ताना रजिया सैनिक तथा प्रशासनिक गुणों से सम्पन्न थी। सुल्तान नासिरुद्दीन की माँ मलिक-ए-जहाँ ने उसके सिंहासनारोहण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।²⁴ इस तरह रजिया ने स्त्री के सम्बन्ध में इस्लाम की परम्पराओं का उल्लंघन करते हुए राजनीतिक दृष्टि से सत्ता को स्वयं के हाथों में केन्द्रित करने पर बल दिया।²⁵ एक अन्य दृष्टांत यह है कि जलालुद्दीन खिल्जी की पत्नी मल्के जहाँ ने अपने दामाद अलाउद्दीन खिल्जी को नियंत्रित करने का प्रयास किया, जिससे अलाउद्दीन का व्यक्तिगत जीवन कष्टमय हो गया।²⁶ अलाउद्दीन के समय बहुत सी हिन्दु स्त्रियों का विवाह मुस्लिम राजकीय परिवार में हुआ। मोरक्को यात्री इब्नबतूता इस बात की सूचना देता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की माँ मखदमू-ए-जहाँ सूफी संतों एवं उलेमा का बहुत सम्मान करती थी। फिरोज तुगलक एवं सिकन्दर लोदी ने स्त्रियों को संतों की मजारों पर जाने पर अंकुश लगा दिया।²⁷ अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि तात्कालीन सल्तनतकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति संतोशजनक नहीं थी।

किन्तु मुगल काल में उच्च वर्ग की स्त्रियों का जीवन सल्तनत काल की अपेक्षा अधिक संतुलित था। इस समय की स्त्रियाँ एकांतवास में रहने के बावजूद श्रेष्ठ लेखिकाओं के रूप में उभरी और प्रशासनिक कार्यों में भी निर्णायक भूमिका अदा की। बाबर ने तैमूर और चंगेज ख़ाँ²⁸ की परम्पराओं का अनुशरण किया और अपनी स्त्रियों को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।²⁹ हुमायूँ की पत्नी हमीदा बानो बेगम एक बुद्धिमती स्त्री थी, जिसने हुमायूँ तथा अपने पुत्र अकबर को अपने बहुमूल्य परामर्शों द्वारा लाभान्वित किया। सम्राट अकबर की धाय माता माहम अनगा ने चार वर्ष (1560-1564) तक राज्य का शासन प्रबन्ध चलाया और पूर्ण नियंत्रण रखा।³⁰ अकबर की पत्नी सलीमा बानो बेगम एक दूरदर्शी तथा संतुलित महिला थी। नूरजहाँ ने तो जहाँगीर के राज्य पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। जहाँगीर के लिए तो यह कहा जाने लगा था कि उसने साम्राज्य को 'शराब की एक बोतल और कबाब के एक टुकड़े' के लिए बेच दिया, क्योंकि नूरजहाँ की शासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ तथा सुव्यवस्थित थी कि जहाँगीर का इस क्षेत्र में योगदान अल्प ही नजर आता है।³¹ वह अपने समय के योग्यतम सैनिकों तथा राजनीतिज्ञों से कहीं अधिक चतुर थी।³²

शाहजहाँ की प्रमुख सलाहकार उसकी प्रिय पत्नी मुमताजमहल थी और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका स्थान उसकी पुत्री जहाँआरा ने ले लिया। शाहजहाँ की दूसरी पुत्री रोशनआरा (शाह बेगम) और औरंगजेब की पुत्रियाँ जेबुन्निसा बेगम, जीनतुन्निसा बेगम ने भी राजनीति में दिलचस्पी लेते हुए अपनी प्रशासनिक हनक बनाए रखी। उत्तर मुगल काल में जहाँदार शाह के शासन काल में लाल कुँवर प्रशासकीय मामलों में पूर्ण रूपेण हस्तक्षेप करती थी।³³ कुछ इसी तरह का प्रभाव मुहम्मदशाह के समय

उसकी माँ नवाब कुरेसिया बेगम ने राजनीति में दखल बनाए रखी। उसके प्रयासों से सैयद बंधु का पतन संभव हुआ।³⁴ इसी युग में दक्षिण भारत में चाँद बीबी ने साहसपूर्वक अहमद नगर का राज्य और मखदमू-ओ-जहाँ ने निजामशाह के प्रतिनिधि के रूप में बहमनी राज्य का सफल संचालन किया था।³⁵

इस युग की सर्वप्रमुख बात यह थी कि शासकों ने हरम की महिलाओं को सम्मानित करने में कोई भी कसर नहीं उठा रखी थी। उन्होंने कुछ महिलाओं को विशिष्ट उपाधियों से सम्मानित किया। यथा - मरियम मकानी, मरियम उज्जयानी, नूरमहल, नूरजहाँ, मुमताज महल आदि कुछ विशिष्ट उपाधियाँ थी जो कि बादशाहों द्वारा स्त्रियों के उचित सम्मान हेतु प्रदान की जाती थी।³⁶

सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्र में स्त्रियों का योगदान

मध्ययुगीन मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा तथा अन्य प्रतिबन्धों के बावजूद स्त्रियों ने राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्रों में रूचि दिखाई। विविध कलाओं के विकास में अपना समुचित योगदान दिया। इस युग में राजकीय परिवारों की सुशिक्षित, कला प्रेमी तथा विद्या सम्पन्न कई स्त्रियों का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इलतुमिश की पुत्री रजिया अरबी-फारसी भाषाओं में पारंगत थी और उसे कुरान जुबानी याद थी। जलालुद्दीन खिल्जी की पत्नी मलिक-ए-जहाँ पढ़ी-लिखी महिला थी। अलाउद्दीन खिल्जी की पत्नी भी शिक्षित थी तथा ज्योतिष विद्या में निपुण थी। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस दौर में सुल्तान स्त्री शिक्षा के महत्व से वाकिफ थे।³⁷

इसी प्रकार मुगल हरम में बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम सबसे शिक्षित महिला थी। इस युग के इतिहास का एक प्रमुख स्रोत उसकी बहुमूल्य कृति 'हुमायूँनामा' है। अकबर की पत्नी सलीमा सुल्तान बेगम, नूरजहाँ तथा मुमताज महल फारसी भाषा की काफी अच्छी जानकार थी और सुन्दर कविताएँ लिखती थी।³⁸ जहाँआरा एक उच्चकोटी की कवयित्री थी जिसका तखल्लुस 'मख्फी' (गुप्त) था। जहाँगीर की बेगम नूरजहाँ ने सौन्दर्यशास्त्र की ज्ञाता के रूप में सुन्दर भुमिका निभाई और समकालीन भूशाचार (फैशन) को भी प्रभावित किया। इसकी माता असमत बेगम ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया।³⁹

निश्चित रूप से मध्ययुगीन स्त्रियाँ जो स्वयं शिक्षित थीं और शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, इसके लिए भी प्रयास किया। इनके द्वारा शिक्षा का प्रसार के लिए कई स्कूल खोले गए। हुमायूँ की पत्नी बेगा बेगम ने अपने पति के मकबरे के निकट स्कूल खोला। माहम अनगा ने दिल्ली की खैरूल मंजिल मस्जिद में एक स्कूल खुलवाया। जहाँ आरा ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए जामा मस्जिद (आगरा) में एक मदरसा (उच्च शिक्षा का केन्द्र) खुलवाया।⁴⁰ अतः तात्कालीन समय में उपरोक्त स्त्रियों ने राजनीतिक सूझ-बूझ का परिचय देकर प्रशासनिक कार्यों को गतिशिलता तो प्रदान की ही, साथ ही अपने व्यस्त जीवन में साहित्य, कला एवं संस्कृति में भी रूचि दिखाकर मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति में एक नवीन अध्याय के निर्माण में अपना योगदान दिया।

निष्कर्ष:-

इस प्रकार उपरोक्त किए गए व्याख्या एवं विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मध्यकाल में सामान्य स्त्रियों का जन-जीवन अधिक संघर्षशील था। निष्चित रूप से सम्पन्नशाली और धनाढ्य लोगों के घरों की स्त्रियों की स्थिति सामान्य वर्ग की स्त्रियों से बहुधा भिन्न थी। उच्च वर्ग की स्त्रियाँ पुरुषों के समकक्ष बनी रहीं और वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करती थीं। उनके सामाजिक कार्यकलाप, उच्च सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उपलब्धियाँ पर्याप्त श्लाघ्य थीं। समाज की जटिल कुप्रथाओं ने इनके कष्टकारी जीवन को दुष्कर बना दिया था। फिर भी, मध्यकाल में उल्लेखनीय स्त्रियाँ प्रशासनिक और सैनिक दृष्टिकोण से पूर्णतया सक्षम थीं और इन्हीं के द्वारा ही सक्रिय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक भूमिका निभाई गई, जिसके फलस्वरूप मध्यकालीन भारतीय इतिहास को गौरवशाली नवीन आयाम प्राप्त हुआ।

संदर्भ ग्रंथ सूची एवं टिप्पणियाँ:-

1. दी लॉज ऑफ मनु (मनु के सिद्धांत), अध्याय 5, भाग 147-149, खंड-25, ऑक्सफोर्ड 1886, पृ0-195
2. एल. सी. नन्द, वीमन इन देलही सल्तनत, इलाहाबाद, 1989, पृ0-32
3. पी.एन.चोपड़ा, बी.एन.पुरी तथा एम.एन.दास भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास, खण्ड-2, मद्रास, 1975, पृ0-39
4. 'परदा' एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ होता है 'आवरण'। अपने मूल अर्थ के साथ-साथ इस शब्द ने एक और अर्थ अपना लिया-'स्त्रियों की एकान्तता'। मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत में परदा प्रथा का आभाव था। लेकिन इनके आगमन के उपरांत मुसलमानों की भाँति हिन्दुओं में भी परदा प्रथा पहले की अपेक्षा अधिक कठोर हो गयी।
5. समसामयिक साहित्य चन्द्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में सती (सह-गमन या सह-मरण) के उल्लेख मिलते हैं। विधवा स्त्री पति के मृतक शरीर के साथ चिता में जल जाती थी। एक से अधिक पत्नी होने पर ज्येष्ठ पत्नी पति के शरीर के साथ, अन्य पत्नियाँ भी अगल-अलग जला करती थी।
6. 'जौहर' जातु गृह से आया है। यह शब्द महाभारत की एक कथा के संदर्भ में लाह तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बने घर के अर्थ में आया है, जो पाण्डवों को वैसे घर में रखकर उन्हें जला डालने के लिए निर्मित किया गया था। यह प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। जब युद्धस्थल में पति के जीतने की संभावना नहीं होती थी या वीरगति प्राप्त कर लेने के उपरांत स्त्रियाँ अपने सतीत्व की रक्षा हेतु अग्नि की ज्वाला में डालकर जौहर प्रथा को सम्पन्न किया करती थी।
7. यह प्रथा दक्षिण भारत में प्रचलित थी। हिन्दू परिवार के लोग अपने आराध्य देवता की सेवा करने के लिए अपनी कन्याओं को मंदिरों को समर्पित कर देते थे। जब मंदिरों की सम्पन्नता में वृद्धि हुई तो पुरोहित वर्ग का सांसारिक भोग विलास के प्रति सम्मोहन बढ़ गया। इस तरह यह प्रथा जो अतीत में गौरव की बात थी, कालान्तर में छद्म वेश्यावृत्ति का स्वरूप ग्रहण कर लिया।

8. के.एस.लाल, ट्वालाइट ऑफ द सलतनत, बम्बई 1963, पृ0-268
9. ए.एल.श्रीवास्तव, मेडिवल इण्डियन कल्चर, आगरा, 1964, पृ0-113
10. उमेश जोशी, भारतीय संगीत का इतिहास, फिरोजाबाद, 1957, पृ0-204
11. सावित्री सिनहा, मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ, दिल्ली, 1953, पृ0-83
12. वही, पृ0-51-52, दया बाई तथा सहजो बाई दोनों ही स्त्रियाँ चरणदास की शिष्या थी।
13. वही, पृ0-34
14. चालुक्य वंश की विजया भट्टारिका (7वीं सदी), कश्मीर की सुगन्धा और दिहा (10वीं सदी) ने अपने राज्य का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया। देखिए, ए.एस.अल्तेकर, दि पोजीशन ऑफ वीमेन इन हिन्दू सिविलाइजेशन, बनारस,1956, पृ0-21, 187
15. जी. एन. शर्मा, मेवाड़ एण्ड दि मुगल एम्परर्स, आगरा, 1954 पृ0-46-47
16. बाबरनामा, (अनु0) ए.एस.बेवरीज जिल्द 2, न्यू दिल्ली, 1970, पृ0- 612-613
17. जी.एन.शर्मा, पूर्वोद्धृत, पृ0-55
18. अबुल फजल, अकबरनामा, जिल्द-2 (अनु0) एच. बेवरिज, दिल्ली, 1972, पृ0-326
19. वही, पृ0-330
20. विजय कुमार, (संपा0) बिहार के विकास में महिलाओं की भूमिका, पटना, 2012, पृ0-26
21. पी.एन.चोपड़ा, बी.एन.पुरी तथा एम.एन.दास, पूर्वोद्धृत, पृ0-45
22. तुर्की भाषा का शब्द हरम अरबी के हारूमा शब्द से निष्पन्न हुआ जिसका अर्थ होता है, प्रतिबन्धित, अनुमत या अवैध, पर साथ ही साथ पूरी तरह सुरक्षित और अलंघ्य।
23. लईक अहमद, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति, इलाहाबाद, 2009, पृ0-186
24. वही, पृ0-186-187
25. मिनहाज-उस-सिराज, तबकात-ए-नासिरी, (अंग्रेजी अनु0) मेजर एच.जी.रेवर्टी, लन्दन,1881, पृ0-643
26. सैयिद अतहर अब्बास रिजवी, खिलजी कालीन भारत, अलीगढ़, 1955, पृ0-39
27. झारखण्डे चौबे और कन्हैया लाल श्रीवास्तव, मध्ययुगीन भारतीय समाज एवं संस्कृति, लखनऊ, चतुर्थ संस्करण,2005, पृ0-85
28. चंगेज खाँ के समय स्त्रियाँ अपने पतियों के साथ युद्ध में जाया करती थीं, तैमूर की सेना में स्त्रियाँ, भाला, तीर और तलवार में निपुण थीं।
29. रेखा मिश्रा, वीमेन इन मुगल इण्डिया, नई दिल्ली, 1967, पृ0-16
30. अबुल फजल, आईन-ए-अकबरी, (अंग्रेजी अनु0) एच.एस.जैरेट, खंड-2, नई दिल्ली,1978, पृ0-151

31. एस.सी.राय चौधरी, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक भारत का इतिहास (मध्यकालीन) (अनु०) आर० के० पाण्डेय, दिल्ली, 2016 पृ०-70
32. मुहम्मद यासीन, इस्लामी भारत का सामाजिक इतिहास, नई दिल्ली, 1988, पृ०-126
33. सतीश चन्द्र, पार्टीज एण्ड पालिटिक्स ऐट दि मुगल कोर्ट, अलीगढ़, 1959, पृ०-70-71
34. विलियम इरविन, लेटर मुगल्स, जिल्द-2, (सम्पा०) जदुनाथ सरकार, दिल्ली, 1971, पृ०-4
35. जे० एन० सरकार, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, जिल्द-5, कलकत्ता, 1921-1922, पृ०-199-201
36. राधेश्याम, मध्यकालीन प्रशासन समाज एवं संस्कृति, इलाहाबाद, 2002-2003, पृ०-229
37. झारखण्डे चौबे और डॉ० कन्हैया लाल श्रीवास्तव, पूर्वोद्धृत, पृ०-105
38. पी. एन. ओझा, सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ नार्दन इण्डियन सोशल लाइफ, पटना, 1961, पृ०-132
39. लईक अहमद, पूर्वोद्धृत, पृ०-187
40. यूसूफ हुसेन, लेख- 'एजुकेशनल सिस्टम इन मेडिवल इण्डिया, इस्लामिक कल्चर, जिल्द-30, 1956, पृ०-117

* * *

मृच्छकटिकम् की स्त्रियाँ और उनका स्त्रीत्व

अमीषा

पूर्व छात्रा, कला-निष्णात (इतिहास)
दिल्ली विश्वविद्यालय

सामाजिक यथार्थ के वर्णन की दृष्टि से संस्कृत नाटकों में मृच्छकटिकम् का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत रूपकों के वर्गीकरण के अनुसार इसे एक प्रकरण माना गया है।¹ प्रकरण का वृत्तान्त लौकिक अथवा कविकल्पित होता है। इसका प्रधान रस शृंगार होता है। इसका नायक ब्राह्मण, मन्त्री अथवा वणिक् में से कोई एक होता है। वह धीर-प्रशान्त तथा विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म, अर्थ और कामपरायण होता है। प्रकरण की नायिका कुलस्त्री या वेश्या होती है। कहीं-कहीं दोनों ही नायिकाएँ हो सकती हैं। इसमें धूर्त, जुआरी, विट और चेट आदि पात्र होते हैं।²

मृच्छकटिकम् के लेखन का श्रेय शूद्रक को जाता है। हालाँकि शूद्रक के जीवन और मृच्छकटिकम् से परे उनके कार्य के विषय में बहुत कम जानकारी है और जो जानकारी अन्य समकालीन संस्कृत ग्रंथों से उनके विषय में प्राप्त होती है वह भी अनिश्चित है, इसी कारण शूद्रक को ही मृच्छकटिकम् का रचयिता मानने में विद्वानों में सर्वसम्मति नहीं है। हालाँकि मृच्छकटिकम् में ही इसके लेखक के रूप में शूद्रक के कई संदर्भ शामिल हैं, इस कारण शूद्रक को ही इसका रचयिता मानना सुसंगत है।³

मृच्छकटिकम् में समाज की सहज स्वाभाविक स्थितियों का चित्रण हुआ है। मृच्छकटिकम् में स्त्रियों का मुख्यतः वर्चस्व है और उनमें भी गणिकाओं का वर्चस्व अधिक है। कामसूत्र के नायिकाभेद में मुख्यतः तीन प्रकार की नायिकाएँ बतायी गयी हैं - कन्या, पुनर्भू और वेश्या।⁴ इसमें भी वेश्या को कन्या और पुनर्भू के बाद स्थान मिलता है। मृच्छकटिकम् में वसन्तसेना के लिए गणिका और वेश्या, दोनों शब्दों का उल्लेख हुआ है। यद्यपि गणिका और वेश्या, दोनों शब्द समानार्थी हैं, फिर भी गणिका का स्थान वेश्या से उच्च माना गया है।

वसन्तसेना नाटक की मुख्य नायिका है जबकि धूता उपनायिका है और मदनिका सहनायिका है। इनके अतिरिक्त वसन्तसेना की माता, रदनिका, सूत्रधार की पत्नी नटी, तथा वसन्तसेना की दासी चेटी जैसे पात्रों का भी विशेष प्रभाव देखने को मिलता है।

यह लेख इन सभी स्त्रीपात्रों की स्थिति और उनके स्त्रीत्व का विश्लेषण करता है। स्त्रीत्व की अवधारणा एक जटिल और अनेक अर्थों वाली है, जिसे उसके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। नारीमनोविज्ञान के दृष्टिकोण से हमें स्त्रीत्व को उन व्यवहारों और विशिष्टताओं के एक समूह के रूप में समझना चाहिए जो प्रायः स्त्रियों से जुड़े होकर सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताओं से रूप ग्रहण करते हैं। स्त्रियों में करुणा, भावुकता, बुद्धिमत्ता आदि गुण होने के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने और स्वयं से पहले दूसरों की देखभाल करने के कारण उनका प्रायः सामाजिकीकरण कर दिया जाता है। इसी आलोक में यह लेख एक लघु प्रयास है, जो निम्न बिन्दुओं में प्रस्तुत है -

वसन्तसेना - वसन्तसेना मृच्छकटिकम् की मुख्य नायिका है। वह चारुदत्त की प्रेमिका है और पेशे से एक प्रतिभावान् गणिका है, जैसा कि नाटक के प्रथम अंक से ज्ञात होता है -

इयं रङ्ग-प्रवेशेन कलानां चोपशिक्षया ।

वञ्चनापण्डितत्वेन स्वरनैपुण्यमाश्रिता ॥⁵

अर्थात् वसन्तसेना रंगशाला तथा संगीत आदि कलाओं में पारंगत थी।

नाट्यशास्त्र में गणिका के गुणों के बारे में कहा गया है कि वह मधुर स्वभाव वाली, चौंसठ कलाओं और शिल्प में निपुण हो, साथ ही राजोचित व्यवहारों का विशेष ज्ञान रखती हो, स्त्री में होने वाले रोगादि दोष से रहित हो, प्रिय संभाषण करने वाली हो, जिसका कथन स्पष्ट रहता हो, जो निपुणता से युक्त और परिश्रमी हो।⁶

नाट्यशास्त्र में वर्णित गणिका के सभी गुण वसन्तसेना में प्राप्त होते हैं।

इसके अतिरिक्त, जहाँ नाटक के अन्य स्त्री पात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं, वहीं वसन्तसेना प्राकृत के साथ-साथ कुछ स्थानों पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट प्रयोग करती है। उदाहरण के लिए चतुर्थ अंक में वह मैत्रेय का स्वागत करते समय संस्कृत भाषा का प्रयोग करती है - (संस्कृतमाश्रित्य) अये। मैत्रेयः। (उत्थाय)। स्वागतम्, इदमासनम्; अत्रोपविश्यताम्।⁷ आठवें अंक में भी वह खलचरित के श्लोक पढ़ती हुई संस्कृत भाषा का प्रयोग करती है -

खलचरित निकृष्ट! जातदोषः कथमिह मां परिलोभसे धनेन ।

सुचरितचरितं विशुद्धदेहं न हि कमलं मधुपाः परित्यजन्ति ॥

यत्नेन सेवितव्यः पुरुषः कुलशीलवान् दरिद्रोऽपि ।

शोभा हि पणस्त्रीणां सदृशजनसमाश्रयः कामः ॥⁸

वसन्तसेना द्वारा उच्च श्रेणी के पुरुषों की भाषा (संस्कृत भाषा) का प्रयोग किया जाना दर्शाता है कि समाज में स्त्रियों के मध्य प्राकृत ही प्रचलित थी, किन्तु वसन्तसेना जैसी स्त्रियाँ अपवाद ही रही होंगी जिन्हें संस्कृत का ज्ञान था। प्रतिभावान् होने के साथ वह अत्यन्त सुन्दर थी, इसलिए उसे

वसन्तशोभेव वसन्तसेना (प्रथम अंक, ६) की उपमा दी गयी। वह न केवल सुन्दर थी अपितु वह आर्थिक रूप से सक्षम एवं ऐश्वर्यसम्पन्न गणिका थी। उसका उज्जैन नगर में एक भव्य वेश्यालय था जो आठ प्रकोष्ठों में विभक्त था। वेश्यालय की सुन्दरता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विदूषक वसन्तसेना के वेश्यालय की भव्यता का वर्णन (चतुर्थ अंक) करते हुए उसकी तुलना कुबेर के महल से करता है।⁹ वह वेश्यालय में होने वाली उन विभिन्न गतिविधियों से भी परिचित करवाता है, जहाँ **गणिकादारिकाः**¹⁰ अर्थात् वेश्याओं की पुत्रियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। विदूषक के अनुसार वसन्तसेना के बड़े भवन बहुमूल्य रत्नों से जड़ित थे।¹¹ वेश्यालय की स्त्रियाँ न केवल शृंगार आदि से पूर्ण थीं बल्कि संगीत एवं नृत्य जैसी कलाओं में भी कुशल थीं।¹²

विशिष्ट तथ्य यह है कि जहाँ पितृसत्तात्मक ढाँचे में पुरुषों की भूमिका प्रमुख होती है, विपरीत इसके वेश्यालय में स्त्रियाँ प्रधान भूमिका में होती हैं। इसी कारण वेश्यालय में निवास करने वाले बन्धुल आदि गणिकाओं पर आश्रित होते हैं। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जब विदूषक बन्धुलों से उनका परिचय पूछता है तो वे इस प्रकार उत्तर देते हैं -

वयं खलु -

परगृहललिताः परान्नपुष्टाः परपुरुषैर्जनिताः पराङ्गनासु।

परधननिरता गुणेष्ववाच्या गजकलभा इव बन्धुला ललामः॥¹³

तात्पर्य यह है कि बन्धुलों में गणिकाओं की तरह विभिन्न कलाओं के गुणों का अभाव होता था और उनका स्थान मात्र गणिकाओं की कृपा पर आश्रित था। वसन्तसेना का भाई भी एक प्रकार से बन्धुल की ही श्रेणी में था।

ऐश्वर्यसम्पन्न होने के बाद भी वसन्तसेना में धन का मोह नहीं था। वह किसी धनी व्यापारी या राजा से नहीं अपितु चारुदत्त नाम के एक निर्धन पुरुष से प्रेम करती है। क्योंकि चारुदत्त का आकर्षक व्यक्तित्व और संवाहक द्वारा चारुदत्त की दानशीलता के किस्से सुन वह अत्यधिक प्रभावित होती है और इसी कारण संवाहक को चारुदत्त का सम्बन्धी समझकर उसे ऋण से छुड़ाने के लिए अपने हाथ का कंगन दे देती है। वह जीवनपर्यन्त कुलीन पुरुषों की सेवा करने की अपेक्षा अपने सच्चे प्रेमी के साथ रतिविलास का सुख प्राप्त करना चाहती है - **हज्जे रमिदुमिच्छगमि ण सेविदुं।¹⁴** इसी कारण राजा के साले संस्थानक द्वारा भेजी गई दस हजार स्वर्ण मुद्राएँ भी वसन्तसेना को प्रलोभित नहीं कर पाती हैं वरन् वह यह सुनकर और कुपित हो जाती है, क्योंकि अब वह अपने प्रेमी चारुदत्त के अतिरिक्त किसी को भी नहीं होना चाहती है (चतुर्थ अंक)।

चारुदत्त से प्रेम करने का मुख्य कारण यह भी था कि समाज में यह धारणा प्रचलित थी कि वेश्याएँ केवल धनी पुरुषों से ही मोह रखती हैं और इसी कारण समाज में उनकी निन्दा होती है, किन्तु चारुदत्त निर्धन था और इसलिए निर्धन पुरुष से प्रेम करने पर वसन्तसेना सामाजिक निन्दा से भी बच जाएगी। - **दलिद्वपुरिससंकंतमणा खु गणिआ लोए अवअणीआ भोदि।¹⁵**

वसन्तसेना के चरित्र का एक पहलू उसमें उदारता का भाव भी था, जैसे कि जब उसे पता चल जाता है कि शर्विलक मदनिका से प्रेम करता है और मजबूरन चारुदत्ता के घर चोरी करता है ताकि अपनी प्रेमिका मदनिका को दासत्व के बन्धन से मुक्ति दिला कर अपनी पत्नी बना सके। वसन्तसेना शर्विलक को मदनिका सौंप देती है, क्योंकि मदनिका उसके लिए दासी नहीं मित्र थी। साथ ही वह यह भलीभांति जानती थी कि वेश्यालय की स्त्री के लिए विवाहिता का दर्जा हासिल करना बहुत ही दुर्लभ है और उसमें भी यदि मदनिका को यह सौभाग्य मिल सकता है, जिसके चलते उसने उदारता दर्शाते हुए मदनिका को दासत्व से मुक्ति दे दी। विदा लेते हुए वसन्तसेना की प्रशंसा में शर्विलक कहता है कि -

स्वस्ति भवत्यै। मदनिके।

सुदृष्टः क्रियतामेष शिरसा वन्द्यतां जनः।

यत्र ते दुर्लभं प्राप्तं वधूशब्दावगुण्ठनम्॥¹⁶

अर्थात् शर्विलक वसन्तसेना के प्रति खुद भी कृतज्ञता प्रकट करता है और मदनिका को भी कृतज्ञता प्रकट करने हेतु कहता है क्योंकि मदनिका को यह विवाहिता का दर्जा मात्र वसन्तसेना के उपकार के कारण प्राप्त हो सका।

द्वितीय अंक के एक विशिष्ट तथ्य से यह भी पता चलता है कि वेश्यागृह में पूजा-अर्चना भी नियम से की जाती थी और ब्राह्मण भी पूजा कार्य हेतु वहीं होते थे, क्योंकि जब चेटी वसन्तसेना को उनकी माता का उपदेश बताती है -

अज्जए। अत्ता आदिसदि 'ण्हादा भविअ

देवदाणं पूअं णित्वत्तेहि' त्ति।¹⁷

अर्थात् वसन्तसेना पूजा-अर्चना जैसे धर्मकार्य भी नियमित रूप से किया करती थी। वसन्तसेना के स्त्रीत्व का एक विशिष्ट पहलू यह भी है कि चारुदत्त की वधू बनने की कामना के चलते उसके मन में चारुदत्त की पत्नी धूता और पुत्र रोहसेन के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष भाव देखने को नहीं मिलता है अपितु वह धूता के प्रति आदर भाव और रोहसेन के प्रति ममता का भाव रखती है। छोटे अंक में जब वसन्तसेना चेटी के माध्यम से धूता का आभूषण और संदेश भिजवाने को कहती है, तब ज्ञात होता है कि धूता चारुदत्त की पत्नी है और अभी वसन्तसेना का चारुदत्त से विवाह नहीं हुआ। अभी वह केवल चारुदत्त की प्रेमिका है। वह जानती है कि धूता का कथन उससे ऊपर है, इसी कारण वह स्वीकार करती है कि वह न केवल चारुदत्त अपितु धूता के भी अधीन स्वयं को समझती है और ऐसे में धूता का आभूषण वसन्तसेना के पास रहना उचित नहीं है। इसलिए वह चेटी के माध्यम से आभूषण धूता को वापस देने को कहती है। अतः इससे ज्ञात होता है कि धूता के प्रति वसन्तसेना के मन में काफी सम्मान था। वसन्तसेना को धूता की कुशलता के प्रति चिन्ता व्यक्त करते हुए भी दर्शाया गया है कि जब धूता अग्निदाह करने जा रही होती है तो वह चारुदत्त को धूता के प्राण शीघ्र जाकर

बचाने को कहती है -

समस्ससिदु अज्जो । तत्त गदुअ जीवावेदु अज्जा; अण्णधा अधीरत्तणेण अणत्थो सम्भावीअदि ॥¹⁸

छठे अंक में वसन्तसेना का रोहसेन के प्रति ममता रूपी वह प्रकरण भी सामने आता है जिस पर इस नाटक का शीर्षक आधारित है। अपनी निर्धनता से अनभिज्ञ चारुदत्त का पुत्र रोहसेन जब मिट्टी की अपेक्षा सोने की खिलौना-गाड़ी का हठ करता है तत्पश्चात् रोहसेन ने वसन्तसेना को माता समान मानने से इसलिए इनकार कर दिया, क्योंकि वह शृंगार सहित थी और रोहसेन ने अपनी माता धूता को कभी आभूषणों से लदा नहीं देखा था, इस कारण रोहसेन के मुख से ऐसे वचन सुनकर वसन्तसेना भाव-विभोर हो गई तथा उसी समय अपने आभूषण निकाल उसने रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी को सोने की गाड़ी में बनवाने के लिए उन्हें दे दिया।

सम्पूर्ण नाटक में यह प्रकरण वसन्तसेना की करुणा का उच्चतम स्तर दर्शाता है। भले ही रोहसेन उसका अपना पुत्र नहीं था फिर भी उसके प्रति वसन्तसेना का अपार वात्सल्य था।

वसन्तसेना भले ही आत्मनिर्भर और अनेक गुणों से युक्त थी फिर भी समाज में उसकी पहचान वेश्या से अधिक कुछ नहीं थी। इस कारण उसे पितृसत्तात्मक ढाँचे की किसी कुलवधू के समान वह सम्मान नहीं मिलता था। इसी कारण नाटक के प्रथम अंक में शकार ने वसन्तसेना को उसके पेशे और चरित्र पर अनेक अपशब्द कहे, जैसे - **गिण्णाशा** (नाक रहित/प्रतिष्ठा से रहित/बेइज्जत), **'कुलणाशिका'** (कुल को नष्ट करने वाली) आदि।¹⁹ शकार के अलावा विट ने भी वसन्तसेना को निन्दनीय शब्द कहे, जिसमें उसने कहा कि वह पेशे से वेश्या है। उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है और वेश्यालय मात्र ग्राहकों पर ही निर्भर होते हैं और चाहे इच्छा के विरुद्ध ही सही, उसे शकार की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह उसका ग्राहक है।²⁰ इसी कारण वसन्तसेना कहती है कि -

गुणो खु अणुराअस्स कारणं, ण उण बलक्कारो।²¹

अर्थात् वसन्तसेना गुणों पर मोहित होती है शकार द्वारा जबरन उसे अपना बनाना वह बलात्कार ही मानती है।

जब शकार उसे जबरन हासिल करने के लिए उसका पीछा करता है तो वह खुद को अबला/असहाय भी बताती है -

अज्जा अबला खु अहं।²²

आठवें अंक में भी वसन्तसेना स्वयं की रक्षा करने में असफल होने पर शकार द्वारा पुनः प्रताड़ित की जाती है जब शकार उसका गला दबा देता है। बाद में जब विट वहाँ पहुँचकर मूर्छित वसन्तसेना को देखता है और कहता है -

वसन्तसेने!

**अन्यस्यामपि जातौ मा वेश्या भूस्त्वं हि सुन्दरि।
चरित्र्यगुणसम्पन्ने जायेथा विमले कुले॥²³**

अर्थात् विट शोक में यह कहता है कि गुण सम्पन्न वसन्तसेना अगले जन्म में इस वेश्याकुल में जन्म मत लेना, किसी अच्छे और उच्च कुल में पैदा होना क्योंकि वेश्या स्त्री समाज में सबसे दयनीय स्थिति में थी। जिस प्रकार वसन्तसेना का पेशा ही उसकी प्रताड़ना का कारण बना। यदि वह किसी उच्च कुल में पैदा होती तो उसकी यह दशा नहीं होती।

बहरहाल, दसवें अंक में जब वसन्तसेना को राजा की अनुमति से चारुदत्त की वधू का दर्जा प्राप्त होता है, जहाँ पर **वसन्तसेनामवगुण्ठय²⁴** शब्द का प्रयोग पर्दा या घूँघट ओढ़ाने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यह दर्शाता है कि वसन्तसेना अब वेश्यालय की गणिका नहीं रह गई थी अपितु 'वधू' बन पितृसत्तात्मक ढाँचे में आधिकारिक तौर पर प्रवेश कर सामाजिक नियमों से बंध गई।

धूता - धूता चारुदत्त की वधू और रोहसेन की माता है। हालाँकि वसन्तसेना और मदनिका की तरह उसकी सुन्दरता का वर्णन प्राप्त नहीं होता है, फिर भी पतिव्रता होना उसका सबसे विशेष गुण है। उसे यह ज्ञात है कि चारुदत्त वसन्तसेना के यौवन से मोहित हो गया है, यह जानकर भी वह चारुदत्त का त्याग नहीं करती है।

हालाँकि धूता का चित्रण प्राचीन भारतीय समाज में स्त्रियों पर लगाए गए प्रतिबंधों और सीमाओं पर भी दृष्टि डालता है, जहाँ उनके अपने निर्णय प्रायः सामाजिक मानदंडों और समकालीन पितृसत्तात्मक अपेक्षाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए जब धूता को पता चलता है कि धरोहर के रूप में रखी गई वसन्तसेना की रत्नावली चोरी हो गई है तो अपने पति के मान-सम्मान को बचाने के लिए वह आभूषण के नाम पर मातृगृह से मिली हुयी रत्नावली विदूषक के माध्यम से वसन्तसेना के पास पहुँचा देती है। वसन्तसेना जब धूता की रत्नावली लौटाने आती है तो धूता अपने और चारुदत्त के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए अपनी दी हुई रत्नावली वापस लेने से इंकार करते हुए कहती है -

आर्यपुत्र एव मम आभरणविशेषः²⁵

अर्थात् वह चारुदत्त को ही अपना विशेष आभूषण मानती है। यह चारुदत्त के प्रति धूता की निष्ठा को तो प्रकट करता ही है, साथ ही इस तथ्य से भी अवगत करवाता है कि धूता को चारुदत्त की सहायता करने के लिए अपनी रत्नावली गिरवी रखने के लिये मजबूर होना पड़ा, वह भी तब जब यह धूता के व्यक्तिगत संकट का कारण नहीं था।

इसके अतिरिक्त, एक अन्य प्रसंग में भी धूता की अधीनस्थ स्थिति को दर्शाया गया है कि जब चारुदत्त को झूठे आरोप के कारण मृत्युदंड दिया जा रहा था, उस समय अपने पति की सहायता करने में असमर्थ धूता अपने जीवन का अंत करने के लिये अग्निदाह को ही एकमात्र विकल्प चुनती है।

इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि पितृसत्तात्मक मानदंडों से बाँधी धूता का व्यक्तित्व प्राचीन भारत में अपने अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने की बजाए चारुदत्त की पतिव्रता वधू मात्र बनकर रह जाता है।

मदनिका - मदनिका को वसन्तसेना की दासी के रूप में चित्रित किया गया है। वसन्तसेना से उसका मित्रवत् सम्बन्ध है। मदनिका का शर्विलक नामक प्रेमी भी है जो उसकी सुन्दरता पर मोहित है और उसे रति के समान सौन्दर्यपूर्ण बताता है -

मदनमपि गुणैर्विशेषयन्ती

रतिरिव मूर्तिमती विभाति येयम्²⁶

सुन्दरता के साथ मदनिका में अनेक गुण भी हैं। वह अपने प्रेमी शर्विलक से इस बात की पुष्टि करती है कि उसके कारण शर्विलक ने कोई अनुचित कार्य तो नहीं किया। हालांकि शर्विलक ने जो चोरी की उससे वह दुःखी तो होती है किन्तु अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए वह युक्ति भी देती है, जिससे शर्विलक की चोरी भी छुप जाए और वसन्तसेना को उसकी रत्नावली भी मिल जाए, इसलिए मदनिका के विवेक की प्रशंसा में वह कहता भी है -

मयाप्ता महती बुद्धिर्भवतीमनुगच्छता²⁷

मदनिका जब शर्विलक के साथ वसन्तसेना के भवन से विदा लेती है उस दृश्य को एक तरह से मदनिका की अन्तिम विदाई के रूप में दर्शाया गया है क्योंकि शर्विलक से विवाहोपरान्त वह दासी से वधू का दर्जा प्राप्त कर लेती है। वह पूजनीय हो जाती है अर्थात् अब वह सामाजिक नियमों से बंध गई है और ऐसे में वधू का फिर कभी वेश्यागृह के आसपास भी भटकना सही नहीं माना जाता है।

मदनिका की समझदारी का परिचय तब भी नज़र आता है जब शर्विलक को अपने मित्र आर्यक की सहायता के लिए बीच रास्ते से ही जाना पड़ता है व मदनिका विकट परिस्थिति या धर्मसंकट को समझते हुए शर्विलक के जाने के निर्णय का सम्मान एक आदर्श पतिव्रता नारी की तरह करती है।

वसन्तसेना की माता - वसन्तसेना की माता वृद्धा है। विदूषक के वर्णन के अनुसार वृद्धा फूलों की कढ़ाईदार चादर ओढ़कर ऊँचे आसन पर विराजमान है। इस तथ्य से ज्ञात होता है कि वृद्धा का स्थान वेश्यागृह में काफी सम्मान का था। वृद्धा का चित्रण समकालीन समाज में पारिवारिक जिम्मेदारी के महत्त्व को दर्शाता है, इसी कारण माँ होने के नाते उसे वसन्तसेना की सुरक्षा के विषय में चिंतित दर्शाया गया है। इसी कारण जब शकार द्वारा दस हजार स्वर्ण मुद्राओं के प्रलोभन के साथ गाड़ी भेजी गई, जिसे वसन्तसेना ने इंकार कर दिया तो वृद्धा ने उसे जबरन शकार के साथ भेजने की बजाए, अपनी पुत्री के निर्णय को मान लिया।

वृद्धा को यह ज्ञात है कि वसन्तसेना निर्धन चारुदत्त से प्रेम करती है। चारुदत्त की निर्धनता के बावजूद भी वृद्धा का स्नेह चारुदत्त के प्रति उसके गुणों के कारण है जो कि नवम अंक से स्पष्ट हो जाता है, जब वह चारुदत्त पर शकार द्वारा लगाये गये झूठे आरोप का समर्थन नहीं करती और उसका पक्ष लेकर स्वयं को उसकी 'वादी' बता चारुदत्त को झूठे इल्जाम से रिहा करने की माँग करती है।²⁸

कुल मिलाकर कहा जाये तो मृच्छकटिकम् में वृद्धा के स्त्रीत्व का चित्रण एक माता के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने की कुशलता को दर्शाता है।

रदनिका - रदनिका चारुदत्त के घर सेविका के रूप में कार्य करती है और मैत्रेय की प्रेयसी है। रदनिका के स्त्रीत्व का विशिष्ट गुण यह है कि न केवल चारुदत्त की सम्पन्नता के समय अपितु उसके निर्धन होने के बाद भी वह उसके घर सेविका के रूप में कार्य करती है और चारुदत्त के पुत्र रोहसेन से भी उसका अपार स्नेह है और रोहसेन के लालन-पालन का दायित्व उसी पर रहता है। शकार द्वारा भ्रमवश उसे वसन्तसेना समझ कर किये गये अपमान की बात भी वह चारुदत्त से साझा नहीं करती है। क्योंकि उसे ज्ञात है कि इससे चारुदत्त को अधिक पीड़ा होगी। इसलिए वह मैत्रेय से कहती है - **अञ्ज मिन्नेअ! रदणिआ खु अहं संजदमुही!**²⁹ अर्थात् उसकी अपनी वाणी पर नियन्त्रण है।

सूत्रधार की पत्नी नटी - नटी का चित्रण एक पतिव्रता स्त्री का है जो निर्धन होने के बाद भी अपने पति सूत्रधार की जरूरतों का ख्याल रखती है और एक आदर्श पत्नी होने का कर्तव्य समझकर सूत्रधार के लिए 'अभिरूपपति' नाम का उपवास रखती है ताकि परलोक में भी पति के रूप में सूत्रधार ही उसे प्राप्त हो।³⁰

जब सूत्रधार को पता चलता है कि नटी को जूर्णवृद्ध ने यह व्रत बताया है, यह सुनने के बाद सूत्रधार क्रोधित हो जूर्णवृद्ध के बारे में अपशब्द कहता है, इस पर भी नटी सूत्रधार के पैरों में गिर जाती है केवल यह विश्वास दिलवाने के लिए कि यह व्रत वह अपने पति के लिए ही कर रही है किसी परपुरुष के लिए नहीं।³¹ इस तथ्य से ज्ञात होता है कि नटी अपने पति के प्रति वफादार तो है किंतु नटी की अधीनस्थ भूमिका को भी दर्शाता है, जहाँ वह अपने निजी जीवन में खुद को प्राथमिकता नहीं देती है, फिर भी नाटक में नटी का स्त्रीत्व निष्ठा, प्रेम के गुणों का प्रतिनिधित्व करने का है।

चेटी - 'चेटी' वसन्तसेना की दासी है और इसी कारण नाटक में चेटी की भूमिका एक गौण पात्र की है हालांकि वह एक ईमानदार और विश्वासयोग्य दासी है जो वसन्तसेना के प्रति निष्ठावान् है और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाती है। 'छत्रधारिणी' संभवतः चेटी के लिए ही प्रयुक्त उपाधि है, क्योंकि वह परिचारिका के रूप में संदेश एक से दूसरे स्थान तक पहुँचाना, पंखा हिलाना आदि कार्य करती है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो दासों की स्थिति प्रायः अच्छी प्रतीत होती है, उनके शोषण का प्रमाण नाटक में दिखाई नहीं देता है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि मृच्छकटिकम् में शूद्रक द्वारा स्त्रियों का चित्रण प्रगतिशील और सशक्त है जो इस तथ्य से अवगत करवाता है कि समाज में एक ओर वेश्यागृह में रहने वाली स्त्रियों (वसन्तसेना, मदनिका, वसन्तसेना और उसकी माता) का जीवन जहाँ वसन्तसेना और उसकी माता वृद्धा को सक्षम और स्वतंत्र स्त्रियों के रूप में प्रस्तुत करता है, वहीं मदनिका का वसन्तसेना के अधीनस्थ होने के बावजूद भी उसके अपने निजी जीवन के निर्णयों में स्वतंत्रता को दर्शाता है। वहीं दूसरी ओर वेश्यागृह के बाहर पितृसत्तात्मक ढाँचे में रहने वाली स्त्रियाँ, जैसे रदनिका को चारुदत्त के निर्धन होने के बावजूद भी सेविका के रूप में कार्य करने में परेशानी नहीं है, यह रदनिका की वफादारी और आत्मनिर्णय की सक्षमता को दर्शाता है। चारुदत्त की पत्नी धूता और सूत्रधार की पत्नी नटी की स्थिति एक समान है, दोनों ही निर्धन हैं और उनके निर्णय अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं और

समकालीन पितृसत्तात्मक मानदंडों से प्रभावित होते हैं जिस कारण निजी जीवन में उनके प्रतिनिधित्व की कमी पर प्रकाश पड़ता है। इस प्रकार मृच्छकटिकम् पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों और सीमाओं को दर्शाता है, साथ ही इन चुनौतियों का सामना करने में स्त्रियों की सक्षमता पर भी प्रकाश डालता है।

सन्दर्भ-

1. 'साहित्यदर्पणकार तथा दशरूपककार ने भी इसे प्रकरण ही माना है।' मृच्छकटिकम् की भूमिका में रमाशंकर त्रिपाठी, पृ. xxxi
2. 'भवेत्प्रकरणे वृत्तं लौकिकं कविकल्पितम्।
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्॥
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तकः।
नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि द्वयं क्वचित्॥
तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयकः।
कितवद्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः॥' साहित्यदर्पण ६.२२४-२२६
3. मृच्छकटिकम् की भूमिका में रमाशंकर त्रिपाठी, पृ. vii-xxiv
4. 'तत्र नायिकास्तिस्त्रः कन्या पुनर्भू वेश्या चाइति॥' कामसूत्र १.५.३
5. मृच्छकटिक १.४२
6. 'माधुर्येण च संयुक्ता चतुःषष्टिकलान्विता।
राजोपचारकुशला स्त्रीदोषैश्च विवर्जिता॥
प्रियवादी प्रियकथा स्फुटा दक्षा जितश्रमा।
एभिर्गुणैस्तु संयुक्ता गणिका परिकीर्तिता॥' नाट्यशास्त्र ३५.८२, ८३
7. मृच्छकटिकम्, ४.३१ के बाद का संवाद (पृ. ३०१)
8. मृच्छकटिक ८.३२, ३३
9. 'अहवा कुबेरभवणपरिच्छेदो त्ति।' मृच्छकटिक, ४.३० के बाद का संवाद (पृ. ३०६)
10. 'गणिआदरिआउ णच्चिअंति।' मृच्छकटिक, ४.२७ के बाद का संवाद (पृ. २९२)
11. 'विविहरअणपडिबद्धकंचणसोवाणसोहिदाओ।' मृच्छकटिक, ४.२७ के बाद का संवाद (पृ. २८७)
12. 'जुवदिकरताडिदा जलधरा विअ गंभीरं णदंति मुदंगा, हीणपुण्णाओ विअ गअणादो तारआओ णिवडंति कंसतालाआ, महुअरविरुअं विअ महुअं वज्जदि वंसो।' मृच्छकटिक, ४.२७ के बाद का संवाद (पृ. २९२)
13. मृच्छकटिक, ४.२८
14. मृच्छकटिक, दूसरे अंक का प्रारम्भिक संवाद (पृ. १२१)

15. मृच्छकटिक, दूसरे अंक का प्रारम्भिक संवाद (पृ. १२४)
16. मृच्छकटिक, ४.२४
17. मृच्छकटिक, दूसरे अंक का प्रारम्भिक संवाद (पृ. ११९)
18. मृच्छकटिक, १०.५७ के बाद का संवाद (पृ. ७३३)
19. मृच्छकटिक, १.२३
20. तरुणजनसहायश्चिन्त्यतां वेशवासो विगणय गणिका त्वं मार्गजाता लतेव।
वहसि हि धनहार्यं पण्यभूतं शरीरं सममुपचर भद्रे! सुप्रियं वाप्रियं वा॥ (मृच्छकटिक, १.३१)
21. मृच्छकटिक, १.३२ के बाद का संवाद (पृ. ६५)
22. मृच्छकटिक, १.३० के बाद का संवाद (पृ. ६०)
23. मृच्छकटिक, ८.४३
24. '(वसन्तसेनामवगुण्ट्य चारुदत्तं प्रति)' मृच्छकटिक, १०.५८ के बाद का संवाद (पृ. ७३९)
25. मृच्छकटिक, छठे अंक का प्रारम्भिक संवाद (पृ. ३९१)
26. मृच्छकटिक, ४.४
27. मृच्छकटिक, ४.२१
28. 'अण्णं च-अत्थिपच्चत्थिण्णं व्यवहारो, अहं अत्थिणी, ता मुंचध एदं।' मृच्छकटिक, ९.३८ के बाद का संवाद (पृ. ६१६)
29. मृच्छकटिक, १.५२ के बाद का संवाद (पृ. १०३)
30. 'अज्ज! पसीद पसीद, तुमं ज्जेव्व मम जम्मंतरे वि भविस्ससि त्ति उववसिदम्हि। १.८ के बाद का संवाद (पृ. २१)
31. 'पसीददु अज्जो। अज्जस्स ज्जेव्व पारलोइओ अअं उववासो अणु चिट्ठीअदि। (इति पादयोः पतति।)' १.८ के बाद का संवाद (पृ. २२)

सन्दर्भ-ग्रन्थ सूची

- मृच्छकटिकम् (रमाशंकर त्रिपाठी), मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, २०१४
- साहित्यदर्पण (सत्यव्रत सिंह) चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 2002
- Kamsutra with jay mangala of yadhodhar, Part-1, Madhwachaya, Khemraj Publishers, Internet Archive, 2020.
- Natyasastra of Bharat Muni, Vol. 4 of 4, Babu Lal Sukla Shastri, Chaukhamba Sanskrit Sansthan, Varanasi, 1985.

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निर्माण में महिला आंदोलन की पृष्ठभूमि का अध्ययन (विशेष संदर्भ: ब्रिटिश कालीन महिला आंदोलन)

Dr. Praveen Pathak

Assistant professor
(Guest Faculty), History Department
Pandit Sundarlal Sharma (Open) University ,
Chhattisgarh

सारांश

भारतीय नारी का इतिहास जितना ही उज्वल है भारतीय पुरुष का उस संबंध में उतना ही कलुष और स्वार्थपरक है। सारे सामाजिक और राजनीतिक ऐश्वर्य समेत कर अपने लिए रखे और नारी को उसके चूल्हे की राख सौपी। नारी मुक्ति आज भी करीब-करीब सारी दुनिया के नारी समाज का नारा है। इसका मतलब हुआ कि मानवता का आधा हिस्सा आज भी पराधीन है। हम महिला मुक्ति की बात करते हैं, किसानों की मुक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रों की मुक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रों की मुक्ति से हमारा तात्पर्य उपनिवेशवादी शोषण से मुक्ति है। नारी मुक्ति का सवाल जब उठता है तो यह स्पष्ट है कि नारी पराधीन है। वर्तमान सामाजिक ढाँचा उसका ताना - बाना महिलाओं को अपने शिकंजे में कसा हुआ है। संसार के अधिकांश देशों में स्त्रियाँ कमोबेश पुरुषों की दास रही हैं। पुरुष की वैयक्तिक संपत्ति रही है। चाहे जिस रूप में जैसा चाहे वह उसका प्रयोग कर सकता है। स्त्री समाज की जड़ चेतना ने उसे शताब्दियों तक गुलाम की तरह जीवनयापन करने के लिए विवश किया, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी और थी तो उसे प्रकट नहीं कर सकती थी। वह भी मालिक के इशारे पर खरीदी और बेची जाती थी। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था स्त्री को निरीह, दयनीय रूप में गढ़ती आई है। यहाँ पर फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोउआर के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं “औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है।” यह कथन कल भी सत्य था और आज भी सत्य है।

मुख्य शब्द- राष्ट्रीय आंदोलन, महिला शोषण, महात्मा गांधी, महिला सुधार

प्रस्तावना-

मेरे सपनों के भारत में महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि जिस रूढ़ि और कानून के बनाने में स्त्री का कोई हाथ नहीं था और जिसके लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हैं, उस कानून और रूढ़ि के जुल्मों ने स्त्री की अस्मिता को लगातार कुचला है। अहिंसा की नींव पर रचे गये जीवन की योजना में जितना और जैसा अधिकार पुरुष को अपने भविष्य की रचना का है, उतना वैसा ही अधिकार स्त्री को भी अपना भविष्य तय करने का है।¹ स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानून प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, जो पुरुषों पर न लगाया गया हो। पुत्रों और कन्याओं में किसी तरह का भेद नहीं होना चाहिए। उनके साथ पूरी समानता का व्यवहार होना चाहिए।²

किसी भी सभ्यता व समाज की भावना को समझने के लिए, उसकी उपलब्धियों के सही आकलन के लिए तथा कमियों को जानने के लिए उस सभ्यता व समाज में स्त्रियों की दशा एवं प्रस्थिति (हैसियत) का अध्ययन सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भारत में स्त्रियों ने सामाजिक जीवन में तथा इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। उच्चकोटी की विद्वता से लेकर रणक्षेत्र में शौर्य प्रदर्शन तक, राष्ट्रीय गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में उनकी समान भूमिका रही है।

मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की सैन्धव सभ्यता में उसका क्या स्थान था, क्या अनुभूति थी, क्या अधिकार थे, हमें नहीं पता। परंतु उनकी दशा दयनीय नहीं थी। इसका हमें कुछ आभास मिलता है। सिंधु सभ्यता में बड़े पैमाने पर मातृ मूर्ति मिली है। जिनमें से प्रमुख रूप से नतर्की की मूर्ति है। सिंधु सभ्यता में मातृ पूजा के सबूत मिलते हैं।³

पुराणों तथा प्राचीन भारतीय इतिहास में इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं कि समाज में स्त्रियों को समुचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वेद में नारी, नर के अधिकारों के काफी निकट पहुँच जाती है। गृह-विधान सारा उसके हाथ में है। वह गृहस्वामिनी है। सारे दास-दासी, धन-चौपाए उसके अधीन हैं। पति के साथ साधिकार यज्ञानुष्ठानों में भाग लेती हैं। वैदिक युग भारतीय इतिहास का गौरवमय काल है। प्रारम्भिक आर्य समाज पितृसत्तात्मक था किन्तु पारिवारिक कार्यों में माँ की भी उच्च स्थिति थी। तथा घरेलू विषयों में उसकी सत्ता सर्वोपरि थी। आर्य जीवन के प्रायः समस्त क्षेत्रों में स्त्रियों के सहयोग के पक्षधर थे और उन्हें शारीरिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। धर्म कृत्यों में स्त्रियों- पुरुषों का समान रूप से भाग लेने का अधिकार था। उन्हें धार्मिक कार्यों में बाधा नहीं माना जाता था और धर्म की दृष्टि में वे पुरुषों के समकक्ष थीं। किन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार पूर्व-वैदिक काल में स्त्रियों को अवश्य यह स्वतन्त्रता प्राप्त थी जो जनजातियों में दिखती थी; किन्तु साहित्यिक साक्ष्य और वैदिक एवं वैदिक पाश्चात्य - मनीषियों की स्त्रियों से संबन्धित उक्तियों में द्वेष वृत्ति दिखती है। परंतु इस घोषणा में ही पतन का बीज निहित है, जो उत्तर काल में

भारतीय नारी के लिए अभिशाप बन गया। ऋग्वेद काल के बहुत पूर्व में नर ने मातृसत्ता की व्यवस्था के स्थान पर पितृसत्ता की व्यवस्था की सीमाएँ बाँधी और अन्य जनों की नारियों को जीत कर अपने समाज में उनकी संख्या बहुत कम कर दी, तो उनकी अवमानना के आधार बन गए।

भारतीय समाज ई.पू. 300 के लगभग से लेकर ईस्वी के प्रारम्भ तक कठोर सामाजिक परिवर्तन हुए। जिसके फलस्वरूप स्त्रियों की स्वतन्त्रता में भारी कमी आती दिखती है। स्त्रियों की प्रस्थिति में गिरावट आई। अनेक धार्मिक जंजीरों में उसे जकड़ दिया गया। वह अधिकाधिक पर-निर्भर या पराश्रित होती गयी, और सामाजिक दृष्टि से इतनी पराधीन हो गयी कि, सामाजिक रूप से उन्हें 'द्वितीय श्रेणी का मानक' कहा जा सकता है।⁴

प्रकृति और मनुष्य का आपस में जो रिश्ता रहा है, वही रिश्ता स्त्रियों का पुरुषों से रहा है। जिस प्रकार प्रकृति मनुष्य को सम्पूर्ण विकास के लिए सक्षम बनाती है उसी प्रकार स्त्रियाँ भी हमेशा ही पुरुष को संपूर्ण बनाती आई है। लेकिन सदियों से स्त्रियाँ उपेक्षा, दमन और शोषण का शिकार रही हैं। सभ्यता के प्रारम्भिक चरण में, जब मातृसत्तात्मक समाज था तब स्त्रियाँ शक्तिशाली थीं, लेकिन धीरे-धीरे जब पितृसत्तात्मक समाज अस्तित्व में आया तो पुरुषों का समाज पर प्रभुत्व और स्त्रियाँ अधीनता की स्थिति में आ गई। पूरे संसार में स्त्रियों की लगभग यही स्थिति रही।

भारत में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने स्त्रियों को अशिक्षा के अंधेरे में रखा और उन्हें भोग तथा संतानोत्पत्ति का साधन मात्र माना। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह-निषेध, कन्या वध, बहुपत्नी-प्रथा, दहेज तथा पर्दा प्रथा जैसे कुरीतियों से शोषित थी। शोषण की इन स्थितियों के रहते स्त्रियों का पुरुष के साथ कदम-से-कदम मिलाकर चल पाना एक दीवास्वप्न था। भारत में महिला आंदोलन को न सिर्फ इन कुरीतियों से जूझना था, बल्कि स्त्रियों की एक एक स्वायत्त सत्ता भी स्थापित करनी थी। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसमें समय के साथ-साथ अनेक मोड़ आए, और उपलब्धियों के अनेक अध्याय लिखे गए।

'महिला आंदोलनों' से आशय मुख्यतः उन सभी महिला संगठनों और समूहों से है जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के विरुद्ध और स्त्रियों के लिए समानता और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं।⁵

भारत में महिला आंदोलन, महिलाओं की स्थिति, उनकी संघर्ष यात्रा और अनेक प्रयासों का चित्रण स्वरूप है। लंबे समय से चले महिला आंदोलन को भारत के इतिहास से जोड़कर देखा जा सकता है। भारत में महिला आंदोलन को समझने के लिए उसे भारत की ही परिस्थितियों और संदर्भों में व्याख्यायित किया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति में⁶ नारी का दर्जा बहुत ऊँचा है। परंतु जैसे-जैसे हम वैदिक काल से मध्य और आधुनिक काल की तरफ जाते हैं। वैसे-वैसे हम भारत में निम्न होती महिलाओं की स्थिति को देखते हैं। हमारे भारतीय समाज में महिलाओं की ऐसी स्थिति के लिए सामाजिक प्रतिमान एवं सांस्कृतिक आदर्श की जटिल संरचना उत्तरदायी रही है। 19 वीं शताब्दी के आरंभ से ही महिलाओं की परिस्थितियों और समस्याओं

ने समाज सुधारकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। पितृसत्तात्मक समाज, धार्मिक और सामाजिक परम्पराओं के कारण महिलाओं के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अन्याय के विरोध में आवाज उठाने के लिए कुछ पुरुष समाज सुधारवादी सामने आए और उन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का बीड़ा उठाया। भारत में महिलाओं के आंदोलन को हम दो दृष्टिकोण से व्याख्यायित कर सकते हैं-

प्रथम दृष्टिकोण के अधीन महिला आंदोलन में पुरुषों का योगदान, कुछ महिलाओं का योगदान, उपनिवेशवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सक्रियता, गाँधी और भारतीय महिलाएं, विभिन्न समाजों जैसे ब्रह्मसमाज, आर्य समाज का योगदान, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विदेशी महिलाओं के योगदान को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय दृष्टिकोण के अधीन स्वतंत्रता आंदोलन प्राप्ति के बाद तेभागा, तेलंगाना, मूल्यवृद्धि के खिलाफ, बोधगया में आंदोलन, चिपको आंदोलन, सती प्रथा के खिलाफ बहस, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन, दहेज प्रथा के खिलाफ संघर्ष, महिला आरक्षण संघर्ष, नर्मदा आंदोलन, शाह बानो केस प्रमुख रहे हैं।¹⁷

विभिन्न विद्वानों ने महिलाओं के आंदोलन को अपने सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार अलग-अलग ढंग से वर्गीकरण किया है। नीरा देसाई ने कहा है कि महिलावादी आंदोलन⁸ स्त्रियों की मुक्ति और समानता के साक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने के संगठित प्रयास हैं और ये स्त्रियों के जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता की अपेक्षा करते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ने की संबंध कारवाई के लिए, विभिन्न इकाइयों के बीच किसी प्रकार का जोड़ने वाला वैचारिक सूत्र होना जरूरी है' वैचारिक मानक के आधार पर गेल ओमवेल ने महिला आंदोलन को दो प्रकारों में विभाजित किया है- (1) महिलाओं के समानता आंदोलन, और (2) महिला मुक्ति आंदोलन। पहले प्रकार को आंदोलन आर्थिक, राजनीतिक तथा पारिवारिक संरचना को प्रत्यक्ष रूप में चुनौती न देने वाला हो सकता है, अपितु इनका लक्ष्य इन संरचनाओं में बराबरी का स्थान प्राप्त करना और सामंतवादी पितृसत्तात्मक के सर्वाधिक स्पष्ट अवशेषों को समाप्त करना होता है, इसके विपरीत स्त्रियों के मुक्ति आंदोलन प्रत्यक्ष रूप में लैंगिक श्रम विभाजन को ही चुनौती देने वाले होते हैं।

जना एवेरिट्ट ने महिलावाद को दो प्रकार की भिन्न विचारधाराओं के आधार पर महिला आंदोलन को विभाजित किया है। ये हैं- (1) निगमित महिलावाद जो स्त्रियों के लिए राजनीति में बृहद भूमिका का दावा इस आधार पर करता है कि स्त्रियों के रूप में उनका विशिष्ट योगदान है; और (2) उदारवादी महिलावाद जो यह दावा करता है कि पुरुषों के अधिकारों को स्त्रियों तक विस्तार इस आधार पर किया जाना चाहिये क्योंकि स्त्रियाँ पुरुषों के बराबर हैं, अतः उनके समान अधिकार होने चाहिए। कल्पना शाह ने महिला आंदोलन को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। उनका यह विभाजन वर्तमान समाज में स्त्रियों की गैर- बराबरी की स्थितियों का स्पष्टीकरण करने और उन्हें अधीनता से मुक्ति दिलवाने के तरीकों पर आधारित है। ये श्रेणियाँ

हैं- (1) नरम स्त्रियों के अधिकारों की स्थिति; (2) उग्र महिलावाद ; (3) समाजवादी महिलावाद है।⁹

संसार के अधिकांश देशों में स्त्रियाँ कमोबेश पुरुषों की दास रही हैं। पुरुष की वैयक्तिक संपत्ति रही है। चाहे जिस रूप में जैसा चाहे वह उसका प्रयोग कर सकता है। स्त्री समाज की जड़ चेतना ने उसे शताब्दियों तक गुलाम की तरह जीवनयापन करने के लिए विवश किया। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी और भी तो उसे प्रकट नहीं कर सकती थी। वह भी मालिक के इशारे पर खरीदी और बेची जाती थी। हमारी पूरी सामाजिक व्यवस्था स्त्री को निरीह, दयनीय रूप में गढ़ती आई है। यहाँ पर फ्रांसीसी लेखक सिमोन द बोउआर के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं “औरत पैदा नहीं होती बल्कि उसे बना दिया जाता है।” यह कथन कल भी सत्य था और आज भी सत्य है।

पूरी की पूरी सामंतवादी व्यवस्था ने सभी स्त्रियों के साथ बेहद अन्याय किया, उसके साथ जुल्म किये हैं। उसे ईश्वर द्वारा गढ़ी हुई कृति माना ही नहीं। ऐसा लगा कि ईश्वर ने केवल पुरुषों को ही जन्म दिया है। सम्पूर्ण समाज के चीजों पर उसका ही एकाधिकार है। प्रसिद्ध साहित्यकार राजेन्द्र यादव सामंती समाज का विश्लेषण करते हुए लिखते हैं-

“कृषि आधारित सामंती व्यवस्था किसी भी तरह की ‘मोबिलिटी’ की अनुमति नहीं देती। वहाँ मालिक और श्रमिक दोनों स्थायी होते हैं जो जहाँ है वहीं रहकर उसे अपने धर्म यानि कर्तव्य का पालन करना है.... इस ढाँचे में स्त्री ही अपेक्षाकृत अधिक मोबाइल¹⁰ है। वह वस्तु की तरह अनेक समाजों, स्थानों, धर्मों और परिवार में लाई, ले जाती रही- अक्सर स्वेच्छा से नहीं, मालिकों की हैसियत के हिसाब से.... यहाँ तक कि उनकी अपनी देह और जिंदगी के फैसले भी मालिक ही लेते हैं।” लेकिन यह भी सत्य है कि स्त्री का आरंभिक युग में और विशेषरूप से मातृसत्तात्मक समाज में स्थिति सुदृढ़ थी। वह परिवार की मुखिया थी।

स्त्री समाज की यातनाये, अत्याचार, दुखी, पीड़ित, जिंदगी के विरोध में वे अंदर ही अंदर सुलग रही थी। ज्वालामुखी एक दिन में फूटता और फटता नहीं। इसी प्रकार वर्षों लगते हैं किसी आंदोलन के जन्म लेने में। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि “ विद्रोह बगावत या क्रांति कोई ऐसी चीज नहीं होती है जिसका विस्फोट अचानक होता हो। मुख्य तथ्य यह है कि समाज में नारी की निम्न स्थिति –यह लैंगिक विभेद कारण है। इसीलिए महिलाएं आवाज बुलंद की है कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था में बदलाव लाना आवश्यक है। इस प्रकार के बदलाव की गूंज स्त्री आंदोलन की पृष्ठभूमि में सदैव उपस्थित रही।¹¹

महिला आंदोलन की पृष्ठभूमि के संदर्भ में यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय सामाजिक संरचना, उपनिवेशवाद, और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष आदि के कारण भारतीय महिला आंदोलन पश्चिम के ‘नारीवाद’ से कुछ मामलों में भिन्न है। ऐतिहासिक कारणों से भारत का महिला आंदोलन उस कदर पुरुष विरोधी नहीं है जैसा कि पश्चिम में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय आंदोलन की लोकतांत्रिक विरासत के

कारण भारतीय राज्य ने कम से कम सैद्धांतिक स्तर पर महिलाओं से कोई भेद-भाव नहीं किया है। नागरिक के रूप में उनके अधिकार पुरुषों के समान ही माने गए। यहां यह जानकारी देना आवश्यक है कि पश्चिम में महिलाओं को मताधिकार का अधिकार लंबे संघर्ष के बाद मिला जबकि भारत में आजादी के बाद ही भारतीय महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला गया। भारत के महिला आंदोलन में 19वीं शताब्दी के सामाजिक सुधार आंदोलनों और राष्ट्रीय आंदोलन की अनु गूंजे हैं।

19वीं शताब्दी से ही स्त्रियों में सामाजिक जागृति के साथ ही राजनीतिक चेतना के लक्षण भी दिखने लगे जिससे स्त्रियों के दृष्टिकोण में धीरे-धीरे महत्वपूर्ण बदलाव नजर आने लगे। सार्वजनिक कार्यकलापों में भागीदारी से स्त्रियों में आत्मविश्वास व आत्मसम्मान की भावना में वृद्धि हुई और उनकी प्रवृत्तियों में बदलाव आया। स्वतन्त्रता संग्राम ने इस परिवर्तन में प्रमुख भूमिका निभायी। प्रारम्भ में स्त्रियों में भी राजनीतिक जागृति नगरों तक और बड़े अंशों में, मध्यमवर्गीय परिवारों तक सीमित थी। कृषक, श्रमिक, बागान मजदूर, शिक्षित-अशिक्षित स्त्रियाँ इसमें शामिल होती गयी। स्त्रियाँ स्वतन्त्रता संग्राम में गाँधी जी के अलौकिक व्यक्तित्व से आकृष्ट हुईं। स्वतन्त्रता संग्राम में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष में शामिल होकर उन्होंने समानता का नैतिक अधिकार अर्जित किया।

राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही। उन्होंने पहली बार घर की चौखट से बाहर निकलकर आंदोलन का हिस्सा बनी।¹² राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने खुलकर भाग लिया। राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ स्त्रियों से संबंधित मुद्दे भी इस दौरान उठाए गए। 1857 में दिल्ली की सड़कों पर संवेरा अभी उतर ही रहा था, जिंदगी की हलचल अभी शुरू भी नहीं हुई थी, पूरे देश में क्रांति की गूंज सुनाई देने लगी। इस महान क्रांति में देश की महिलाओं ने अपनी जान को न्योछावर कर दिया। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को कोई कैसे कोई भूल सकता है। जिन्होंने अंतिम सांस तक अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिये। एक ओर जहां रानी लक्ष्मीरानी बाई अंग्रेजों के छक्के छुड़ा रही थी तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ में बेगम हज़रत महल अंग्रेजों से लोहा ले रही थी। होमरूल आंदोलन के समय एनी बेसेंट ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करने का प्रयास किया। होमरूल आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से महिलाओं के अंदर अपने अधिकारों के लिए उमंग का संचार हुआ। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में महात्मा गांधी जी के आगमन से राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने पर होने लगी। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया। अहमदाबाद में अनसुईया बेन इस आंदोलन में गांधी जी के साथ थी। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी प्रत्यक्ष रूप रही।

1917 में स्त्रियों ने सरोजनी नायडू के नेतृत्व में विमेन्स इंडियन एशोसिएशन के तत्वाधान में सर्वप्रथम पुरुषों के समान मताधिकार की मांग की। लेकिन 1919 के कानून में स्त्रियों को केंद्रीय सभा में मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। प्रादेशिक सभा में आंशिक रूप से मताधिकार का अधिकार दिया गया था। कांग्रेस

ने 1928 में लिंग समानता तथा वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को मान लिया। 1931 में, कराची कांग्रेस में कानून की नजर में सभी धर्मों, जातियों तथा लिंगों की समानता के सिद्धांत को मान लिया गया।

19वीं सदी की सुधारवादी परंपरा को जारी रखते हुये उच्च तथा मध्यमवर्गीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में बदलाव लाने के लिए ऑल इंडिया वीमेन्स कान्फ्रेंस ने पाया कि पर्दा और बाल विवाह प्रथा स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार में एक अहम रुकावट है। इन बुराइयों से पार पाने के लिए ऑल इंडिया एंजुकेशनल कांफ्रेंस का चरित्र बदल दिया गया। चरित्र के साथ-साथ नाम भी ऑल इंडिया वीमेन्स कांफ्रेंस रख दिया गया। अब इसका उद्देश्य स्त्री शिक्षा के रास्ते में आने वाली सारी रुकावटों को दूर करना हो गया।¹³

स्वराज के लिए संघर्ष में आम स्त्री की भागीदारी सुनिश्चित करने का काम गांधी जी ने किया। स्त्रियों के दमन, शोषण तथा दोगम दर्जे को मान्यता देने वाली रूढ़ियों की धार्मिक सत्ता पर भी गांधी जी ने प्रश्नचिन्ह लगाए। विवाह में लड़की के सहमति को आवश्यक माना। गाँधी ने स्त्री को माँ तथा गृहणी की भूमिका के साथ-साथ उसके इंसानी अस्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया। स्त्री के लिए सीमित कार्यक्रम का एक मुख्य कारण राष्ट्रीय आंदोलन का पितृसत्तात्मक चरित्र है। समाज, परिवार से अलग भी स्त्री स्वतंत्र व्यक्तित्व, उसका इंसानी अस्तित्व, उस समय के नेताओं को मान्य नहीं था। गाँधी जी इसकी बात तो करते थे। साथ स्त्री की माँ –गृहणी की भूमिका तथा स्त्रीजन्य गुण- त्याग –बलिदान आदि की दुहाई भी देते थे। उनके द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन में तो इन्हीं गुणों की आंदोलनकारियों से अपेक्षा की जाती थी। इसी प्रकार सरोजनी नायडू और बेगम शाह नवाज ने भी स्त्रियों की पारंपरिक भूमिका को ही सर्वोच्च प्राथमिकता माना। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय महिलाएं भी आम महिला की तरह पारिवारिक जिम्मेदारी अपनी निजी जिम्मेदारी समझ रही थी।¹⁴

लगभग सभी प्रकार के महिला आंदोलनों में स्त्री अधिकारों से जुड़े मामले को उठाया गया है। उनकी मांग रही है कि स्त्री अधिकारों को मानव-अधिकारों की सामान्य श्रेणी के रूप में मान्यता दी जाए। अवसर की समानता, लिंग के आधार पर भेद-भाव की समाप्ती, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन आदि महिला आंदोलन के परंपरागत मुद्दे रहे हैं। इधर के वर्षों में महिला आंदोलन के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा सर्वाधिक मुद्दे के रूप में उभरा है। महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा हमारे समाज का शर्मनाक पहलू है। जो बताता है कि हमारा समाज आज भी सामंती सोच से बाहर निकल नहीं पाया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई प्रकार हैं- इनमें दहेज हत्या, भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बलात्कार, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, महिलाओं की खरीद-फरोख्त, छेड़-छाड़ आदि अनेक प्रकार की हिंसा शामिल है। इस तरह के कार्यों के प्रति आज विरोध काफी मुखर रूप ले चुका है। महिला संगठनों को कई मामलों में सफलता भी मिली है। घरेलू हिंसा अधिनियम लागू होना इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। लेकिन वर्तमान में अभी महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है।¹⁵

पिछले दो दशकों में देश की अर्थव्यवस्था और समाज में कई बदलाव देखने को मिले हैं। इन बदलावों के परिणामस्वरूप विशेष रूप से महिलाओं का एक नवीन मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया है। इस नवीन महिला वर्ग को हम पारंपरिक मध्यमवर्गीय महिलाओं से अलग रूपों में पहचान सकते हैं। इसमें इनकी आर्थिक ताकत, सामाजिक पहचान, हैसियत का अहसास और नई जीवनशैली का प्रमुख योगदान है। महिलाओं का यह नया मध्यमवर्ग शिक्षित, पेशेवर और कारोबारी महिलाओं का है, जो स्वतंत्रता और अधिकारों के राजनीतिक और सामाजिक मूल्य से अच्छी तरह परिचित है। यह नवीन महिला मध्यवर्ग सामाजिक परिवर्तन में भी किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। पिछले दो दसक भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण के दसक रहे, जिसे नव उदारवाद के दौर के रूप में भी व्यापक पहचान मिली है।¹⁶ भूमंडलीकरण से नए-नए आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण और सेवा क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। साथ ही, सामाजिक क्षेत्र के भी कई आयामों का विस्तार हुआ है। पेशेवर महिलाओं के साथ ही ऐसे कारोबारी महिलाओं का बड़ा वर्ग सामने आया है जो दूसरों को रोजगार दे रही हैं। मीडिया, खेल, माडलिंग, फैशन डिजायनिंग, सिनेमा, बैंकिंग, समाज सेवा, राजनीति आदि अनेक क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और अपनी अलग पहचान बनाई है।

नवीन महिला मध्य वर्ग में शामिल तथा अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं। महिलाएं आज भारतीय महिला आंदोलन का अप्रत्यक्ष अंग भी हैं। नागरिक समाज द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को ये और अधिक सक्षम तरीके से लोगों तक पहुंचा पा रही हैं।¹⁷

निष्कर्ष—

भारत में महिला आंदोलन ने जागृति और सक्रियता के संदेश को फैलाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति में एक नए स्तर पर परिवर्तन और बदलाव देखा जा सकता है। जिसमें महिलाओं ने खुद आगे बढ़कर अहम भूमिका निभाई। इस प्रकार महिलाओं के संदर्भ के मुद्दे, आंदोलन, उनके अधिकार अब नजरंदाज नहीं कर सकते, आगे आने वाले समय में महिलाएं पूरे सम्मान और गरिमा की अधिकारी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज भी भारतीय महिलाएं वैधानिक परिवर्तनों या संविधान प्रदत्त अधिकारों से असंख्य स्त्रियाँ लाभान्वित नहीं हो सकी हैं। जिसका कारण उनमें चेतना का अभाव तथा परिवार व समुदाय की ओर से वांछित सहयोग प्राप्त न होना है। स्त्रियों की आर्थिक स्थिति तो सुधरी है। किन्तु अभी सामाजिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पायी है। सामाजिक बंधनों से मुक्त होना बाकी है। इसके लिए महिलाओं को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। महिला आंदोलन के साथ-साथ सरकार भी महिलाओं के संदर्भ में प्रगतिशीलता के पथ पर आगे बढ़ रही है। सरकार भी महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कटिबद्ध है। यदि समय के साथ पितृसत्तात्मक प्रभुत्व को बनाए रखने वाली इकाइयों, यथा परिवार और समाज के स्तर पर सरकारी प्रयासों से कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो जाए तो महिलाओं के लिए जेंडर समानता और विकास दोनों के द्वार खुल जाएंगे।

सन्दर्भ-

1. गांधी, महात्मा, मेरे सपनों का भारत, पृष्ठ, 169.
2. वहीं, पृष्ठ, 171.
3. उपाध्याय, भगवत शरण, (2004), भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, पृष्ठ, 156
4. पांथरी, शैलेंद्र,(2000), आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, पृष्ठ, 231.
5. सिंह,अभय प्रसाद,(2015), समकालीन भारत में विकास प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ, 218.
6. विस्वाल,तपन, (2017), भारतीय शासन संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया, पृष्ठ,447.
7. वहीं, पृष्ठ, 448.
8. शाह, घनश्याम, (2009), भारत में सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ, 138.
9. वहीं, पृष्ठ, 139.
10. सिंह,वी.एन, सिंह, जनमेजय,(2005), भारत में सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ, 219.
11. वहीं, पृष्ठ, 220.
12. सिन्हा, मनोज,(2012), समकालीन भारत एक परिचय, पृष्ठ, 235.
13. जोशी, गोपा, 2006, भारत में स्त्री असमानता, पृष्ठ,100.
14. वहीं, पृष्ठ, 101.
15. सिन्हा, मनोज, संपादन,(2012), समकालीन भारत का एक परिचय,पृष्ठ, 236
16. सिंह, अभय प्रसाद,संपादन,(2015), समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, पृष्ठ,240.
17. वही,पृष्ठ,241

संदर्भ ग्रंथ सूची-

- सिन्हा, मनोज, संपादन,(2012), समकालीन भारत का एक परिचय, ओरिएंटल ब्लेकस्वान, हैदराबाद, तेलंगाना
- सिंह,अभय प्रसाद,संपादन,(2015), समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, ओरिएंटल ब्लेकस्वान, हैदराबाद, तेलंगाना
- जोशी, गोपा, 2006,भारत में स्त्री असमानता, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय,नई दिल्ली
- सिन्हा, मनोज,(2012), समकालीन भारत एक परिचय,
- सिंह, वी.एन, सिंह, जनमेजय,(2005), भारत में सामाजिक आंदोलन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
- शाह, घनश्याम, (2009),भारत में सामाजिक आंदोलन, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली
- विस्वाल, तपन, (2017), भारतीय शासन संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया, ओरिएंटल

ब्लेकस्वान, हैदराबाद, तेलंगाना

- पांथरी, शैलेंद्र, (2000), आधुनिक भारत का सामाजिक इतिहास, मिश्रा ट्रेडिंग कार्पोरेशन, वाराणसी
- प्रसाद, कमला, (2004), स्त्री मुक्ति का सपना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
- साधना, आर्य (संपादक), नारीवादी राजनीति: संघर्ष एवं मुद्दे, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली
- शर्मा, ओम प्रकाश, (2002), समकालीन महिला लेखन, वामा प्रकाशन
- अनामिका, (2014), स्त्री विमर्श की उत्तर गाथा, सामयिक प्रकाशक, नई दिल्ली
- गांधी, महात्मा, (2010), मेरे सपनों का भारत, प्रकाशक, डायमेंड पाकेट बुक्स.
- उपाध्याय, भगवत शरण, (2004), भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.
- S, Altekar, (1962), The Position of Women in Hindu Civilization
- Devendra, Kiran, Changing Status of Women in India
- Kuppaswamy, V, (1973), Social Change in India
- Ward, Barbara, (1963), Women in New India
- Kumar, Radha, (1993), The History of Doing Kali for Women, New Delhi
- Philip J. Greven, Jr., Four Generations: Population, Land and Family in Colonial Andover, Massachusetts (Ithaca: Cornell University Press, 1970).
- Daniel Scott Smith, "Family Limitation, Sexual Control and Domestic Feminism in Victorian America," Feminist Studies 1, no. 3/4 (Winter-Spring 1973)
- Pinkumani Barman, "Gandhiji and His Vision for Woman Empowerment" Basis Applied and Social Science, Vol. III, January 2013
- Gangotri Sil, "Rosie-The Quintessential Indian Woman in R.K. Narayan's The Guide", JHSS, Vol. 19, Issue 11, November 2014
- K. Nagajothi, "Desires and Conflicts in Female Bonding in Chitra Baherjee Divalkaruni's Novels : Sister of May Heart and Vine of Desire", Language in India, Vol. 15, January 2015
- S.K. Kulkarni, The Women in Hindu Society, Mumbai: Deccan Book Prints, 2011

Inter-Generational Educational Mobility of Scheduled Caste Women in Urban and Rural Areas of Mansa District of Punjab

Dr. Amrit Kaur

Assistant Professor ,
P.G.Govt College for Girls,Sector-42, Chandigarh

ABSTRACT

Education of the parents plays a significant role in the upbringing of a child. They are the first teacher of a child. Children learn their language, culture, values and develop their thought process through their parents. They play a vast role in a child's academic growth than a teacher because the child spends most of its time with its parents. Education of parents also affects the education of children and their academic growth. But in some developing countries like India, women and girls are often denied an opportunity for education. This is mainly due to the patriarchal system, traditions and culture which hinder the girls' strength and intelligence in the educational process. Girls are expected to take up the roles of wives and mothers after marriage, so most of the parents socialize girls to meet their expected roles only. But an educated mother is a better mother because she can educate the whole family and educates the child in all aspects. This paper is an attempt to analyze the Inter-generational Educational Mobility of Scheduled Caste Women in Urban and Rural Areas of Mansa District of Punjab.

Key Words: Education, Scheduled Caste, Socialization, Inter-Generational Mobility

Introduction

Education plays an important role for all round development of an individual whether it is a boy or girl. It is a powerful instrument which helps an individual in raising one's standard of living and helps one to develop his/her overall personality in general and that of women in particular, which leads to upward vertical mobility. But in some developing countries like India, women and girls are often denied an opportunity

for education. This is mainly due to the patriarchal system, traditions and culture which hinder the girls' strength and intelligence in the educational process. Girls are expected to take up the roles of wives and mothers after marriage, so most of the parents socialize girls to fulfil expected roles only. According to them, school is not the best place for them to learn to carry out their effective roles, home is the best place for girls for such learning to perform the roles assigned to them as rather wives and mothers. In such societies, women are considered inferior to men and their educational mobility is very less. People have a belief if girls should be taught to read or right, then their husbands will die soon and girls lead widowhood for their whole life. So people believed that a girl should not attain education for the long life of her husbands. She should pray for her husband's long life rather than causing death by getting education.

Dr. B.R. Ambedkar who framed the Constitution of India has noted the wider gap between different castes due to education, helped these educational backward castes by providing them special provision in education so that they could catch up with rest of the society. This backwardness was also seen in the case of women. Social reformers such as Raja Ram Mohan Ray and Ishwar Chandra Vidyasagar, Jyotirao Phule, Maharshi Karve and Savitribai Phule raised a voice in favour of women's education. Christian Missionaries and some learned people made efforts in this direction.

Objectives of the Study

1. To access the educational mobility among two generations of scheduled caste women and their linkages to social mobility.
2. To determine the mobility among two generation of scheduled caste women in the terms of educational attainment.

Methodology

The present study was conducted in the urban and rural areas of Mansa district of Punjab (which comes under Malwa region). According to the 2011 Census, the total literacy rate of Mansa district was 61.83% which is less than average literacy rate 75.84% of Punjab. Gender wise, male literacy rate was 67.31% and female literacy rate stood at 55.68 %.Whereas, the average literacy rate of scheduled caste population was 33.63%. In which, male literacy rate was 33.35% and female literacy rate stood at 33.95%.So, for the study Mansa district was purposively selected. For the study quantitative data was collected by taking the interview of 150 respondents; (75 from rural and 75 from Urban) areas each .During sampling process, at the first stage, universe was divided into rural and urban population using Stratified Sampling Method. Further, for selection of respondents Snow ball technique in rural areas was used and from urban areas respondents were selected randomly.

EDUCATIONAL QUALIFICATION OF RESPONDENT AND RESPONDENT'S MOTHER'S

Education of the parents plays an important role in the upbringing of a child. Children learn their language, culture, values and develop their thought process through their parents. Parents socialize children on how to behave and live in society. Those parents who attained higher education have more understanding and positive attitude towards child education than those parents who are less educated. It was also noted that the scheduled caste people who were living near the periphery of the cities were more educated than those who lived in the village due to better educational opportunities. Table No. 1 and Table No. 2 provide the information about the level of education attainment of respondents and respondents' mothers. Education wise distribution of respondents of Mansa has been presented in table 1.

TABLE NO. 1
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS ON THE BASIS OF THEIR
EDUCATIONAL QUALIFICATION

Levels of Education	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
10th	3	4.0%	3	4.0%	6	4.0%
12th	20	26.7%	45	60.0%	65	43.3%
Graduate	31	41.3%	15	20.0%	46	30.7%
Postgraduate	6	8.0%	8	10.7%	14	9.3%
M.Phil.	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
PhD	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
B.Ed.	13	17.3%	4	5.3%	17	11.3%
PGDCA	2	2.7%	0	0.0%	2	1.3%
Total	75	100.0%	75	100.0%	150	100.0%

The data shows that in the Mansa district, 41 percent of the respondents from urban areas have done Graduation, while more than half of the respondents studied till 12th, followed by graduation (one-fifth) in rural areas and 10.7% had done Post Graduation. It is also important to note that in the rural areas of Mansa district at the graduation level and higher, the proportion of respondents started declining. The above analysis shows that the educational attainment of urban respondents is better than the rural respondents, which is due to the fact that urban respondents are taking advantage

of educational facilities provided by the government for their educational mobility and upliftment and the other additional advantage is that they have better access to schools, colleges and universities, that is why they show better educational mobility with regard to rural respondents.

TABLE NO.2
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS ON THE BASIS OF THEIR MOTHERS
EDUCATIONAL ATTAINMENT

Mothers Educational Attainment	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
Illiterate	42	56%	64	85.35%	106	70.66%
Primary	12	16%	6	8%	18	12%
Middle	9	12%	4	5.35%	13	8.67%
10th	7	9.4%	1	1.3%	8	5.35%
10 +2	4	5.3%	0	0.0%	5	2.66%
Graduation	1	1.3%	0	0.0%	1	0.66%
Post- Graduation	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Any other	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	75	100.0%	150	100.0%

The data shows that in the urban area of Mansa district, majority of the respondents' mothers (56%) were illiterate and in rural area large majority, i.e., 85% were illiterate, 16% mothers were educated up to primary level, 12% of them were educated up to middle level.

INTER – GENERATIONAL EDUCATIONAL MOBILITY

In inter-generational educational mobility, the educational mobility of two generations i.e. between mother and respondent has been explained. While comparing table no 1 (educational qualification of respondents) with table no 2 (educational qualification of mothers) it was found that more than half of the respondents' mothers in urban areas of the district were illiterate, while no respondent from the district was found to be illiterate. This shows that tremendous change has taken place in terms of education as compared to two generations as in respondent's generation literacy rate was increased due to increase in educational facilities as compared to mother's generation.

Few cases from both the district shows the inter-generational educational mobility which is presented as under:

- 1) Mrs. A from the urban area of Mansa district has two daughters. Mrs. A (the mother) was illiterate but her children were highly educated. Her elder daughter has done L.L.B. and now she is working in a court and the other daughter is pursuing M.Com, this shows the inter-generational educational mobility of scheduled caste women in the family from illiterate to Post-Graduate or Professional courses. It also shows the occupational upward mobility where the mother is a housewife and one of the daughters obtained a reputed job as a lawyer.
- 2) Mrs. B from the rural area of Mansa district has two daughters and one son. The mother was illiterate but her children were educated. Her elder daughter has done M.A., B.Lib, M.Lib. and younger son and daughter have graduated. This shows the educational mobility of two generations of scheduled caste women in the family from being an illiterate to have done post-graduation courses. But there is no occupational mobility found in both the generations as mother is a house wife and both of the daughters are not working due to lack of knowledge and opportunities with regard to job.

While comparing mother's educational qualification with daughter's educational qualification, the data showed a significant difference between their educational qualifications from rural and urban areas of Mansa district. Majority of the mothers from the district were illiterate and only few were educated upto primary or 10+2 level. This is due to the fact that in mother's generation the number of schools and colleges were very less and large number of people were illiterate and poor; there was lack of educational facilities provided by the government and discrimination was done between son and daughters by the parents. In their time girl's education was not given much importance and they were married once they attained puberty. So, in mother's generation girl's education was found to be not useful, parents think that they are meant to take care of home and marriage was the first priority for them. But on the other hand, in second generation i.e., in respondent's generation, educational mobility was found due to various educational programs and facilities provided by the government; the number of schools, colleges and universities have increased and the mindsets of parents were changed with regard to daughter and son educational attainments. Daughters were given equal opportunities in all the spheres of their life with regard to their sons.

However, few parents are there who discriminate between daughter and son in the matter of education, that's why respondents attained education upto 10+2 only.

RESPONDENTS' AND RESPONDENT'S MOTHER'S ATTITUDE TOWARDS THE EDUCATION OF SCHEDULED CASTE WOMEN

Parent's education highly influences child's education. Those parents who attained higher education have more understanding and positive attitude towards girl's education than those parents who are less educated. But in the contemporary period, the negative attitude of parents regarding female education has changed because today most of the people support girl's education. This changing attitude regarding girl's education is primarily due to awareness. The government policies and the constitution rights endow women with knowledge and enable them to raise their status toward mobility. Thus, in order to understand the attitude of respondents' and respondent's mother's regarding scheduled caste women's education the question was put on "What is your attitude towards education of girls"? The response of the mother and daughter has been analyzed in the following tables. Attitude of the respondents towards girl's education in Mansa district has been exhibited in table 3.

TABLE NO. 3
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS ON THE BASES OF THEIR
ATTITUDE TOWARDS GIRLS' EDUCATION

Attitude towards Girls Education	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
Favorable	75	100.0%	71	94.7%	146	97.3%
Unfavorable	0	0.0%	4	5.3%	4	2.7%
Indifferent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	75	100.0%	150	100.0%

The data revealed that all the respondents in Mansa district of urban areas favored girl's education as compared to 95% in the rural areas. It shows that rural and urban people's thinking and attitude regarding girl's education are changing. Respondents reported that they have a passion for studies and this passion makes them love for studies and they would like to go for higher education. They felt that education is most important for girls for their progress and for all round development. If girls were educated, they would be self-supporting in time of needs. If they were provided education, they should be financially independent and they can earn a little bit for their

betterment. Only 5% respondents from rural areas of Mansa District were not in favour of girl's education. They feel that after marriage, girls should take care of their family and for this reason education is not important, knowledge of household works is more important. Therefore, girls were given that much education which leads them to their smooth domestic life.

TABLE NO. 4

DISTRIBUTION OF RESPONDENTS BY ATTITUDE OF RESPONDENT'S MOTHER REGARDING THE GIRLS' EDUCATION

Attitude of Mothers	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
Favorable	69	92.0%	62	82.7%	131	87.3%
Unfavorable	6	8.0%	13	17.3%	19	12.7%
Indifferent	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Total	75	100.0%	75	100.0%	150	100.0%

The data in table No. 4 show that a large majority of the respondent's mothers i.e. 87% were in favour of girls' education. In the urban area 92% respondent's mothers were in favour of girls' education as compared to 83% in rural area. Thus, it can be said that urban as well as rural mothers are aware of the necessity of girl's education and have a more understanding about the educational benefits. Only 8% mothers were not in favour of girl's education in urban areas and 17% in rural areas.

INTER – GENERATIONAL EDUCATIONAL ATTITUDE TOWARDS SCHEDULED CASTE WOMEN

In inter-generational educational attitude towards scheduled caste women, the responses of the mothers and the respondents have been analyzed. On comparison of table no 3 (Attitude of respondents regarding the girls' education) and table no 4 (Attitude of respondent's mothers with regarding the girls' education) in Mansa district all the respondents of urban areas favored girl's education as comparing to 95% in the rural areas.

EDUCATIONAL ASPIRATIONS FOR SCHEDULED CASTE WOMEN

In modern society everyone has some educational aspirations for their future and for the bright future of their children. But in our society one of the major sections which is deprived and remains backward in terms of educational attainment are scheduled

caste women and backward class people. However, with the passage of time they are becoming aware of educational facilities provided by the government to improve their status and they are utilizing educational opportunities and have high educational aspiration for them and for their children. At the same time, an educated mother tends to have the better educational aspiration for her daughters. Thus, table no. 5 and table no. 6 show the educational aspiration of respondents and respondent's mothers with regard to scheduled caste women/daughters.

TABLE NO. 5
DISTRIBUTION OF RESPONDENTS BY EDUCATIONAL ASPIRATION
FOR SCHEDULED CASTE WOMEN BY RESPONDENTS

Educational Aspiration	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
Primary	0	0%	0	0.0%	0	0.0%
High school	0	0%	2	2.7%	2	1.3%
College	15	20%	9	12%	24	16.0%
University	8	10.7%	15	20%	23	15.3%
Till Marriage	5	6.7%	6	8%	11	7.3%
As much as they can	47	62.7%	43	57.3%	90	60%
Total	75	100%	75	100%	150	100%

The data in the table reveals that the majority of the respondents i.e. 60% have opined that girls should study as much as they can. It means respondents want girls to take up education according to their aptitude and study according to their own will. 63% respondents in urban area said that girls should study as much as they can as compared to 57% in rural areas. While 20% respondents in urban area and 12% respondents of rural area responded that scheduled caste women should take education till graduation. 23% of the respondents expressed that women should study up to post graduation level and 7% respondents stated that girls should take education till their marriage. Respondents said that they always have pressure or stress while studying that if a good proposal of marriage will come while studying, they should be married and after marriage, the decision to continue education should be left to their in-laws or husband. While only 1 percent of respondents opined that girls should study up to 10+2.

TABLE NO. 6
MOTHER'S ASPIRATION REGARDING DAUGHTER'S EDUCATION

Mothers Aspirations	Mansa					
	Urban		Rural		Total	
	f	%	f	%	f	%
Primary	0	0.0%	5	6.6%	5	3.3%
Higher Schooling	0	0.0%	11	14.7%	11	7.3%
College	12	16%	6	8%	18	12%
University	11	14.7%	1	1.3%	12	8%
As much as they can	44	58.6%	39	52%	83	55.4%
Till Marriage	8	10.7%	13	17.4%	21	14%
Total	75	100.0%	75	100.0%	150	100.0%

Majority of the respondents' mothers from urban and rural areas i.e. (58.6% and 52%) revealed that they want their girls to study as much as they can and 16 % of them from urban Mansa district aspire their daughters to be educated up to graduation level in comparison to 8% rural respondents' mothers who wanted their daughters to study in college. 14.7% of mothers of respondents from urban areas wanted their daughter to take up education upto graduation level and 1.3 % upto Post Graduation level. 10.7% urban and 17% rural respondent's mothers have an aspiration for their daughter to pursue their studies till marriage. 14.7% rural respondents' mothers wanted their daughters to be educated upto 10+2 and only 6.6% wanted their daughters to be educated upto primary level.

INTER – GENERATIONAL EDUCATIONAL ASPIRATIONS FOR SCHEDULED CASTE WOMEN

In inter-generational educational aspirations for scheduled caste women, the response of the mothers and the respondents with regard to preferred level of educational attainment of scheduled caste women have been analyzed. On comparison of table no 1 (educational attainment of the respondents) with table no 5 (respondents' educational aspirations for scheduled caste women) it can be seen that majority of the respondents in urban areas were graduates and they have high level of educational aspirations for scheduled caste women. This shows that higher the educational level of the respondents, higher is educational aspiration for scheduled caste women. On the other hand, the respondents who studied till 12th have also a higher educational aspiration for scheduled caste women. This shows that the majority of the urban and

rural educated respondents in the district from primary level to post graduate and diploma courses aspire for higher and better education for scheduled caste women.

On the other hand, on comparison of table no 2 (educational qualification of the respondents' mothers) with table no 6 (respondents mothers educational aspirations for scheduled caste women), in the urban area, despite majority of the respondents' mothers (56%) were illiterate and in rural areas large majority were illiterate, they desired that their daughters i.e. (58.6% and 52%) should study as much as they can. Thus, it was noted that the majority of the respondents' mothers in urban area were illiterate and had a high level of educational aspirations for their daughters.

The above analysis shows that it may be wrong to judge a mother on the basis of education, even if the mother is uneducated, it cannot be said that she can't educate her children, she may also have a high level of educational aspiration for her children. It clearly shows that in modern time the mindset of parents regarding children's education has changed, even today most of the mothers who were illiterate or educated upto primary level of education have a higher level of educational aspiration for their daughter in education, and they want their daughters to study as much as they can.

Findings

Thus, in the present study it was clear from the data that tremendous change has been found in the field of education among two generations. A significant difference was found between the educational qualifications of two generations i.e., mothers' and daughters', from rural and urban areas of Mansa district. A noticeable educational mobility was found in respondents' generation as compared to their mothers' generation. As far as educational mobility and educational performance of urban-area respondents was concerned, it was found to be better than the rural-area respondents. It was also found that all the respondents in Mansa district were in favour of girls' education. Majority of the respondents' mothers were in favour of educating the girl child. A significant difference was found in rural and urban areas with regard to equal educational attainment for both genders. Scheduled Caste women in both the areas have realized that education plays an important role in their all-round development, especially for improving their social status in the society. While respondents from village areas also pointed out that the status of Scheduled Caste women has improved to some extent with educational opportunities becoming more and more accessible to them.

The researcher analysed the difference in the lives of women from two generations. The mother and daughter relationship has been explored throughout to accurately determine any changes that have been followed and accepted. It has been noted that mothers of previous generation support younger generation to opt for better

education and occupation. They prefer their daughters to go for higher education. It is also noted that confidence and self assurance of women in themselves allows them to trespass the preexisting patriarchal notion prevalent in society.

SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS

1. There is an urgent need for opening nearby schools and colleges in the village areas for women. Selection and identification of the talented girls should be done at the National and State level through various tests which should enable the Government to capture the target group for concerned schemes.
2. Counseling and Psychological Programmes in school, colleges to improve self-image, Self doubts and confidence for handling situations among scheduled caste women.
3. Open more Schools and colleges in rural areas, so they should be more accountable for scheduled caste women.
4. Parents trust on girls will give them more oppunities to grow and excel their talent.

References

- Ambedkar, B. R. (1948). *Untouchables: Who were they and why they became untouchables?* New Delhi: Amrit Book Company.
- Arya, S. (2010). *Dalit and Backward Women*. New Delhi: Educational Publishers and Distributors
- Beteille A. (1975). *Social Inequality. England*. Harmondsworth: Penguin Book Limited.
- Bhai, P, N. (1986). *Harijan Women in Independent India*. New Delhi: B.R Publishing Corporation.
- Bhat, R. A. (2015). Role of Education in Empowerment of Women in India. *Journal of Education and Practice*, 6(10), 188-191.
- Chitnis, S. (1972). Education for Equality: Case of Scheduled Castes in Higher Education. *Economic and Political Weekly*, 3(31), 1675-81
- Deb, P. C. (1975). *Social Stratification and Mobility in Rural Setting*. Delhi: Research Co. Publications.
- Durkheim, E. (1956). *Education and Sociology*. New York: Free Press.
- Judge, P. S., & Bal, G. (2009). *Mapping Dalits: Contemporary Reality and Future Prospects in Punjab*. Jaipur: Rawat publication
- Rao, C. S. (2008). *Sociology "Principles of Sociology with an Introduction to Social Thought"* (7th ed.). New Delhi: S. Chand and Company Limited.